प्रकाशक :—
भगवानदास केला
व्यवस्थापक
भारतीय ग्रन्थमाला
दारागञ्ज (प्रयाग)

मुद्रक :—
विश्ववाणी प्रेस
प्रयाग

भूमिका

इंगलैंड की शासन पद्धति और औद्योगिक क्रांति पर अंग्रेजी भाषा में तो अनेक प्रामाणिक ग्रन्थ हैं, पर हिन्दी में कुछ इनी-गिनी ही पुस्तकें हैं। जन साधारण की रुचि भी इन विषयों को पढ़ने की नहीं है और अब तक स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी इन विषयों को कोई महत्व नहीं दिया गया था। इन कारणों से ऐसे विषयों पर हिन्दी में बहुत कम पुस्तकें लिखी गई। इस वर्ष से युक्तप्रान्त के हाईस्कूल के इतिहास विषय के पाठ्यक्रम में इंगलैंड की शासन पद्धति और उसकी औद्योगिक क्रांति को भी स्थान दिया गया है। इन दोनों विषयों पर हिन्दी में कोई एक पुस्तक नहीं थी। प्रस्तुत पुस्तक इसी कमी को पूरा करने की दृष्टि से लिखी गई है। पहले भाग में इंगलैंड की शासन पद्धति का और दूसरे भाग में इंगलैंड की औद्योगिक क्रांति का वर्णन है।

पुस्तक के अन्त में विद्यार्थियों की सुविधा का विचार कर सारांश और प्रश्न भी दिए गये हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनका उत्तर इस पुस्तक में नहीं है। ऐसे प्रश्न इस विचार से दिए गए हैं जिससे विद्यार्थियों की विचार शक्ति का विकास हो और उनकी ज्ञान पिपासा बढ़े।

—लेखक

विषय सूची

पहिला भाग; इंगलैंड का शासन

दूसरा भाग; इंगलैंड की औद्योगिक क्रांति

पहिला भाग

इंगलैंड का शासन

पहिला अध्याय

विषय प्रवेश

इंगलैण्ड की शासनपद्धति जानने की आवश्यकता

भारतवर्ष के इतिहास से हम जानते हैं कि यहाँ अंगरेजों का आगमन सतरहवीं शताब्दी से आरम्भ हुआ। सन् १८५७ तक तो अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया और इस देश का शासन-प्रबन्ध इङ्गलैण्ड की पार्लिमेण्ट के हाथ में चला गया। तब से इङ्गलैण्ड का बादशाह भारत का भी सम्राट् हो गया। भारत का शासन-विधान इङ्गलैण्ड की पार्लिमेण्ट ने ही बनाया है और समय समय पर उसीने उसमें परिवर्तन भी किए हैं। भारतवासियों के लिए इङ्गलैण्ड की शासनपद्धति का का ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। योरप में इङ्गलैण्ड का स्थान राजनैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ऊँचा है। औद्योगिक क्रान्ति, जिसने संसार का आर्थिक स्वरूप ही बदल दिया, पहले पहल इंगलैण्ड में ही आरम्भ हुई थी। आजकल भी औद्योगिक क्षेत्र में इङ्गलैण्ड प्रमुख राष्ट्रों में है। ब्रिटिश

साम्राज्य में संसार के क़रीब एक-चौथाई आदमी निवास करते हैं, इङ्गलैण्ड संसार की प्रधान शक्तियों में गिना जाता है। ऐसे महान देश की शासन पद्धति और औद्योगिक क्रान्ति का ज्ञान प्राप्त करना सब के लिए आवश्यक है।

इस पुस्तक के प्रथम भाग में हम इङ्गलैण्ड की शासन-पद्धति की मुख्य बातें समझाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे भाग में इस देश की औद्योगिक क्रान्ति पर विचार किया जायगा।

इंगलैण्ड की भौगोलिक स्थिति—इस देश की शासन-पद्धति पर विचार करने से पहिले इङ्गलैण्ड की भौगोलिक स्थिति के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक है। साधारण बोलचाल में हम ब्रिटिश संयुक्त राज्य को भी इङ्गलैण्ड कहते हैं। इसमें इङ्गलैण्ड, वेल्स, स्काटलैण्ड, उत्तरी आयर्लैण्ड और खाड़ी के द्वीप शामिल हैं। इन सबमें इंगलैण्ड प्रधान है, इसलिये ब्रिटिश संयुक्तराज्य इंगलैण्ड के नाम से भी पुकारा जाता है। इंगलैण्ड, वेल्स और स्काटलैन्ड को ग्रेटब्रिटेन भी कहते हैं। ग्रेटब्रिटेन योरप के पच्छिम में चारों ओर से समुद्र से घिरा एक सुरक्षित टापू है। इसके दक्षिण भाग में इंगलैन्ड और वेल्स हैं। उत्तर में पहाड़ों से परे स्काटलैंड है। ग्रेटब्रिटेन के पास ही एक दूसरा टापू है, जिसे आयर्लैंड कहते हैं। इसका उत्तरी भाग संयुक्त राज्य में है, और दक्षिण भाग ब्रिटिश साम्राज्य का एक स्वतन्त्र भाग है, उसे आयरिश-फ्री स्टेट कहते हैं। इङ्गलैंड (ब्रिटिश संयुक्त राज्य) का क्षेत्र-फल ६५ हजार वर्गमील

और जन संख्या लगभग चार करोड़ साठ लाख है। इस प्रकार यह क्षेत्र-फल और जन संख्या दोनों में हमारे संयुक्त प्रान्त से छोटा है।

भौगोलिक स्थिति से लाभ—इङ्गलैंड योरप में अमरीका और अफ्रीका के बीच ऐसे मौके की जगह पर है कि भिन्न भिन्न देशों का व्यापारिक माल इस राज्य के पास से गुजरता है और सब जगहों का माल यहाँ आसानी से आ सकता है। इस प्रकार एक तरह यह राज्य समुद्र के चौराहे पर है। इससे यहाँ के निवासियों को संसार के विविध देशों से व्यापार करके लाभ उठाने की बड़ी सुविधा है। समुद्र का किनारा कटा होने के कारण यहां कई अच्छे बन्दरगाह हैं। विदेशों से माल लाने ले जाने के लिये प्रकृति ने इसे अच्छे साधन दिये हैं। भीतरी व्यापार के लिये नदियों ने बड़ी सुविधा प्रदान की है; कोई भी स्थान समुद्र से २५० मील से दूर नहीं है। इन्हीं कारणों से व्यापार में इङ्गलैंड ने काफी उन्नति की है। समुद्र से घिरे रहने के कारण, यह योरप के राज्यों के आक्रमणों से सदैव सुरक्षित रहा है, और अपने साम्राज्य का विस्तार तथा इतनी उन्नति कर पाया है।

शासन-विधान किसे कहते हैं—इङ्गलैन्ड के शासन-विधान के सम्बन्ध में विचार करने से पहिले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि शासन-विधान किसे कहते हैं? प्रत्येक राज्य में शांति स्थापित रखने और निवासियों की सामूहिक उन्नति करने के लिये एक ऐसी संस्था की जरूरत होती है

जो आवश्यक नियम बनाये, उन नियमों का पालन कराये, और नियमों के पालन न करने वालों को दण्डित करे तथा देश को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखे। इस संस्था को सरकार कहते हैं। सरकार के भिन्न भिन्न अङ्गों के सङ्गठन, कर्तव्य, अधिकार और पारस्परिक सम्बन्ध आदि के नियमों या कानूनों को शासन विधान कहते हैं।

ब्रिटिश सरकार के अंग--प्रत्येक राज्य में विविध कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार को तीन भागों में बाँटा जाता है (१) व्यवस्थापक मंडल, यह राज्य के लिये कानून बनाता है, और शासन सुचारु रूप से चलाने के लिये प्रस्ताव स्वीकार करता है (२) प्रबन्ध कारिणी, यह राज्य के नियमों का पालन कराती है और व्यवस्थापक सभा के द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार काम करती है। (३) न्याय विभाग, इसके द्वारा कानून की व्याख्या की जाती है और कानून भंग करने वालों को दंड दिया जाता है।

भिन्न भिन्न शासन पद्धतियों में इन तीनों विभागों के पारस्परिक सम्बन्ध अलग अलग प्रकार के रहते हैं। कहीं तो ये तीन विभाग पृथक् पृथक् होते हैं कहीं एक ही अधिकारी दो या तीन विभागों का कार्य संपादित करता है।

इङ्गलैन्ड की सरकार के तीन भाग हैं। कानून या नियम बनाने वाली संस्था को पार्लिमेंट कहते हैं, इसमें दो सभाएँ हैं। लार्ड सभा या हाउस आफ लार्डस; और कामन्स सभा या हाउस आफ कामन्स। प्रबन्धकारिणी के तीन अंग हैं। बादशाह,

केबिनेट या मंत्रिमण्डल, और सिविल सरविस। न्याय विभाग के अंतर्गत न्यायालय हैं।

इंगलैण्ड की शासनपद्धति का महत्व—भारतवासियों के लिए इंगलैन्ड की शासन-पद्धति का बहुत महत्व है। जैसा कि पहिले बतलाया जा चुका है, भारत का शासन-विधान पार्लिमेंट की स्वीकृति से चलाया जाता है। भविष्य में भी हमारा शासन कुछ कुछ इंगलैन्ड के ढंग पर रहने का अनुमान है।

इंगलैन्ड संसार के महान शक्तिशाली देशों में से एक है। उसकी शासन प्रणाली प्रजातन्त्रात्मक कही जाती है। संसार के अनेक देशों की शासन व्यवस्था इंगलैन्ड के शासन विधान के आधार पर है। इंगलैन्ड की पार्लिमेंट को दूसरे देशों की पार्लिमेंटों की जननी कहते हैं।

इंगलैन्ड की शासनपद्धति का महत्व इस विचार से और भी बढ़ जाता है कि इंगलैन्ड की आज की शासन व्यवस्था धीरे धीरे विकसित हुई है। समय समय पर इसमें आवश्यकतानुसार परिवतन किये गये हैं। उसका फल यह हुआ है कि जहाँ पहिले इंगलैन्ड में बादशाह के अधिकारों की कोई सीमा न थी, अब राजा के व्यक्तिगत अधिकार बहुत कम रह गए हैं और शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापक सभा के हाथ में आ गई है। इस प्रकार इंगलैन्ड ने अवैध राजतन्त्र से प्रजातंत्र की ओर प्रगति की है।

सारांश

सतरहवीं शताब्दी में अंगरेज भारत में व्यापार के लिए आये और सन् १८५७ में इस देश का शासन भी ब्रिटिश पार्लिमेंट के हाथ में चला गया। तब से इङ्गलैन्ड का बादशाह ही भारत का भी सम्राट होता है। राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से इङ्गलैंड का बड़ा महत्व है। औद्योगिक क्रान्ति की जन्मभूमि इङ्गलैंड ही है।

ब्रिटिश संयुक्त राज्य के स्थान पर इङ्गलैंड भी प्रयोग में लाया जाता है। इसमें इङ्गलैंड, वेल्स, स्काटलैंड, उत्तरी आयर्लैंड और मान द्वीप आदि शामिल हैं। यह योरप के पश्चिम में है। समुद्र से घिरे रहने के कारण सुरक्षित है। किनारा कटा होने के कारण यहाँ अच्छे अच्छे बन्दरगाह हैं। समुद्रों का चौराहा होने के कारण यहाँ व्यापार की काफी सुविधायें हैं।

शासन-विधान द्वारा सरकार के भिन्न भिन्न भागों का संगठन, कर्तव्य, अधिकार और पारस्परिक सम्बन्ध मालूम होते हैं।

सरकार के प्रायः तीन भाग होते हैं—(१) व्यवस्थापक मंडल (२) प्रबन्ध विभाग (३) न्याय विभाग। इङ्गलैंड की सरकार के निम्न-लिखित तीन अंग हैं—

(१) पार्लिमेंट (२) केबिनेट या मन्त्रिमंडल (३) न्याय विभाग। इङ्गलैंड की शासन-पद्धिति का जानना बहुत आवश्यक है। उसका भारतवर्ष से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इङ्गलैंड की शासन पद्धति क्रमशः विकसित हुई है। अपने ढंग की सब से पुरानी शासन प्रणाली है और बहुत से देशों की शासन-पद्धति इसी के ढंग पर बनाई गई है।

प्रश्न

(१) इङ्गलैंड की भौगोलिक स्थिति से इङ्गलैंड को क्या लाभ हैं ?

(२) संसार में इङ्गलैंड के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के प्रधान कारण क्या हैं ?

(३) शासन विधान की परिभाषा समझाइये और भारत के शासन-विधान का संक्षेप में वर्णन कीजिये।

(४) सरकार के प्रधान अङ्गों का वर्णन कीजिये। इङ्गलैन्ड की सरकार के प्रधान अङ्गों की भारत की सरकार के प्रधान अङ्गों से तुलना कीजिये।

(५) इङ्गलैन्ड की शासन-पद्धति का महत्व संक्षेप में समझाइये।

(६) भारतवासियों को इङ्गलैन्ड की शासन पद्धति का अध्ययन क्यों करना चाहिये?

दूसरा अध्याय

बादशाह और प्रिवी कौंसिल

हम बतला चुके हैं कि शासन के तीन अङ्ग होते हैं। उसमें बादशाह का प्रधान स्थान रहता है। इस अध्याय में हम इङ्गलैंड के बादशाह के अधिकार और कर्तव्यों के सम्बन्ध में विचार करते हैं।

बादशाह के पद का आरम्भ—नवीं शताब्दी से पूर्व इङ्गलैंड में बादशाह का पद नहीं था। सारा देश स्वतंत्र सरदारों के हाथों में था। प्रत्येक सरदार अपने कबीले का प्रधान होता था। इन सरदारों के अधिकार सीमित थे। हरेक जाति या कबीले की एक सभा होती थी। समय समय पर यह सभा अपनी जाति का दूसरे कबीले से लड़ना निश्चय करती थी; और प्रधान के मरने पर राजपरिवार के व्यक्तियों में से किसी को यह अपना मुखिया निर्वाचित करती थी। उस

समय यह विचार नहीं था कि राजा का बड़ा लड़का ही गद्दी का मालिक होना चाहिये। राजपरिवार का कोई भी निर्वाचित व्यक्ति मुखिया हो सकता था। यह समय बहुत अशान्ति का था। कोई न कोई सरदार आपस में लड़ते ही रहते थे। इस कारण राजा का प्रधान कार्य युद्ध में नेतृत्व करना और शान्ति काल में जाति की सभा का सभापति होना था। नवीं शताब्दी में एग्वर्ट नामक एक सरदार ने सबको जीत लिया और यह तय किया कि वह इन सब का बादशाह हो और अन्य सरदार आपस में न लड़ें। कुछ सरदार अब भी स्वतंत्र रह गये थे। अब इन सरदारों और कुछ धर्माधिकारियों की 'विटन जे माट' नाम की सभा बनी। इस सभा के अधिकार बादशाह को चुनना व सलाह देना था।

निरंकुश बादशाह—सन् १०६६ ई० में विलियम प्रथम नार्मंडी (फ्रांस) से इङ्गलैंड आया और शीघ्र ही वह सेलनिक की लड़ाई में जीतने के बाद इङ्गलैण्ड का बादशाह निर्वाचित किया गया। इसी समय नार्मन लोगों ने इङ्गलैंड में जमीन प्राप्त की और सामन्तशाही का आरंभ हुआ। तब से यह विचार भी जोर पकड़ता गया कि बादशाह का बड़ा लड़का ही उत्तराधिकारी हो। धीरे धीरे बादशाह वंशानुक्रम से होने लगा और उसके अधिकार बढ़ते गये।

तेरहवीं शताब्दी के आरंभ में कुछ सरदारों ने आन्दोलन किया कि बादशाह के अधिकार सीमित किये जाने चाहिये। पीछे इन लोगों ने आन्दोलन में निम्न वर्ग को भी शामिल कर

लिया। उसका फल यह हुआ कि बादशाह जान को सन् १२१५ में मेगनाचार्टा नामक अधिकार पत्र देना पड़ा। इसकी मुख्य बातें ये थीं—बादशाह अपने कार्यों में प्रजा की सम्मति ले और प्रजा एक आदमी (बादशाह) के बजाय कानून द्वारा शासित हो। इन्हीं दो सिद्धान्तों के आधार पर बहुत से कानून बने। तेरहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी में पार्लिमेंट ने कई प्रकार के राजनैतिक अधिकार प्राप्त किये। इसने एडवर्ड द्वितीय, रिचर्ड द्वितीय और रिचर्ड तृतीय से उनके मनमाने कार्यों के लिए जवाब तलब किया। इस प्रकार इङ्गलैण्ड का शासन निरंकुश राजतंत्र से वैध राजतंत्र की ओर प्रगति करने लगा।

चार्ल्स प्रथम १६२५ में गद्दी पर बैठा। वह बहुत निरंकुश और अधिक खर्च करने वाला था। उसका दावा था कि राजा का गद्दी पर दैवी अधिकार है और वह अपने इच्छानुसार चाहे जो नियम बना सकता है। परन्तु पार्लिमेंट इस विचार से सहमत नहीं थी। चार्ल्स प्रथम को सदैव खर्च के लिए पार्लिमेंट की स्वीकृति की आवश्यकता होती थी। परन्तु पार्लिमेंट रुपये देना स्वीकार नहीं करती थी। उसने बार बार पार्लिमेंट बुलायी और भंग की। अन्त में उसने पार्लिमेंट से रुपये की स्वीकृति न मिलने पर दबाव डालकर प्रजा से कर्ज लेना आरंभ किया; कई धनी व प्रतिष्ठित आदमियों को जेल में डाल दिया। इन सब बातों से प्रजा और राजा में भयंकर संघर्ष पैदा हो गया। गृह-युद्ध हुआ और सन् १६४९ में चार्ल्स प्रथम मार डाला गया। सन्

१६४६ ई० से सन् १६६० ई० तक कोई बादशाह न रहा। बिना बादशाह के क्रामवैल की अध्यक्षता में शासन कार्य किया गया। इस समय भी अराजकता से तंग आकर लोगों का विचार हुआ कि शासन-प्रबन्ध के लिये बादशाह आवश्यक है। सन् १६६० ई० में चार्ल्स द्वितीय को गद्दी दी गई। इसने १६८५ तक राज्य किया। इसके बाद जेम्स द्वितीय बादशाह बना। इसने लोकमत के विरुद्ध कई काम किये। जेम्स द्वितीय की निरंकुशता व स्वेच्छाचारिता से तंग आकर सात सरदारों ने विलियम आफ आरेंज को राज्य सम्हालने के लिये ३० जून १६८८ को निमन्त्रित किया। यही व्यक्ति विलियम तृतीय के नाम से बादशाह बना। जेम्स द्वितीय ने परिस्थिति गम्भीर जानकर इङ्गलैण्ड छोड़ना ही उचित समझा और फ्राँस में लुई चौदहवें के पास चला गया। इन सब घटनाओं से हम देखते हैं कि धीरे धीरे बादशाह के अधिकार कम होते गये और पार्लिमेंट शक्ति शाली होती गयी।

बादशाह के उत्तराधिकारी का नियम—सन् १७०१ ई० में एक्ट आफ सेटलमेंट या उत्तराधिकार नियम पास हुआ। इससे यह निश्चय हो गया कि इङ्गलैण्ड में बादशाह वंशानुक्रम से होंगे परन्तु वह गद्दी पर तभी तक रह सकेंगे जब तक उन्हें पार्लिमेंट चाहे। इस नियम के अनुसार यह निश्चित किया गया कि राज्य जेम्स प्रथम की पोती, सोफिया के वंशजों को मिले। इस एक्ट से बादशाह का पद गुण-कर्मानुसार नहीं दिया जाता बल्कि वह वंशगत है। बादशाह के मरने पर उसके बड़े लड़के को, उसके जीवित न होने पर उसके बड़े लड़के

को, और लड़का न हो तो लड़की को राजगद्दी दी जाती है। यदि बादशाह के बड़े लड़के की कोई सन्तान न हो, तो बादशाह का दूसरा लड़का और उसके जीवित न होने पर उसकी सन्तान राजगद्दी की अधिकारी होती है। यदि बादशाह का कोई लड़का या उसकी सन्तान जीवित न हो तो बादशाह की सबसे बड़ी लड़की या उसकी सन्तान गद्दी की अधिकारिणी होती है। राजगद्दी पर बैठनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को यह शपथ लेनी पड़ती है कि वह प्रोटेस्टैंट मत का ईसाई है। यदि वह रोमन कैथलिक मत का या अन्य किसी धर्म का अनुयायी हो तो वह राज्य-धिकार से वंचित कर दिया जाता है।

बादशाह के अधिकार—अब हम वर्तमान बादशाह के अधिकारों का वर्णन करते हैं। बादशाह के निम्नलिखित अधिकार हैं—(१) शासन संबंधी अधिकार (२) पार्लिमेंट सम्बन्धी अधिकार; (३) न्याय संबंधी अधिकार, और इनके अलावा बादशाह के विशेष अधिकार भी हैं। इनके बारे में खुलासा विचार आगे किया जाता है।

बादशाह सारे राज कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। जजों तथा कुछ अन्य कर्मचारियों को छोड़कर वह उनको उनके पद से हटा भी सकता है। व्यावहारिक रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति सिविल सरविस की परीक्षा द्वारा होती है और उनका पद स्थायी होता है। जजों को तब ही निकाला जा सकता है जब दोनों व्यवस्थापक सभाएँ इस आशय का प्रस्ताव पास कर दें। बादशाह का जल सेना, स्थल सेना और हवाई सेना पर

पूर्ण अधिकार है। वह चाहे तो सेना को बरखास्त भी कर सकता है। बादशाह स्थानीय शासन व्यवस्था की निगरानी करता है और उस विषय में आदेश भी देता है। यह कार्य बोर्ड आफ़ ट्रेड और स्वास्थ्य विभाग आदि द्वारा पूरा किया जाता है। बादशाह परराष्ट्र सम्बन्धी मामलों की देखभाल करता है। विदेश मन्त्री, राजदूतों व सलाहकारों की नियुक्ति आदि अन्य कार्य भी बादशाह करता है। दूसरे राष्ट्रों से युद्ध घोषणा करना और सुलह करना भी बादशाह के हाथ में है। परन्तु युद्ध के खर्चे के लिए पार्लिमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है। सन्धि प्रस्तावों और समझौतों पर बादशाह पार्लिमेंट की अनुमति लिए बिना भी स्वीकृत दे सकता है बशर्ते कि रुपये खर्च करने की आवश्यकता न हो और देश का कोई भाग न देना पड़े। उपनिवेशों के सम्बन्ध में बादशाह के अधिकार अब भी महत्व-पूर्ण हैं। उपनिवेशों और भारत के सम्बन्ध में बादशाह को कानून बनाने और कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशों में बादशाह के अधिकार नाम मात्र के हैं; और वह वहाँ भी वैधानिक सम्राट ही है। बादशाह को प्राण दण्ड पाये व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने का भी अधिकार प्राप्त है।

पार्लिमेंट से पास हुआ कानून तभी अमल में आता है जब उसके लिए बादशाह स्वीकृति दे दें। सम्राज्ञी एन (१७०२-१४) के समय से अब तक कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब बादशाह ने पार्लिमेंट के पास किये हुए किसी प्रस्ताव पर अपनी

स्वीकृति न दी हो। इससे मालूम होता है कि बादशाह की स्वीकृति एक जाव्ते की चीज है। बादशाह पार्लिमेंट की बैठक बुलाता है, स्थगित करता है और भंग भी करता है। साल में एक बार पार्लिमेंट को बुलाना आवश्यक है।

बादशाह ही न्याय का श्रोत माना जाता है। न्यायाधीशों द्वारा किया गया न्याय बादशाह के नाम पर किया जाता है और वह न्याय बादशाह द्वारा किया हुआ समझा जाता है। इंगलैंड में बादशाह को पार्लिमेंट की स्वीकृति से न्यायालय बनाने और तोड़ने का अधिकार है। वह जजों को नियुक्त करता है, परन्तु बिना पार्लिमेंट की अनुमति के वह उन्हें निकाल नहीं सकता। भारत और अन्य उपनिवेशों के लिए बादशाह ही अपील सुनने का अधिकारी है। (प्रिवी कौंसिल की एक कमेटी बादशाह को न्याय सम्बन्धी मामलों में सलाह देती है।)

बादशाह इंगलैंड की चर्चों (धार्मिक संस्थाओं) का प्रधान है। वह आर्क-विशप (लाट पादरी) और चर्च के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। धर्म सम्बन्धी सब मामलों में बादशाह ही ब्रिटिश संयुक्त राज्य में प्रधान है। बादशाह उपाधि और अन्य पदवियाँ प्रदान करता है। ऊपर कहे गये अधिकारों को बादशाह कभी स्वेच्छा से व्यवहार में नहीं लाता वरन मंत्री-मंडल की इच्छानुसार ही उनका प्रयोग करता है।

बादशाह के विशेष अधिकार—बादशाह को कुछ विशेष अधिकार ऐसे भी हैं जो उसे कानून से प्राप्त नहीं हैं। इन अधिकारों को वह पार्लिमेंट की अनुमति के बिना ही काम में ला

सकता है। ये अधिकार बादशाह के पुराने अधिकारों के अवशेष हैं। विशेष अधिकार अनिश्चित व असीमित हैं। इन अधिकारों के अनुसार बादशाह पार्लिमेंट की अनुमति के बिना सेना के हथियार रखवा सकता है, सरकारी नौकरों को बरखास्त कर सकता है, युद्ध और सन्धि कर सकता है, साम्राज्य के किसी भी निवासी को लार्ड बना सकता है, अपराधियों को दया प्रदान कर सकता है।

इस प्रकार अंगरेजी शासन पद्धति के अनुसार चलता हुआ भी बादशाह कई ऐसे कार्य कर सकता है जिनसे देश की आन्तरिक उन्नति में तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बहुत बाधा पहुंचे। परन्तु वास्तव में जैसा कि पहिले कहा गया है आजकल वह कोई भी कार्य अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता; वह अपने अधिकारों को, अपने मन्त्रियों की सलाह बिना अमल में नहीं लाता। बादशाह जो भाषण देता है, वह भी प्रधान मन्त्री या अन्य मंत्रियों द्वारा लिखा होता है; उसका अन्य राज्यों से जो पत्र व्यवहार होता है वह मन्त्रियों से छिपा नहीं रहता। बादशाह अपना विवाह भी मन्त्रियों की इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकता।

बादशाह का उत्तरदायित्व—कहा जाता है कि बादशाह कोई गलती नहीं कर सकता। बात यह है कि बादशाह अपने द्वारा किये किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता। प्रत्येक कार्य जो बादशाह द्वारा किया जाता है, उसके लिए उस कार्य सम्बन्धी विभाग का मंत्री उत्तरदायी होता है।

प्रत्येक आज्ञा पत्र पर बादशाह के साथ किसी न किसी मंत्री के भी हस्ताक्षर होते हैं। यदि किसी अधिकार का प्रयोग गैर कानूनी साबित होता है तो वह मन्त्री बादशाह के नाम की आड़ लेकर नहीं बच सकता।

शासन विधान में बादशाह का महत्व—यद्यपि बादशाह सब कार्य मंत्रियों के परामर्श से करता है फिर भी शासन पद्धति में उसका कुछ न कुछ महत्व रहता ही है। वह आवश्यकतानुसार मन्त्रियों को प्रोत्साहन या चेतावनी देता है। अपने अधिकारों का उचित उपयोग करके महारानी विक्टोरिया, सप्तम् एडवर्ड तथा पञ्चम जार्ज जैसे बादशाह इङ्गलैण्ड के शासन कार्य में और विशेष रूप से वैदिशिक मामलों में विशेष प्रभाव डालते रहे हैं। मन्त्रिमन्डल बनते और बिगड़ते हैं, परन्तु बादशाह सारे देश की एकता का सूत्र है। वह शासन कार्य की श्रङ्खला को बनाये रखता है। बादशाह राज्य के विविध रहस्यों को जानता है और शासन नीति के व्यवहार के सम्बन्ध में उसका अनुभव प्रायः मन्त्रियों की अपेक्षा अधिक होना स्वाभिवक ही है। समझदार बादशाह का प्रभाव केवल प्रधान मन्त्री को छोड़कर और सब व्यक्तियों की अपेक्षा प्रायः अधिक रहता है। यही कारण है कि यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से उसके अधिकार कम होते गये हैं परन्तु उसका मान जनता के हृदय में बढ़ता गया है। बादशाह ही ब्रिटिश साम्राज्य की एकता का प्रमुख चिन्ह है; सम्पूर्ण साम्रज्य उसे अपना सम्राट् मानता है। बादशाह इंगलैड में धर्म का भी प्रधान है इसलिए उसमें लोगों

को दैवीशक्ति का आभास प्रतीत होता है और आदमी उसके नाम से निकाली गई आज्ञाओं को पालना अपना धर्म समझते हैं।

स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार बादशाह शासन कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। पार्लिमेंट ने उससे इतने अधिकार ले लिये हैं कि वह केवल वैध शासक रहगया है। बादशाह सब राजनैतिक दलों से परे है, वह किसी दल का सदस्य नहीं हो सकता। अंगरेजी शासन विधान में बादशाह सम्मान की वस्तु है भय की नहीं। इङ्गलैण्ड में बादशाह का पद ८०० वर्ष से चला आ रहा है। इस पद की मान मर्य्यादा अब भी बनी हुई है। हाँ, वहाँ के प्राचीन बादशाह और अब के बादशाहों में, अपनी इच्छानुसार अधिकार का उपयोग करने के संबन्ध में जमीन आसमान का अन्तर है। व्यावहारिक दृष्टि से आजकल बादशाह पुरानी राज सत्ता का छाया-मात्र है।

शाही खर्च—बादशाह को इङ्गलैण्ड में उसके परिवार और अपने खर्च के लिये एक निर्धारित रक़म मिलती है। इस रकम को पार्लिमेंट प्रतिवर्ष पास करती है। इसको सिविल लिस्ट कहते हैं। जब बादशाह गद्दी पर बैठता है उस समय यह रकम निर्धारित करदी जाती है। उसके जीवन काल में यह रकम बदली नहीं जाती। उसे जीवन भर यह निर्धारित रकम मिलती रहती है। एक बादशाह के मरने पर शाही खर्च की जाँच होती है और नये बादशाह की आवश्यकताओं के अनुसार शाही खर्च की नयी रकम निर्धारित की जाती है। अन्य

विषयों की भाँति पार्लिमेंट इस विषय पर भी बहस करती है। और पार्लिमेंट का उसपर पूर्ण नियंत्रण रहता है। एक बादशाह का शासन काल समाप्त होने पर शाही खर्च का ब्यौरा प्रकाशित किया जाता है। बादशाह के पास निजी जायदाद काफ़ी होती है पर यह सब जायदाद राष्ट्र को समर्पित कर दी जाती है, और बादशाह को अपने तथा अपने परिवार के लिए पार्लिमेंट की उदारता पर निर्भर रहना पड़ता है। इस समय बादशाह को प्रतिवर्ष मिलनेवाली कुल रकम ४,१०,००० पौंड है; इसमें से १,१०,००० बादशाह के प्रिवी पर्स (निजी खर्च); १,३४,००० पौंड महल के कर्मचारियों का वेतन और पेंशन; १,५२,८०० पौंड महल का खर्च, भोजन वस्त्र आदि १३,२०० पौंड दान और पारितोषिक आदि के लिये होते हैं। बादशाह की सन्तान तथा भाइयों के लिये अलग अलग रकमें निर्धारित हैं। सब शाही खर्च मिलाकर इंगलैंड की कुल वार्षिक आय के एक प्रतिशत के पन्द्रहवें भाग से अधिक नहीं होता।

प्रिवी कौंसिल—नार्मन लोगों के आने तक इंगलैंड में विटन-सभा थी जिसका कार्य बादशाह को सलाह देना था। बारहवीं शताब्दी के मध्य तक इस सभा का रूप कुछ बदल गया और यह बड़े बड़े सरदारों, जागीरदारों और पादरियों की एक महासभा हो गयी। इसे उस समय 'ग्रेट कौंसिल' भी कहा जाता था। राज्य या दरबार के पदाधिकारियों में से जो व्यक्ति इस सभा के सदस्य होते थे, और वे अधिकतर बादशाह के पास रहते थे; उनकी धीरे धीरे एक स्थायी कमेटी बन गयी।

पीछे इस कमेटी के सदस्य इतने अधिक हो गये कि उन सबका बादशाह से घनिष्ट संबंध न रह सका। अतः पन्द्रहवीं शताब्दी में बादशाह को सलाह देनेवाली इसकी एक छोटी कमेटी बनी; यह प्रिवी कौंसिल अर्थात् गुप्त सभा कहलाने लगी। प्रिवी कौंसिल का कार्य शासन कार्य में बादशाह को सलाह देना है।

इस सभा के अधिकार अब बहुत कम हो गये हैं। जब कभी बादशाह को ऐसी आज्ञा निकालनी होती है, जिसमें इस सभा की अनुमति की आवश्यकता हो तो इस सभा का अधिवेशन किया जाता है। ऐसे अधिवेशनों के मौके पर छः सदस्य बुला लिये जाते हैं जो प्रायः मन्त्रिमंडल के सदस्य होते हैं। सभा का कोरम तीन सदस्यों का है। बादशाह इस सभा में उपस्थित नहीं होता। प्रिवी कौंसिल के सभापति को लार्ड प्रेसीडेंट कहते हैं। यह सदैव मंत्रि-मंडल का सदस्य होता है।

'बादशाह की परिषद' कहने से इसी सभा का आशय लिया जाता है। इस सभा की सलाह से बादशाह की जो आज्ञाएँ निकलती हैं उन्हें सपरिषद बादशाह की आज्ञाएं (आर्डस-इन-कौंसिल) कहा जाता है।

इस सभा के सब सदस्यों की संख्या प्रायः तीन सौ से ऊपर होती है। इसके सदस्य निम्न-लिखित व्यक्ति होते हैं।

(१) मंत्रिमंडल के सब भूतपूर्व तथा वर्तमान सदस्य (२) मुख्य राज्याधिकारी (३) राजपरिवार के सदस्य (४) आर्क बिशप तथा अन्य बिशप (५) बहुत से लार्ड, जिनमें प्रायः वे सब व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने स्वदेश में तथा विदेश में उच्च पदों पर का

किया हो। (६) कुछ मुख्य मुख्य भूतपूर्व
धीश (७) उपनिवेशों और भारतवर्ष के कुछ राजनीतिज्ञ और (८) इस सभा के सदस्य की उपाधि वाले सज्जन।

बादशाह को अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति के इस सभा का सदस्य बनाये। सदस्य प्रायः वे व्यक्ति बनाये जाते हैं, जिन्होंने राजनीति, साहित्य, विज्ञान, शासन या युद्ध आदि क्षेत्रों में विशेष सेवा की हो। सदस्य आजीवन होते हैं, और 'राइट आनरेबल' की उपाधि से सम्मानित होते हैं। सभा के सब सदस्य उस समय आमंत्रित किये जाते हैं, जब नये बादशाह का राज्याभिषेक होता है; और वह प्रचलित कानून के अनुसार शासन करने की प्रतिज्ञा करता है। 'कामन्स' सभा का अधिवेशन कराने तथा स्थगित कराने के लिए बादशाह के घोषणा पत्र इस सभा में तैयार होते हैं।

प्रिवी कौंसिल की न्याय-उपसमिति ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों तथा ब्रिटिश भारत की उच्चतम अदालतों की अपील सुनती है, और साम्राज्य के देशों की सबसे बड़ी अदालत है। इसके फैसलों की कहीं अपील नहीं होती। इसमें ब्रिटिश उपनिवेशों के मुकद्दमे तो बहुत कम आते हैं। अधिकतर भारतवर्ष के ही मामले पेश होते हैं। इस उपसमिति के कुछ न्यायाधीश भारतीय भी रहते हैं। इसके सब सदस्यों को वेतन मिलता है। भारतवासी बोलचाल में इस उपसमिति को ही 'प्रिवी कौंसिल' कहते हैं।

सारांश

नवीं शताब्दी से पूर्व इङ्गलैण्ड में अनेक स्वतन्त्र सरदार होते थे। नवीं शताब्दी में उन्हें एक बादशाह के आधीन किया गया। बादशाह इन्हीं लोगों के द्वारा निर्वाचित होता था। इन सरदारों आदि की सभा विटन सभा कहलाती थी। यह सभा बादशाह को शासन सम्बन्धी मामलों में सलाह देती थी। नार्मन काल के प्रारम्भ अर्थात् सन् १०६६ ई० से राजगद्दी वंशानुक्रम से मिलने लगी। निरंकुशता के कारण १६४१ में चार्ल्स प्रथम को प्राण दण्ड दिया गया। १६८९ में जेम्स निकाल दिया गया। १७०१ में 'एक्ट आफ सेटलमेंट' के अनुसार बादशाह के उत्तराधिकार के नियम निश्चित किये गये।

बादशाह के अधिकार :—वह पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है, निकाल भी सकता है। उसका सेना पर पूर्ण अधिकार है। युद्ध घोषणा और सुलह कर सकता है। परन्तु युद्ध के लिए रुपया पार्लिमेंट की अनुमति बिना खर्च नहीं कर सकता। विदेशी मामलों में उसे राजदूत नियुक्त करने का अधिकार है। उसे उपनिवेशों में कानून बनाने, न्याय करने और क्षमा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी कानून उसकी स्वीकृति के बिना नहीं बन सकता। वह चर्च का प्रधान है। बादशाह उपाधि और पद आदि देता है। परन्तु यह सब कार्य वह अपनी इच्छानुसार नहीं करता। वह ये कार्य अपने मन्त्रियों की सलाह के अनुसार ही करता है। वह अपने शासन संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। बादशाह गलती नहीं कर सकता।

बादशाह मन्त्रियों को प्रोत्साहन व चेतावनी आदि देता है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्र का प्रतिनिधि है। शासन कार्य में साधारण मन्त्री से अधिक ज्ञान रखता है। बादशाह के व्यावहारिक अधिकार घट रहे हैं पर सम्मान बढ़ रहा है।

बादशाह का शाही खर्चा पार्लिमेंट निश्चित करती है। वर्तमान

समय यह ४,१०,००० पौंड है। प्रत्येक बादशाह के राजगद्दी पर बैठने पर उसका भत्ता निश्चित किया जाता है और यह उसे जीवन भर मिलता रहता है।

प्रिवी कौंसिल बिटन सभा का ही विकसित रूप है। इसका काम बादशाह को सलाह देना है। बादशाह के साथ इसके भी अधिकार बहुत कम हो गये हैं। तीन मेंबरों से इसका कोरम पूरा हो जाता है। न्याय उपसमिति में उपनिवेशों व भारत की सर्वोच्च अदालतों की अपील सुनी जाती है।

प्रश्न

१—१६८८ से पूर्व इङ्गलैन्ड के बादशाह के अधिकार क्या थे?

२—इङ्गलैन्ड के बादशाह के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम समझाइये। किन किन दशाओं में लड़की को राजगद्दी मिल सकती है?

३—'बादशाह गलती नहीं कर सकता' का क्या अर्थ है?

४—प्रिवी कौंसिल का विकास किस प्रकार हुआ? अब उसके क्या अधिकार है, तथा उसके सदस्य कौन कौन होते हैं?

५—प्रिवी कौंसिल की न्याय उपसमिति के कार्यों की विवेचना कीजिये।

६—इङ्गलैन्ड में बादशाह के सम्मान बढ़ने के कारण क्या हैं?

७—इङ्गलैन्ड के बादशाह के अधिकार किस प्रकार धीरे धीरे कम होते गए? वर्तमान समय में उसको क्या अधिकार प्राप्त हैं और उनका उपयोग वह किस प्रकार करता है?

८—इङ्गलैन्ड के बादशाह के अधिकार और कर्तव्यों की तुलना भारतीय नरेशों के अधिकारों और कर्तव्यों से कीजिये।

९—भारत के सम्बन्ध में इङ्गलैन्ड के बादशाह को क्या अधिकार प्राप्त है, और वह उनका उपयोग किस प्रकार करता है?

तीसरा अध्याय

केबिनेट या मन्त्रिमण्डल

पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है कि बादशाह अपने शासन सम्बन्धी सब कार्य मंत्रियों या मन्त्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही करता है। इस अध्याय में हम मंत्रिमंडल का संगठन, उसके अधिकार और कर्तव्यों के सम्बन्ध में विचार करते हैं।

केबिनेट ब्रिटिश सरकार की कार्यकारिणी का मुख्य भाग है। इसे इङ्गलैन्ड के शासन विधान का केन्द्र बिन्दु कहा जा सकता है क्योंकि सरकार की पूरी मशीन इसको स्थिर मानकर इसीके चारों ओर घूमती है। इसके अधिकार असीमित हैं बशर्ते की इसका कामन्स सभा में बहुमत रहे। इतना होते हुये भी केबिनेट का शासन-विधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है।

केबिनेट का विकास—चार्ल्स प्रथम ने पहली बार प्रिवी कौंसिल के कुछ सदस्यों को अपने सलाहकारी के रूप में चुना था। इस समय तक न तो पार्लिमेंट के हाथ में राज्यकी सत्ता ही थी और न पार्टी प्रथा का जन्म ही हुआ था। इन दो कारणों से मन्त्रिमंडल अभी गर्भावस्था में ही था।

चार्ल्स द्वितीय ने अपने सलाहकारों की केबिनेट नामक एक समिति बनाई। इस प्रकार इसका अस्तित्व प्रिवी कौंसिल से अलग प्रकट होने लगा। इसी समय जनता में यह भावना

उत्पन्न होने लगी कि मन्त्रिमंडल उत्तरदायी होना चाहिये। दलबन्दी-प्रथा का आरम्भ भी इसी समय में हुआ। उस समय कामन्स सभा में सदस्यों के दो दल थे जो 'विग' और 'टोरी' कहलाते थे। विलियम तृतीय ने सबसे पहिले विग और टोरी दल से अपना मन्त्रिमण्डल चुना। इस मन्त्रिमण्डल में प्रधान मन्त्री का कोई स्थान नहीं था। यह मिश्रित मन्त्रि-मन्डल अधिक समय तक न चल सका। बादशाह जार्ज प्रथम ने विग दल के नेता वालपोल को प्रथम बार अपना मन्त्रिमन्डल बनाने को निमन्त्रित किया। सन् १८०१ ई० तक एक दल से मन्त्रिमन्डल बनाने की प्रथा पूर्ण रूप से व्यवहार में नहीं आई परन्तु इसके बाद से तो यह अलिखित नियम सा हो गया। साधारण अवस्था में मन्त्रिमन्डल एक ही दल से बनता है। मन्त्रिमन्डल का शासन कार्य में महत्व बढ़ने का कारण यह भी था कि जार्ज प्रथम जर्मन था और वह अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ था, इस कारण सारा राज्य का कार्य मन्त्रिमन्डल को ही करना पड़ा। सन् १७४२ में कामन्स सभा में एक वोट से हारने पर वालपोल ने इस्तीफा दे दिया। यद्यपि उसे जार्ज द्वितीय का विश्वास प्राप्त था परन्तु उसने त्याग पत्र देना ही उचित समझा। इससे आगे के लिये यह एक उदाहरण ही नहीं, नियम हो गया कि यदि मन्त्रिमन्डल किसी प्रस्ताव पर बहुमत प्राप्त न कर सके तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये। इसी प्रकार धीरे धीरे केबिनेट का विकास होता गया और मन्त्रिमन्डल ने आज का रूप पाया।

सन् १६१४ के महायुद्ध में सारे दलों में समझौता हो जाने

से मिश्रित मंत्रिमंडल या कोलिशन मिनिस्ट्री की स्थापना हुई। युद्ध कार्य को भली भाँति सम्पादित करने के लिए लाइड जार्ज तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने युद्ध-मन्त्रिमंडल में बड़े बड़े जनरल और युद्ध विशेषज्ञ भी सलाह देने के लिए बुलाये। आरम्भ में इसमें पांच सदस्य थे परन्तु बाद में जनरल स्मटस को भी शामिल कर लिया गया था। युद्ध-मन्त्रिमंडल में जनरल स्मटस एक ऐसे सदस्य थे जो ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। सन् १९१९ ई० में युद्ध-मन्त्रिमंडल भंग कर दिया गया। वर्तमान महायुद्ध में भी युद्ध मन्त्रिमंडल की स्थापना हुई है परन्तु इस बार इसके सदस्यों की संख्या अधिक है। युद्ध-मन्त्रि-मंडल का अध्यक्ष प्रधान मन्त्री ही होता है।

मंत्रिमंडल के सदस्य—इस स्थान पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि शासन का प्रत्येक कार्य एक मन्त्री के अधीन होता है। सब मन्त्रियों के समूह को मन्त्रिवर्ग या मिनिस्ट्री कहते हैं। मन्त्रिवर्ग में कुछ खास मन्त्री ऐसे होते हैं जो शासन नीति निर्धारित करते हैं। इन मन्त्रियों के समूह को मन्त्रिमंडल या केबिनेट कहते हैं। मन्त्रियों की संख्या निर्धारित नहीं है। प्रधान मन्त्री आवश्यकतानुसार उसमें कमी वेशी कर सकता है। साधारणतः मन्त्री वर्ग में लगभग ५० सदस्य होते हैं और मन्त्रिमंडल में २० या २१। मन्त्रिमंडल शासन सम्बन्धी सब कार्यों के लिए कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी है।

मंत्रिमंडल की विशेषतायें:—साधारणतः मन्त्रिमंडल में एक ही दल के सदस्य होते हैं। सब सदस्यों को एक ही नीति

के अनुसार कार्य करना होता है। मंत्रिमंडल का कामन्स सभा में बहुमत रहता है। असाधारण परिस्थितियों में मिश्रित मंत्रिमंडल भी बनाये जाते हैं। मिश्रित मन्त्रिमंडल में विभिन्न दलों के नेता भी सैद्धान्तिक प्रश्नों पर एक मत होते हैं।

मन्त्रिमंडल का उत्तरदायित्व दो प्रकार का है, एक कानूनी और दूसरा राजनैतिक। प्रत्येक कार्य जो बादशाह के नाम पर किया जाता है, उसके लिए मन्त्री अदालत में उत्तरदायी है। मन्त्रिमंडल अपने प्रत्येक कार्य के लिए कामन्स सभा के प्रति भी उत्तरदायी है। व्यवहार में मन्त्रिमंडल निर्वाचकों के प्रति ही उत्तरदायी है क्योंकि कामन्स सभा में हारने पर प्रधान मन्त्री बादशाह द्वारा पार्लिमेंट भंग करा सकता है और नया निर्वाचन कराता है। ऐसे निर्वाचन में उसी दल का नेता प्रधान मन्त्री हो सकेगा जिस दल का प्रभाव जनता पर अधिक होगा। मन्त्रिमंडल की जिम्मेदारी सामूहिक है किसी भी मन्त्री के किसी भी कार्य के लिये सम्पूर्ण मन्त्रिमंडल जिम्मेदार रहता है। आपस में मन्त्रियों में मतभेद हो सकता है परन्तु मन्त्रिमंडल के बाहर यह भेद किसी से भी प्रगट नहीं किया जाता।

सब मंत्री दोनों सभाओं में से किसी एक के सदस्य होते हैं। बाहर का भी कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है बशर्ते कि उसे बादशाह लार्ड बना दे या वह छः माह के अन्दर कामन्स सभा का सदस्य किसी क्षेत्र से चुन लिया जाय।

मंत्रि मंडल का निर्माण—नया चुनाव होने पर या मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर बादशाह किसी ऐसे सदस्य को

मंत्रि-मंडल बनाने के लिए निमन्त्रित करता है जो इस सभा के अधिक से अधिक सदस्यों को अपनी नीति में रख सके और उनका बहुमत प्राप्त कर सके। प्रधान मन्त्री दोनों सभाओं (लार्ड सभा व कामन्स सभा) से अपने मत के व्यक्तियों को चुनकर मन्त्रिवर्ग का निर्माण करता है। प्रायः प्रत्येक विभाग के दो मन्त्री होते हैं; एक कामन्स सभा का और दूसरा लार्ड सभा का। इससे यह लाभ होता है कि दोनों सभाओं में ऐसे आदमी रहते हैं, जिनका भिन्न भिन्न सरकारी विभागों से संबन्ध रहता है और वे लोग अपने विभाग से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों का भली भांति उत्तर दे सकते हैं।

हम पहिले बता चुके हैं कि अधिकांश दशाओं में मन्त्रि-मन्डल उस दल का होता है जिस दल का प्रधान मन्त्री होता है, परन्तु मिश्रित मन्त्रिमन्डल में अन्य दलों के सदस्य भी ले लिये जाते हैं। मिश्रित मन्त्रिमन्डल विशेष दशाओं में ही बनाये जाते हैं। मन्त्रियों के चुनाव का कार्य बहुत बुद्धिमत्ता का होता है क्योंकि सरकार की स्थिरता मन्त्रिमंडल के बुद्धिमत्ता पूर्वक किये चुनाव पर निर्भर होती है। प्रधान मन्त्री द्वारा चुने हुये मन्त्रियों को बादशाह मन्त्री नियुक्त करता है।

बादशाह और मंत्रिमंडल का सम्बन्ध—बादशाह द्वारा किये गये सारे राजनैतिक कार्यों के लिए मन्त्रिमंडल उत्तर-दायी होता है। इसी कारण जो भी कार्य बादशाह करता है वह किसी न किसी मन्त्री की सलाह से ही होता है। मन्त्रि-मंडल किसी कार्य को करने का निश्चय करता है और बादशाह

स्वीकृति देता है। इसी सिद्धान्त के आधार पर कहा जाता है कि बादशाह कोई गलती नहीं कर सकता। वैसे बादशाह को अधिकार है कि वह किसी प्रश्न पर अपनी स्वीकृति न दे। ऐसी दशा में मन्त्रिमंडल को इस्तीफा दे देना होता है और बादशाह को दूसरा प्रधान मन्त्री चुनना पड़ता है जो नया मन्त्रि-मंडल बनाता है। परन्तु यदि दूसरे मन्त्रिमंडल ने भी वही नीति अपनायी तो बादशाह कामन्स सभा भंग कर देता है। इस प्रकार नया चुनाव होकर फिर मन्त्रिमंडल बनता है, और यदि अब भी मन्त्रिमंडल वही नीति अपनाता है तो बादशाह को वह नीति स्वीकार करनी होती है, क्यों कि ऐसी दशा में कामन्स सभा में और बादशाह में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और बादशाह जानता है कि ऐसे ही संघर्ष में चार्ल्स प्रथम ने अपनी जान खोई और जेम्स द्वितीय निकाला गया था।

यदि किसी विशेष अवसर पर बादशाह अनुभव करता है कि कामन्स सभा जनता की प्रतिनिधि नहीं है तो वह उसे भंग भी कर सकता है। परन्तु यह कार्य भी बादशाह प्रधान मन्त्री की सलाह से करता है। बादशाह राजनैतिक दलबन्दियों से सदैव प्रथक है। कोई भी मन्त्री बादशाह का नाम किसी दल से साथ नहीं ले सकता। पहिले बादशाह निर्णय करते थे और और मन्त्री सलाह देते थे परन्तु अब मन्त्री निर्णय करते हैं और बादशाह स्वीकृति देता है। वर्तमान समय में बादशाह केवल उत्साह देने और चेतावनी देने का कार्य करता है। बादशाह कभी मन्त्रि मंडल की बैठकों में शामिल नहीं होता।

मंत्रिमंडल और पार्लिमेंट का सम्बन्ध—प्रत्येक मन्त्री अपने अपने विभाग के लिए और संपूर्ण मन्त्रिमंडल शासन नीति के लिए कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मन्त्रिमंडल हार जाता है तो प्रधान मन्त्री त्यागपत्र दे देता है। यद्यपि शासन विधान में उसका त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है परन्तु वालपोल के समय से ऐसा ही होता आया है और व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा होना आवश्यक भी है, क्योंकि आगे वार्षिक खर्चे की मांगों की स्वीकृति के समय क़ामन्स सभा मन्त्रियों का वार्षिक वेतन तथा उनके विभागों की मांग स्वीकार न करे तो मन्त्रिमंडल को शासन कार्य चलाना असंभव हो जायगा। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मन्त्रिमंडल कामन्स सभा के दबाव में रहता है, क्योंकि यदि इस मन्त्रिमंडल के त्याग-पत्र देने पर दूसरा मन्त्रि मंडल भी यदि यहीं नीति अपनाता है तो फिर उसे भी त्याग पत्र देना होगा और ऐसी दशा में कोई मन्त्रिमंडल बनाने को तैयार नहीं होगा। शासन कार्य में अड़चन पड़ेगी। दूसरे प्रधान मंत्री बादशाह द्वारा कामन्स सभा को भङ्ग भी करा सकता है। इसलिए कामन्स सभा के सदस्यों पर मन्त्रिमंडल का खासा प्रभाव रहता है।

मन्त्रिमंडल के कार्य—मन्त्रिमंडल को जब तक कामन्स सभा का विश्वास प्राप्त है तब तक उसे शासन संबंधी पूर्ण अधिकार है और प्रधान मन्त्री भी अपने पद पर संसार के किसी तानाशाह से कम नहीं होता। मन्त्रिमंडल की बैठक में

प्रधान मन्त्री सभापति होता है। मन्त्रिमंडल सब पर-राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्र की नीति निर्धारित करता है। उसी आधार पर यह निश्चय करता है कि सरकार की ओर से कौन कौन से कानूनी मसविदे या प्रस्ताव पार्लिमेंट में उपस्थित किये जायगें। प्रत्येक मन्त्री अपने अपने विभाग के लिये उत्तरदायी है और उन बातों का निर्णय जिनका अन्य विभागों से संबंध हो, मन्त्रिमंडल की बैठक में होता है। मन्त्रि मंडल में प्रत्येक बात का निर्णय बहुमत के अनुसार नहीं होता। वरन प्रधान-मन्त्री और कुछ अन्य मन्त्रियों की राय को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रायः सब बातों का निर्णय उन्हीं के मतानुसार होता है। मन्त्रिमंडल की सारी कार्यवाही गुप्त रखी जाती है। यदि किसी विषय में मतभेद भी होता है तो बाहर प्रगट नहीं किया जाता। यदि कोई मन्त्री इसके निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह अपने पद से इस्तीफा देने में स्वतंत्र है। परन्तु जब तक वह अपने पद से पृथक नहीं होता, उसका कर्तव्य है कि वह पार्लियामेंट में प्रधान मन्त्री का साथ दे और उसका समर्थन करे। यदि कोई मन्त्री मतभेद के कारण त्याग पत्र देता है तो उसे अधिकार है कि वह मतभेद के कारणों को पार्लिमेंट में प्रगट कर दे। यदि कोई मन्त्री ऐसा काम करे जो मन्त्रिमन्डल की एकता या सामूहिक जिम्मेदारी के विरुद्ध हो तो प्रधान मन्त्री को अधिकार है कि मन्त्री को त्यागपत्र देने के लिये बाध्य करे। मन्त्रिमन्डल के निर्णयों का कोई लिखित विवरण नहीं रखा जाता। महत्वपूर्ण निर्णयों की सूचना प्रधान मन्त्री बादशाह को दे देता है।

प्रधान मंत्री—इंगलैन्ड के शासन विधान में प्रधान मन्त्री का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण है, परन्तु फिर भी शासन विधान में उसके पद का जिक्र सन् १६०५ से पहले कभी नहीं किया गया। रायल प्रोक्लेमेशन (शाही घोषणा) में लाट पादरियों के बाद प्रधान मन्त्री का पद है। देश के कानून और विधान में कहीं भी प्रधान मन्त्री का स्थान नहीं है, फिर भी प्रधान मन्त्री बहुमत रखने वाले दल का प्रधान होता है। इंगलैंड के प्रधान मन्त्री को विधान के सम्बन्ध में अमेरिका के प्रेसीडेंट से अधिक अधिकार हैं। अमेरिका का प्रेसीडेंट विधान से बँधा हुआ है, परन्तु ब्रिटिश प्रधान मन्त्री विधान सम्बन्धी परिवर्तन भी कर सकता है। सारांश यह है कि वह वैधानिक राज्यों में सब से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है।

प्रधान मन्त्री के अधिकार निम्नलिखित हैं:—

१—प्रधान मन्त्री मन्त्रिमंडल का सभापति है, उसे मन्त्रियों को चुनने का अधिकार है। वह विशेष दशाओं में किसी मन्त्री को निकाल भी सकता है।

२—वह राज्य के सारे विभागों का निरीक्षक है।

३—वह मन्त्रि मंडल और बादशाह को संपर्क में लाने वाला मध्यस्थ है। उसका पद इतना महत्वपूर्ण है कि उसके त्यागपत्र देने से सारा मन्त्रिमंडल भंग हो जाता है।

४—वह पार्लिमेंट और मन्त्रि मंडल के बीच भी मध्यस्थ है। वह मन्त्रिमंडल की नीति पार्लिमेंट के सम्मुख रखता है। मन्त्री अपने विभाग के विषय में कुछ कह सकते हैं। परन्तु

नीति सम्बन्धी मामलों में वे प्रधान मन्त्री का ही अनुसरण करते हैं।

५—प्रधान मन्त्री सरकार की प्रत्येक कार्यवाही पर निगरानी रखता है। गम्भीर प्रश्नों पर बोलने का वह एक मात्र अधिकारी है।

६—वह बादशाह का राज्य एवं साम्राज्य सम्बन्धी मामलों में प्रधान सलाहकार है। उसका कार्य किसी बात को निश्चय करना है और बादशाह का उसपर स्वीकृति देना। बादशाह उसके कहने से पार्लिमेंट भंग भी करता है।

मन्त्रिमण्डल के सदस्यः—मंत्रिमंडल के निम्नलिखित पदाधिकारी होते हैं और उसके कार्य इस प्रकार हैं।

१—प्रधान मन्त्री और प्रधान कोषाध्यक्ष—प्रधान मन्त्री के कार्य बतलाये जा चुके हैं। वह प्रधान कोपाध्यक्ष भी बन जाता है। उसे दस हजार पौंड वार्षिक वेतन मिलता है। अवकाश ग्रहण करने पर उसे प्रति वर्ष दो हजार पौंड पेन्शन दी जाती है।

२—लार्ड प्रेसीडेन्ट-आफ-दि-कौंसिल—यह प्रिवी कौंसिल का सभापति होता है। इसे विशेष कार्य करना नहीं होता इसलिये वह अपना समय मंत्रिमंडल की नीति निर्धारित करने में लगाता है।

३—लार्ड चांसलर—यह लार्ड सभा, तथा ब्रिटिश संयुक्त राज्य के न्याय-विभाग, का प्रधान होता है और न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त, यह सरकार का मुख्य

कानूनी सलाहकार होता है। राजकीय मोहर इसी के पास रहती है। यह पद रोमन कैथलिक ईसाई को नहीं मिलता।

४—लार्ड प्रिवी सील—सन् १८८४ ई० से पहले यह पदाधिकारी बादशाह के हस्ताक्षर किये हुये महत्वपूर्ण आज्ञा पत्रों पर मोहर लगाता था, और इसलिए उन आज्ञापत्रों का उत्तरदायी समझा जाता था। परन्तु उस वर्ष से इस मोहर की आवश्यकता न रही और यह कार्य भी न रहा। अब यह पद मन्त्रिमंडल के किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को दिया जाता है जो अपना सब समय राष्ट्र की शासन सम्बन्धी बातों पर विचार करने में लगावे। प्रायः इस पदवाला मन्त्री लार्ड सभा का नेता भी होता है।

५—अर्थ मन्त्री या चांसलर आफ एक्सचेकर—अर्थ-विभाग का सब कार्य इसके आधीन होता है। यही बजट तैयार करता है, और उसे पार्लिमेंट में पेश करता है।

६—स्वदेश मन्त्री या होम सेक्रेटरी—इसका कार्य, प्रबन्ध करना और शान्ति रखना है। पुलिस जेल, सुधार गृह (रिफार्मेटरी) आदि इसके आधीन होती हैं। यह खान कारखाने आदि विविध औद्योगिक संस्थाओं के इन्सपेक्टरों को नियुक्त करता और उनके कार्य को देखता है। यह इस बात का भी प्रबन्ध करता है कि विदेशियों को किन किन नियमों का पालन करने से नागरिक अधिकार दिये जाँय, तथा किन विदेशियों को इंगलैंड में रहने ही न दिया जाय।

७—विदेशी मन्त्री—यह इस बात का निश्चय करता है

कि इंगलैंड की अन्य राज्यों से क्या नीति रहनी चाहिए। उसका कार्य है कि किसी राज्य से युद्ध की घोषणा करे, सन्धि का प्रयत्न करे अथवा ऐसा व्यवहार करे जैसा शान्ति के समय में होना चाहिए। वास्तव में इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों का निश्चय तो मन्त्रिमंडल में होता है, विदेश-मन्त्री उस निश्चय को कार्य रूप में परिणत करता है। इंगलैंड का अन्य देशों से जो राजनैतिक पत्र व्यवहार होता है, उसका भी उत्तरदाता विदेश-मन्त्री ही होता है।

८—उपनिवेश मन्त्री—यह साम्राज्य के स्वाधीन भागों के शासन में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परन्तु अन्य उपनिवेशों के सुशासन और उन्नति के लिए ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी होता है।

९—भारत मन्त्री—यह भारतवर्ष के सुशासन, शान्ति और उन्नति के लिये उत्तरदायी है। भारत सरकार को इसकी, आज्ञानुसार कार्य करना होता है। इसे अपने कार्य में सहायता देने के लिये एक सभा रहती है, जिसे इन्डिया कौंसिल कहते हैं। यही मन्त्री ब्रह्मा के सुशासन के लिये भी जिम्मेदार होता है। इस पद को तोड़ने का विचार हो रहा है।

१०—लैंकेस्टर की डची का चान्सलर—यह बादशाह की निजी रियासत का प्रवन्ध करता है। इस पद का कार्य अधिक नहीं रहता इसलिये मन्त्री अपना समय शासन सम्बन्धी बातों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने में लगाता है।

निम्नलिखित पदाधिकारियों का कार्य उनके नाम से स्पष्ट है:—११—स्काटलैंड मन्त्री १२—व्यापारिक बोर्ड का सभापति १३—युद्ध मन्त्री १४—नौ सेना विभाग का प्रधान। १५—वायु सेना मन्त्री १६—वायुयान निर्माण मंत्री। १७—स्वाधीन उपनिवेश मन्त्री। १८—यातायात मन्त्री। १९—सूचना मन्त्री २०—खाद्य पदार्थ मन्त्री। २१—रसद विभाग मन्त्री २२—विभागहीन मन्त्री २३—पोस्ट मास्टर जनरल २४—शिक्षा मन्त्री २५—स्वास्थ्य मन्त्री २६—कृषि मन्त्री २७—मजदूर विभाग मन्त्री २८—निर्माण-विभाग मंत्री।

मन्त्रिमण्डल के सदस्य मन्त्रिवर्ग से ही लिये जाते हैं। उनके अतिरिक्त मन्त्रिवर्ग में ऐसे पदाधिकारी भी रहते हैं जो मन्त्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। ऐसे वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं:—पेन्शन विभाग का मन्त्री; अटार्नी जनरल; सालिसिटर जनरल; स्काटलैंड का सालिसिटर जनरल; युद्ध राजस्व मन्त्री; लार्ड एडवोकेट; स्काटलैंड का उपमन्त्री; भारतवर्ष का उपमन्त्री; और विभागों के उपमंत्री।

मन्त्री और सरकारी कर्मचारी:—शासन कार्य के प्रत्येक विभाग में एक मन्त्री के आधीन कई एक स्थायी कर्मचारी रहते हैं। मन्त्री अपने विभाग सम्बन्धी नीति निर्धारित करता है, उस नीति के अनुसार शासन कार्य करना स्थायी सरकारी कर्मचारी का काम है। ये कर्मचारी अपने पद पर बरावर बने रहने के कारण अपने विभाग की सब आवश्यक बातों तथा बहुत सी बारीकियों को जानते हैं। मंत्रिमंडल समय समय पर बदलते

रहते हैं। नये नये मंत्री नियुक्त होते हैं, उन्हें अपने विभाग के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। वे अपने कार्य के लिए सिविल सरविस के कर्मचारियों का ही सहारा लेते हैं। इन कर्मचारियों की ही बदौलत शासन कार्य की श्रृंखला बनी रहती है।

सरकारी कर्मचारी का कार्य सन्तोषप्रद न हो तो मंत्री उन पर जुर्माना कर सकता है, उन्हें बरखास्त भी कर सकता है। सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई गलतियों के लिये मंत्री उत्तरदायी होता है। उस विभाग के अच्छे कार्य का भी श्रेय मंत्री को ही मिलता है। सरकारी कर्मचारी को उसके लिये पुरस्कार, वेतन-वृद्धि या पदवी मिलती है। कोई सरकारी कर्मचारी कामन्स सभा का सदस्य बनने के लिये उम्मेदवार नहीं हो सकता।

सिविल सर्विसः—राज्य विभाग में जिन स्थायी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्त की जाती है ये अधिकतर सिविल सरविस की प्रतियोगी परीक्षा पास होते हैं, जिस वर्ष जितने आदमियों की आवश्यकता होती है उतने आदमियों में से कुछ तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मेदवार ले लिये जाते या कुछ ऊँचे पदों पर उनसे नीचे पदवालों को तरक्की देकर नियुक्त किये जाते हैं।

सरकारी कर्मचारी एक निश्चित वेतन पर नियुक्त किये जाते हैं। उनकी वेतन वृद्धि क्रमशः होती रहती है। वे जब तक अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से करते रहते हैं, निकाले नहीं जाते। इङ्गलैंड के शासन कार्य में सिविल सर्विस के

कर्मचारी स्थायी कार्यकारिणी के अङ्ग हैं। उनका स्थान शासन कार्य में बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्री उनकी सहायता के बगैर एक दिन भी शासन कार्य नहीं चला सकते।

सारांश

केबिनेट या मंत्रिमंडल कार्यकारिणी का मुख्य भाग है। इसके अधिकार तब तक असीमित हैं जब तक कामन्स सभा में बहुमत इसका समर्थन करता रहे। केबिनेट का विकास क्रमशः हुआ है। चार्ल्स प्रथम ने पहली बार कुछ सरदारों को सलाहकारों के रूप में चुना था। सबसे पहले विलियम तृतीय के समय में मिश्रित मंत्रिमंडल बना। इसी के समय में बाद में एक दल का भी मंत्रि मंडल बना। जार्ज प्रथम के समय में वालपोल पहला प्रधान मंत्री हुआ, उसने सन् १७४२ ई० में कामन्स सभा में हारने पर इस्तीफा दे दिया। इस समय से यह नियम बना कि किसी प्रस्ताव पर हारने पर मंत्रिमंडल को त्याग पत्र दे देना चाहिए। सन् १९१४ में मिश्रित मंत्रिमंडल और युद्ध मंत्रिमंडल की स्थापना हुई।

प्रत्येक विभाग एक मंत्री को सौंपा जाता है। इस प्रकार करीब ५० मंत्रियों का चुनाव प्रधान मन्त्री द्वारा किया जाता है। उसे मन्त्री-वर्ग कहते हैं। इसमें से मुख्य मुख्य मन्त्रियों का मंत्रिमंडल या केबिनेट बनाया जाता है। मन्त्रिमंडल कामन्स सभा और कानून के सन्मुख अपने प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी है। प्रधान मन्त्री मंत्रिमंडल का निर्माता, नेता और सभापति होता है। उसे कामन्स सभा को बादशाह द्वारा भंग कराने का अधिकार है। मंत्रिमंडल सदैव एक व्यक्ति की भाँति काम करता है। मतभेद कभी जनता के सामने प्रगट नहीं किया जाता। उसकी जिम्मेदारी सामूहिक रहती है। मंत्रिमंडल का निर्माण बादशाह, जिसे कामन्स सभा में बहुमत प्राप्त हो उस दल के प्रधान को बुलवाकर करवाता है। प्रधान मंत्री की नीति

राष्ट्र की नीति होती है। मंत्रिमंडल के सदस्य दोनों सभाओं के सदस्यों में से होते हैं। मिश्रित मंत्रिमंडल में कई दलों के मंत्री शामिल रहते हैं। बादशाह के सारे राजनैतिक कार्यों के लिए मन्त्री उत्तरदायी होता है। बादशाह मंत्रिमंडल को बरखास्त कर सकता है पर वह ऐसा करता नहीं। कामन्स सभा को बादशाह प्रधान मन्त्री की सलाह से बरखास्त करता है।

प्रधान मंत्री कामन्स सभा में हारने पर त्यागपत्र पेश कर देता है। यदि ऐसा न करे तो कामन्स सभा वार्षिक खर्च के लिए स्वीकृति नहीं देगी। परन्तु कामन्स सभा मंत्रिमंडल को दबाव में नहीं रख सकती। क्योंकि बार बार मन्त्रिमंडल की हार होने पर एक वैधानिक रुकावट उत्पन्न हो जायगी। दूसरे प्रधान मंत्री कामन्स सभा को भंग करा सकते हैं।

शासन नीति निर्धारित करना मन्त्रिमंडल का मुख्य कार्य है। प्रत्येक विभाग का मन्त्री अपने विभाग के लिए और सारा मन्त्रिमंडल शासननीति के लिए उत्तरदायी है। मन्त्रिमंडल की सारी कार्यवाही गुप्त रखी जाती है। मतभेद भी बाहर प्रगट नहीं किया जाता। प्रधान मन्त्री से मतभेद रखनेवाले मन्त्री को प्रधान मन्त्री इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर सकता है।

मन्त्रिमंडल के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। प्रधान मन्त्री आवश्यकतानुसार संख्या में घटा बढ़ी कर सकता है। मन्त्रिमंडल में साधारणतः २० या २१ सदस्य होते हैं।

सरकारी कर्मचारी कार्यकारिणी के स्थायी अंग हैं। ये अपने विभाग के विशेषज्ञ होते हैं। मन्त्रियों को बहुत से कार्यों में कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। मन्त्री सरकारी कर्मचारी के कार्य से असन्तुष्ट होने पर उन्हें निकाल सकता है और उन पर जुर्माना भी कर सकता है। सरकारी कर्मचारियों की गलतियों के लिये मन्त्री

ही उत्तरदायी होता है। सिविल सर्विस का चुनाव परीक्षा द्वारा होता है।

प्रश्न

१—इंगलैन्ड में मन्त्रिमंडल का विकास किस प्रकार हुआ है ?

२—मन्त्रिमडल कैसे बनाया जाता है और उसकी विशेपतायें क्या हैं ?

३—मन्त्रिमंडल का बादशाह और पार्लिमेंट से क्या सम्बन्ध है ?

४—मन्त्रिमंडल के मुख्य कार्य और उसकी कार्य प्रणाली बतलाइये।

५—मन्त्रिमंडल के मुख्य सदस्यों और उनके कार्यों का वर्णन कीजिये।

६—मन्त्रिमंडल की जिम्मेदारी सामूहिक है। इस कथन को उदाहरणों सहित समझाइये।

७—मन्त्रिवर्ग और मन्त्रिमंडल में क्या अन्तर है ? क्या प्रधान मन्त्री के त्यागपत्र देने पर ऐसे मन्त्रियों को भी त्यागपत्र देना होता है जो मन्त्रिमंडल के सदस्य नहीं है ?

(८) 'इङ्गलैंड का प्रधान मन्त्री संसार में सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके अधिकार किसी भी तानाशाह से कम नहीं हैं' इस कथन की आलोचना कीजिये।

९—मन्त्रिमंडल और सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध बतलाइये।

१०—भारत की केन्द्रीय सरकार की कार्यकारिणी से इङ्गलैंड के मन्त्रिमंडल की तुलना कीजिये।

चौथा अध्याय

पार्लिमेंट का सङ्गठन

पहिले अध्याय में सरकार के तीन अंग बतलाये गये थे। इंगलैंड में कानून बनाने वाली संस्था का नाम पार्लिमेंट है। इसके अन्तर्गत दो सभाएँ हैं—कामन्स सभा और लार्ड सभा। अब हम पार्लिमेंट के विकास पर एक दृष्टि डालते हैं।

पार्लिमेंट की दो सभाएँ—दसवीं सदी तक राज्य के सारे नियमों को बादशाह ही बनाता था या बादशाह का आदेश ही नियम या कानून था। उसे सलाह देने के लिए 'विटन सभा' नाम की एक सभा थी। ग्यारहवीं सदी से उस सभा की जगह ग्रेट कौंसिल ने ले ली थी। इसके सदस्य जागीरदार, सरदार और पादरी आदि होते थे। ग्यारहवीं सदी में कुछ बड़े बड़े लोगों ने यह भाव फैलाया कि कर निर्धारित करने का अधिकार उन्हीं लोगों को होना चाहिए जो कर दें, बादशाह को नहीं। बाद में उन्होंने आवश्यकता समझ लेने पर जन साधारण को भी अपने साथ मिला लिया, और वे सम्मिलित शक्ति से बादशाह का विरोध करने लगे। अन्तत: सन् १२१५ ई० में प्रजा ने जान बादशाह पर विजय पाई और उससे बलपूर्वक 'मेगनाचार्टा' नामक महान अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया।

इस अधिकार पत्र के अनुसार यह व्यवस्था की गयी कि छोटे जमींदारों को स्थानीय शासकों अर्थात् शेरिफों के पास

भेजे हुए साधारण आज्ञापत्रों द्वारा बुलाया जाय और बड़े बड़े जमींदारों को निमन्त्रण पत्रों द्वारा। क्रमशः छोटे जमींदारों में से निर्वाचन होने लगा और सभा में इनके बैठने का अलग प्रबन्ध हो गया। इस प्रकार ग्रेट कौंसिल की, जो इस समय पार्लिमेंट कही जाने लगी थी, दो सभाएँ हो गयी; एक का नाम 'कामन्स सभा' और दूसरी का नाम 'लार्ड सभा' पड़ा।

कामन्स सभा—प्रारंभ में कामन्स सभा के अधिकार बहुत कम थे परन्तु धीरे धीरे ये बढ़ते गये। सन् १८३२ ई० में उसके निर्वाचकों की संख्या कानून द्वारा बढ़ाई गई और सन् १८८५ ई० में कामन्स सभा के सदस्यों की संख्या ५७० निश्चित की गयी। सन् १९१८ के पीपल्स एक्ट से यह निश्चित किया गया कि फी सत्तर हजार व्यक्तियों के लिए कामन्स सभा में एक प्रतिनिधि भेजा जाय। पीछे आयर्लेंड में तेतालीस हजार व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि रखना निश्चित हुआ। इस प्रकार कामन्स सभा के सदस्यों की संख्या ७०७ हुई। सन् १९२३ ई० में आयरिश फ्री स्टेट (दक्षिण आयर्लेंड) के लिए अलग पार्लिमेंट बन जाने पर निर्वाचन में अब कामन्स सभा में ६४१ सदस्य होते हैं, जिनमें १३ सदस्य उत्तरी आयर्लेंड के सम्मिलित हैं। सन् १९४५ के निर्वाचन में कामन्स सभा में ६४० सदस्य निर्वाचित हुए थे। सन् १९११ ई० के पार्लिमेंट एक्ट के अनुसार निर्वाचन प्रति पांचवे वर्ष होता है। यह समय पार्लिमेंट की आज्ञा से बढ़ाया जा सकता है। प्रधान मंत्री के कहने से बादशाह पार्लिमेंट पांच वर्ष के पहिले भी भंग कर

सकता है और इस प्रकार निर्वाचन पांच वर्ष के पहिले भी हो सकता है।

निर्वाचक होने के लिए अयोग्यताएँ—कामन्स सभा के सदस्य निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति कामन्स सभा के सदस्यों के लिए निर्वाचक नहीं हो सकते।

१—नावालिग, लार्ड, विदेशी, दिवालिया और पागल (विदेशी व्यक्ति कुछ शर्तों का पालन करने पर ब्रिटिश प्रजा बन सकते हैं। उन शर्तों में मुख्य ब्रिटिश संयुक्त राज्य में पांच वर्ष निवास करना है)

२—किसी घोर अपराध या राजद्रोह के अपराधी, जब तक ये अपने अपराध का दण्ड न भुगत लें, या उसके लिए क्षमा प्राप्त न कर लें।

३—जो निर्वाचन के समय किसी निर्वाचन सम्बन्धी अपराध के अपराधी हो।

[ये अपराधी ठहराये जाने के समय से सात वर्ष तक निर्वाचन के अधिकारी नहीं होते]

निर्वाचक कौन हो सकता है?—ब्रिटिश संयुक्त राज्य में निर्वाचक संघ तीन तरह के हैं (१) साधारण (२) व्यावसायिक (३) यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के। कोई व्यक्ति दो से अधिक निर्वाचक संघों से मत नहीं दे सकता, और इन दो में से एक, साधारण निर्वाचक संघ होना आवश्यक है। निर्वाचक सूची प्रति वर्ष तैयार की जाती है।

साधारण निर्वाचक संघ के मतदाताओं की सूची में वही व्यक्ति नाम लिखा सकता है, जिसमें निर्वाचक होने की अयोग्यता न हो और जो उस वर्ष अपने निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में तीन महीने रहा हो। व्यावसायिक निर्वाचक संघ में वही व्यक्ति मतदाता हो सकता है, जिसकी दस पौंड वार्षिक किराये वाली दूकान हो। ऐसे व्यक्ति की स्त्री या पति भी मताधिकारी होता है। स्त्रियों को पुरुषों के समान ही मताधिकार है। विश्व-विद्यालय के निर्वाचक सघ में वही व्यक्ति मतदाता हो सकते हैं जो उस विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट हों, और जिनकी आयु इक्कीस वर्ष या इससे अधिक हो।

उम्मेदवार होने के नियम—निम्नलिखित व्यक्ति कामन्स सभा के सदस्य नहीं हो सकते।

१—जो व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते।

२—पादरी, चाहे वह रोमन कैथलिक हों या प्रोटेस्टेन्ट।

३—स्थायी सरकारी कर्मचारी, जज, पेन्शन पानेवाले व्यक्ति, सरकारी कामों के ठेकेदार, शेरिफ और निर्वाचन स्थान के निर्वाचन अफसर।

उम्मेदवार को अपना नाम दर्ज कराने के लिए नामजदगी का पत्र भरकर निर्वाचन अफसर को देना होता है। इस पत्र पर कम से कम दस ऐसे आदमियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जो उस उम्मेदवार का समर्थन करते हों। इसके अलावा उम्मेदवार को १५० पौंड जमानत के रूप में जमा करने होते हैं। अगर उसे

अपने निर्वाचक संघ के तमाम मतों से से उसके पक्ष में आठवें हिस्से से कम मत मिलें तो यह जमानत जब्त हो जाती हैं। आठवें हिस्से से अधिक मत मिलने की हालत में उम्मेदवार को जमानत की रकम वापिस मिल जाती है, चाहे वह उम्मेदवार चुनाव में हार ही जावे।

निर्वाचन अपराध और उसका नियन्त्रण—सन् १८८३ ई० के कानून के अनुसार निम्नलिखित उपायों से निर्वाचन सम्बन्धी अनुचित व्यवहार रोका जा सकता है।

१—रिश्वत देना, दावत देना, अनुचित प्रभाव डालना और झूठे नाम से काम करना, अपराध माना गया है।

२—निर्वाचन कार्य के लिए होनेवाले खर्च की सीमा निर्धारित कर दी गयी है [आम तौर से प्रति निर्वाचक ग्राम क्षेत्र में दो पेंस और नगर क्षेत्र में एक पेंस से अधिक खर्च न किया जाना चाहिए]

३—प्रत्येक उम्मेदवार को अपने निर्वाचन व्यय का पूरा हिसाब सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी को देना होता है।

४—जो व्यक्ति किसी निर्वाचन अपराध के अपराधी माने जाते हैं, उन्हें दण्ड दिया जाता है।

इस कानून के होने पर भी इंगलैन्ड में निर्वाचन सम्बन्धी अपराधियों की संख्या काफी रहती है।

निर्वाचन में दलबन्दी का स्थान—निर्वाचक और सदस्यों की योग्यतायें जानने के पश्चात यह आवश्यक है कि हम यह जानें कि निर्वाचन किस प्रकार होता है। सारे देश के

व्यक्तियों के राजनैतिक विचार और आर्थिक स्वार्थ एक से नहीं है। आपस में काफ़ी विचार विभिन्नता है। अपने अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिए एक से विचार वाले व्यक्ति एक दल का संगठन करते हैं और अपने दल के विचार जनता में फैलाते हैं। प्रत्येक राजनैतिक दल शासन सूत्र को अपने हाथ में रखना चाहता है। इसका एक ही तरीका है, अपने दल से अधिक से अधिक सदस्य कामन्स सभा में भेजकर अपना मन्त्रि-मंडल बनाना। इसके लिये प्रत्येक दल हरेक निर्वाचन क्षेत्र से अपने उम्मेदवार खड़ा करते हैं। जनता में दल के आदर्श और भावी योजना का प्रचार करते हैं। जिस दल के सबसे अधिक सदस्य निर्वाचित होकर कामन्स सभा में पहुँच जाते हैं, उसी दल का मन्त्रिमंडल बनता है।

वर्तमान समय में तीन दल प्रधान हैं—उदार, अनुदार, और मजदूर दल। इन तीन दलों के अतिरिक्त भी कम्यूनिस्ट आदि कई दल हैं। समय समय पर नये दलों का निर्माण होता रहता है तथा कुछ पुराने दल विलुप्त होते रहते हैं। कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से भी खड़ा हो सकता है। परंतु ऐसे व्यक्ति को प्रचार कार्य आदि में काफी असुविधा रहती है। स्वतंत्र सदस्य पार्लिमेंट में पहुँचकर कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक उम्मेदवार किसी न किसी दल का सदस्य अवश्य होता है।

सदस्यों और निर्वाचकों का सम्बन्ध—इंगलैंड विविध निर्वाचक संघों में बँटा हुआ है। कामन्स सभा में प्रत्येक सदस्य

किसी निर्वाचक संघ का प्रतिनिधि होता है। प्रत्येक सदस्य का कर्त्तव्य है कि सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र के शासन कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक प्रश्न करता रहे। उसका अपने निर्वाचकों के प्रति कर्तव्य है कि वह उन्हें समय समय पर यह बताता रहे कि पार्लिमेंट में क्या हो रहा है, और उसमें उसने क्या भाग लिया है। उसे चाहिये कि वह विविध प्रश्नों के सम्बन्ध में, जो पार्लिमेंट में पेश होते हैं, या पेश होने वाले हैं, अपने निर्वाचकों की राय जानने का प्रयत्न करे। पर उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह उसी राय के अनुसार कामन्स सभा में अपना मत दे। हाँ, उसे इस बात का अवश्य ध्यान रखना होता है कि वह कामन्स सभा में जो काम करे, वह उसकी निर्वाचन के समय की गई प्रतिज्ञा के विरुद्ध न हो। परन्तु यदि वह ऐसा कार्य करे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। शासन विधान में कोई ऐसा नियम नहीं है, जो उसे उक्त प्रतिज्ञा का पालन करने को वाध्य करे। कभी कभी तो सदस्य अपना दल या पार्टी छोड़कर दूसरे नये दल में आ मिलते हैं। परंतु जो विवेकशील होते हैं, वे अपने विचार परिवर्तन के संबंध में अपने निर्वाचकों की राय जानना आवश्यक समझते हैं। इसलिए वे नाममात्र की कोई सरकारी नौकरी स्वीकार करके कामन्स सभा में पहिले अपना स्थान खाली कर देते हैं, और फिर सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। इसके पश्चात् जब उनके निर्वाचक संघ से पुनः निर्वाचन होता है, तो वे नवीन दल के सदस्य बनकर, कामन्स सभा के लिए उम्मीदवार वन जाते हैं।

कामन्स सभा के सदस्यों के अधिकार—कामन्स सभा का सदस्य सभा के अधिवेशन के ४० दिवस पूर्व और बाद तक साधारण अपराधों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। प्रत्येक सदस्य को पूर्ण भाषण स्वतंत्रता है। उसके सभा में दिये हुए भाषण के लिए उस पर राजद्रोह या मानहानि का अभियोग नहीं चलाया जा सकता। सदस्य स्पीकर के द्वारा बादशाह से मिल सकता है। सदस्यों को अपनी सभा संबंधी सब नियम बनाने का अधिकार है। अपनी सभा संबंधी कार्यवाही भी निश्चित करना सदस्यों के अधिकार में है। वे अपने अधिकारों में बाधा पड़ने पर दावा दायर कर सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को सन् १९२७ ई० के कानून के अनुसार ६०० पौंड वार्षिक वेतन मिलता है।

कामन्स सभा के पदाधिकारी—कामन्स सभा के मुख्य पदाधिकारी निम्नलिखित हैं (१) स्पीकर अर्थात अध्यक्ष (२) कमेटियों का सभापति तथा कामन्स सभा का उप सभापति (३) क्लर्क (४) सार्जेन्ट-एट-आर्मस। कामन्स सभा का चुनाव हो जाने पर, प्रथम अधिवेशन में सब से पहिले स्पीकर का चुनाव होता है। बादशाह इस चुनाव को स्वीकार कर लेता है। स्पीकर सभा का नेता नहीं होता, उसका कार्य केवल सभा को सुचारु रूप से चलाना है। वह किसी प्रस्ताव पर उस समय मत देता है, जब उस पर दोनों दल के मत बराबर होते हैं। वह निश्चय करता है कि किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद बन्द करने का प्रस्ताव किया जाय या नहीं। वह पुनरुक्ति करनेवाले

या अप्रासांगिक बात कहने वाले सदस्य का भाषण बन्द कर सकता है। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा का पालन न करे तो वह उसे सभा से निकाल सकता है, या उसका कुछ समय तक सभा में आना बन्द कर सकता है। इन विषयों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है उसकी कहीं अपील नहीं होती। कामन्स सभा के सदस्यों में वही एक ऐसा व्यक्ति है जो बादशाह से सीधा मिल सकता है। स्पीकर होने के बाद उसका संबंध किसी भी दल या पार्टी से नहीं रह जाता। स्पीकर का इङ्गलैंड में बहुत आदर किया जाता है। उसे रहने को सरकारी मकान, तथा ५,००० पौंड वार्षिक वेतन मिलता है। अपने कार्य से अवकाश ग्रहण करने पर वह लार्ड बना दिया जाता है। कामन्स सभा की कमेटियों का सभापति मंत्रिमण्डल द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह सब कमेटियों में अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करता है, और कामन्स सभा में उप सभापति होता है।

क्लर्क स्थायी सरकारी कर्मचारी होता है, यह कामन्स सभा के चुनाव के साथ बदलता नहीं। इसका काम है कि वह सभा की कार्यवाही की रिपोर्ट रखे, तथा उसे प्रकाशित करे।

कामन्स सभा की कमेटियां—कामन्स सभा में, विविध प्रश्नों पर विचार करने के लिए कई कमेटियाँ होती हैं। साधारणतः निम्नलिखित कमेटियाँ मुख्य हैं।

१—नियुक्त कमेटी या कमेटी आफ सिलेक्शन। इस कमेटी को कामन्स सभा अपने अधिवेशन के आरम्भ में चुनती है। यह पूरी सभा की कमेटी को छोड़कर अन्य सब कमेटियों के मेंबरों

को चुनती है। इसमें ११ सदस्य होते हैं जो सरकारी दल तथा विरोधी दल से चुन जाते हैं।

२—दूसरी महत्वपूर्ण कमेटी 'पूरी सभा की कमेटी' या 'कमेटी आफ दी होल हाउस' है। इसमें अध्यक्ष का पद स्पीकर ग्रहण नही करता बल्कि कमेटियों का सभापति करता है। पार्लिमेंट की कार्यवाही के कठोर नियमों का पालन यहां नहीं किया जाता। एक सदस्य इस कमेटी में एक से अधिक बार भी बोल सकता है जब कि वह कामन्स सभा में एक मर्तबा से अधिक नहीं बोल सकता। कमेटी में विवाद समाप्त करने का प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता। कार्य के अनुसार इस कमेटी के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। उदाहरणवत् जब यह कमेटी आगामी वर्ष के खर्च के सम्बन्ध में विचार करती है, इसे 'खर्च कमेटी' कहते हैं। जब यह भारत के हिसाब पर विचार करती है तो इसे 'भारतीय-राजस्व कमेटी' कहते हैं।

३—स्थायी कमेटी—ये पाँच या छः होती हैं। साधारणतः प्रत्येक कमेटी में साठ से अस्सी तक मेम्बर होते हैं। कानूनी मसविदे इन्हीं के पास भेजे जाते हैं।

४—सिलेक्ट कमेटी। यह आवश्यकतानुसार किसी कानूनी मसविदे पर विचार करने के लिए नियुक्त होती है। इसमें आम तौर से १५ सदस्य होते हैं।

५—व्यक्तिगत या प्राइवेट मसविदों की कमेटी--इसका कार्य व्यक्तिगत मसविदों को देखना है। साधारणतः प्रत्येक कमेटी में चार मेम्बर होते हैं। सार्वजनिक दर्खास्तों की कमेटी,

भोजनालय तथा जलपान कमेटी, सार्वजनिक हिसाब कमेटी और होती हैं।

सिलेक्ट कमेटी को और व्यक्तिगत मसविदों की कमेटी को उपस्थित मसविदों के सम्बन्ध में गवाही लेने का अधिकार है। अन्य कमेटियों को यह अधिकार नहीं है। जब किसी महत्त्व पूर्ण मसविदे पर ऐसी सिलेक्ट कमेटी नियुक्त की जाती है, जिसमें कामन्स सभा और लार्ड सभा दोनों के सभासद होते हैं; तब उसे सयुक्त सिलेक्ट कमेटी कहते हैं।

लार्ड सभा—इस अध्याय के आरम्भ में हम बता चुके हैं कि तेरहवीं शताब्दी से पार्लिमेंट की दो सभायें होने लगी। हम कामन्स सभा के विषय में बतला चुके हैं अब लार्ड सभा के विषय में बतलाते हैं।

सतरहवीं शताब्दी के मध्य में इङ्गलैण्ड ने एक सभा से काम चलाने की पद्धति की परीक्षा की थी। सन् १६४९ ई० में चार्ल्स प्रथम मार डाला गया और सन् १६६० तक बिना बादशाह के शासन किया गया। उस समय लार्ड सभा भी अनावश्यक ठहरा दी गयी थी। इङ्गलैण्ड ने बिना बादशाह और केवल एक ही व्यवस्थापक सभा (कामन्स सभा) द्वारा राजकार्य चलाने का ग्यारह वर्ष अनुभव किया, परन्तु अन्त में यह अनुभव सन्तोष-प्रद न रहा और सन् १६६० ई० में फिर लार्ड सभा की स्थापना करनी पड़ी।

लार्ड सभा का संगठन—लार्ड सभा में लगभग ७४० सदस्य हैं। वे निम्नलिखित प्रकार के हैं:—

(१) वंशानुगत अधिकार से; इसमें १७०७ से पूर्व के बनाये इङ्गलैण्ड के लार्ड, १८०१ से पूर्व के बनाये ग्रेट ब्रिटेन के लार्ड तथा १८०१ के बाद के बनाये हुये संयुक्त राज्य के लार्ड सम्मिलित हैं। इनकी कुल संख्या ६६७ है। बादशाह प्रधान मंत्री की सलाह पर किसी समय भी चाहे जितने लार्ड बना सकता है। (२) स्काटलैंड के प्रतिनिधि लार्ड; सन् १७०७ ई० में स्काटलैंड और इङ्गलैण्ड के मिल जाने पर यह निश्चित हुआ कि स्काटलैंड के लार्डों द्वारा चुने हुए १६ लार्ड प्रतिवर्ष पार्लिमेंट में पूरे अधिवेशन काल के लिए भेजे जाया करें। (३) आयरलैण्ड के २८ निर्वाचित लार्ड; सन् १८०१ में आयरलैण्ड के मिलने पर यह तय हुआ कि आयरलैण्ड २८ लार्ड पार्लिमेंट में भेजे। प्रत्येक लार्ड अपने जीवन भर के लिए भेजा जाता था। परन्तु सन् १९२२ से 'आयरिश फ्री स्टेट' आयरलैंड से अलग हो गया। वहाँ के लार्ड जन्म भर के लिए लार्ड सभा के सदस्य थे। जैसे जैसे ये लार्ड मरते जाते हैं उनके स्थान रिक्त होते जाते हैं। (४) २६ विशप लार्ड, जिनमें आर्क विशप या लाट पादरी भी सम्मिलित हैं। (५) ला लार्ड या कानून विशेषज्ञ। सात लार्ड न्याय कार्य के लिए जीवन भर के लिए बनाये जाते हैं। वे लार्ड सभा में न्याय सम्बन्धी कार्य करते हैं। इस प्रकार इस सभा में विशेष अधिकार उन्हीं लोगों को होता है जो वंशगत होते हैं, निर्वाचित नहीं होते। ये प्रायः स्वभाव से ही परिवर्तन विरोधी होते हैं। कोई लार्ड अपने पद का त्याग नहीं कर सकता।

निम्नलिखित व्यक्ति लार्ड सभा के सदस्य नहीं हो सकते :—(१) स्त्रियाँ (२) नाबालिग (३) विदेशी (४) दिवालिये (५) राजद्रोह या किसी घोर अपराध के अपराधी।

लार्ड सभा का अध्यक्ष लार्ड चांसलर होता है। परन्तु वह अध्यक्ष का पद तभी ग्रहण करता है जब किसी लार्ड के अभियोग का विचार लार्ड सभा के संमुख होता है। उसके अधिकार और कार्य स्पीकर से सर्वथा भिन्न हैं। वह लार्ड-सभा में अनुशासन रखने का अधिकारी नहीं है। वह केवल प्रस्तावक के रूप में हैं। तीन मेंबरों से सभा का कोरम पूरा हो जाता है, परन्तु किसी प्रस्ताव को पास करने के समय ३० सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। वहां अनेक कमेटियाँ नहीं हैं। बिल या अन्य प्रस्ताव सभा के सम्मुख पेश कर दिये जाते हैं।

सदस्यों के विशेषाधिकार—इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं:—(क) लार्ड सभा में भाषण-स्वातंत्र्य (ख) पार्लिमेंट का अधिवेशन आरम्भ होने से चालीस दिन पहिले से लेकर, अधिवेशन समाप्त होने के चालीस दिन बाद तक, किसी मामले में गिरफ़्तार न हो सकना (ग) सार्वजनिक विषय की बात करने के लिए बादशाह से मिलना, और (घ) राजद्रोह या अन्य घोर अपराध लगाया जाय, तो उसकी लार्ड-सभा द्वारा ही जाँच होना।

लार्ड सभा के शासन सम्बन्धी अधिकार—लार्ड सभा को धन सम्बधी, कानूनी मसविदों पर कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए उसका मैन्त्रिमंडल पर भी कोई नियन्त्रण नहीं है।

मन्त्रिमंडल भी अपने शासन कार्य के लिए कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी है, लार्ड सभा के प्रति नहीं। यद्यपि लार्ड सभा का प्रत्येक सदस्य किसी भी शासन कार्य के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ सकता है, परन्तु उसका विशेष महत्व नहीं होता। यदि मन्त्रिमन्डल किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में लार्ड सभा में हार जाय तो उसे इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती। तथापि लार्ड सभा का गौण रूप से शासन कार्य में काफ़ी प्रभाव रहता है। मन्त्रिमन्डल के कई सदस्य लार्ड सभा के सदस्य होते हैं।

यह सभा संयुक्त राज्य की सबसे बड़ी अदालत है। लार्डों के मामले लार्ड सभा में पेश किये जाते हैं। संयुक्त राज्य की सारी अपील लार्ड चांसलर और सात न्याय के लार्ड सुनते हैं।

शासन प्रणाली में दूसरी सभा की आवश्यकता—हम पार्लिमेंट के दोनों सभाओं के संगठन आदि पर विचार करने के उपरांत एक सैद्धान्तिक प्रश्न पर विचार करते हैं। कुछ लोगों का मत है कि देश में व्यवस्था कार्य के लिये एक ही सभा होना पर्याप्त है; यदि दो सभा रहेगीं तो किसी मतभेद के प्रश्न पर किसी एक ही सभा की बात चल सकेगी। दूसरी सभा या तो जनसाधारण सभा का विरोध करेगी या उससे सहमत होगी। पहली दशा में तो यह व्यर्थ का विरोध उत्पन्न करती है और दूसरी दशा में यह सभा अनावश्यक प्रमाणित होती है। इस मत के अनुसार दूसरी सभा की आवश्यकता नहीं है।

दूसरे मत के विचारकों का मत है कि देश की कानून बनाने

की शक्ति एक ही सभा के हाथ में न रहने देना चाहिए किसी नियम के व्यवहार में उसके पूर्व उसके विषय में दूसरी सभा का निर्णय जान लेना आवश्यक है, इसमें यह लाभ होता है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में न बन सकेगा। पहली सभा उतनी स्वच्छन्द और अभिमानी न होगी, जितनी दूसरी सभा के अभाव में हर समय विजय का विस्वास रखने की दशा में, उसका ऐसा हो जाना स्वाभाविक है। इङ्गलैण्ड में भी इस प्रश्न पर काफी विचार किया गया है परन्तु सन् १६४६ ई० से सन् १६६० ई० तक के अनुभव से तथा अन्य कारणों से लार्ड सभा को बना ही रहने दिया गया है।

सारांश

इंगलैंड की व्यवस्थापक सभा पार्लिमेंट है। इसकी दो सभायें कामन्स सभा और लार्ड सभा हैं। दशवीं शताब्दी तक बादशाह के अधिकार असीमित थे। उन्हें राज्य के सारे नियम बनाने का पूर्णाधिकार था। बारहवीं शताब्दी में आन्दोलन उठा कि कर लगाने में प्रजा का ही हाथ होना चाहिए। सन् १२१५ में मेगनाचार्टा नामक अधिकार पत्र प्रजा को मिला, इसके अनुसार प्रजा को कुछ अधिकार मिले और दो सभाओं की स्थापना हुई। यही दो सभाएँ आगे चलकर पार्लिमेंट की कामन्स सभा तथा लार्ड सभा बनी। इससे दो सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ; बादशाह अपने कार्यों में प्रजा से सम्मति ले और शासन कार्य कानून के अनुसार हो। सन् १६२७ ई० में पिटीशन आफ राइटस पास हुआ। सन् १६८६ ई० में बिल आफ राइटस पास हुआ। इस प्रकार पार्लिमेंट की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली गयी।

पार्लिमेंट साधारण कानून और वैधानिक कानून दोनों ही बना

सकती है। राजस्व सम्बन्धी सारे एक्ट यहीं पास होते हैं। कार्य-कारिणी का नियंत्रण करना भी इसी के हाथ में है।

कामन्स सभा का जन्म सन् १२१५ ई० में हुआ। सतरहवीं शताब्दी के बाद से इसके अधिकार बढ़ाये गये। धीरे धीरे सारी सत्ता पार्लिमेंट के हाथ में आगयी। १८३२ में निर्वाचकों की संख्या बढ़ायी गयी और सन् १८८५ ई० में कामन्स सभा के सदस्यों की संख्या ५७० निश्चित हुई। सन् १९१८ ई० में ७०७ हुई। आयर्लैंड के निकल जाने पर सदस्य संख्या ६४१ रह गयी। सन् १९११ के पार्लिमेंट एक्ट के अनुसार चुनाव प्रति पांचवें वर्ष होता है।

कामन्स सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं। उन्हें भाषण स्वातंत्र्य प्राप्त है। उन्हें कुछ विशेष अपराधों को छोड़कर और किसी दीवानी मामले में पार्लिमेंट के अधिवेशन के ४० दिन पहिले और बाद तक गिरफ़ार नहीं किया जा सकता। सभा के सदस्यों को अपने सभा सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार है। प्रत्येक सदस्य को ६०० पौंड वार्षिक वेतन मिलता है। अधिकांश २१ वर्ष से अधिक वय के व्यक्ति निर्वाचक हैं, परन्तु निर्वाचक होने के लिए यह आवश्यक है कि निर्वाचक में निर्वाचन सम्बन्धी अयोग्यता न हो। सदस्य होने के लिए भी सदस्य सम्बन्धी योग्यता होना आवश्यक है। स्त्रियों को पुरुषों के समान ही मताधिकार है। निर्वाचन सम्बन्धी अपराध करने पर दण्ड दिया जाता है।

सदस्यों और निर्वाचकों को आपस में सम्बन्ध रखना आवश्यक है। निर्वाचक संघ का प्रतिनिधि ही सदस्य होता है। प्रत्येक सदस्य अपने मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी है। स्पीकर कामन्स सभा का सभापति होता है। उसको सभा सम्बन्धी सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं। क्लर्क और सार्जेन्ट एट आर्मस कामन्स सभा के स्थायी कर्मचारी हैं। कामन्स सभा की निम्नलिखित कमेटियाँ हैं—कमेटी आफ सेलेक्शन, पूरी सभा की कमेटी, प्राइवेट मसविदों की कमेटी, और सिलेक्ट कमेटी आदि आदि।

लार्ड सभा के अधिकार सतरहवीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे घटते गये। लार्ड सभा में सदस्य, वंशानुगत क्रम से, बिशप होने से, न्यायाधिकारी होने से और बादशाह के चुनने पर होते हैं। इस सभा के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार हैं, जैसे किसी दीवानी मामले में गिरफ्तार न हो सकना, बादशाह से व्यक्तिगत रूप से मिल सकना आदि आदि, किसी मामले की लार्ड सभा में ही जाँच होना। इस सभा के शासन सम्बन्धी अधिकार नाम मात्र के हैं। दो सभाओं के विषय में विभिन्न विचार हैं। पहला विचार है कि दूसरी सभा अनावश्यक तथा व्यर्थ में अड़ंगा लगाने वाली है। दूसरे पक्ष का मत है कि यह कोई भी कार्य जल्दबाजी में होने से रोकती है और पहली सभा की स्वच्छन्दता पर नियंत्रण रखती है।

प्रश्न

१—पार्लिमेंट के विकास और उसकी बढ़ती हुई शक्ति पर विचार कीजिये।

२—पार्लिमेंट के मुख्य कार्य क्या हैं और उनको किस प्रकार पूर्ण किया जाता है?

३—शासन व्यवस्था में दूसरी सभा की आवश्यकता समझाइये और बताइये कि दूसरी सभा का इंगलैंड में क्या महत्व है।

४—कामन्स सभा के बढ़ते हुए अधिकारों पर एक दृष्टि डालिये और वर्तमान अधिकारों की विवेचना कीजिये।

५—पार्लिमेंट के निर्वाचक तथा सदस्य होने की योग्यता बतलाइये।

६—सदस्यों व निर्वाचकों का इंगलैंड में क्या सम्बन्ध है?

७—कामन्स सभा के पदाधिकारी कौन कौन हैं?

८—कामन्स सभा की कमेटी तथा उनके कार्यों को पूर्णतया समझाइये।

९—लार्ड सभा का संगठन इंगलैंड में किस प्रकार है ?

१०—लार्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार क्या हैं ? उनकी कामन्स सभा के विशेषाधिकारों से तुलना कीजिये।

११—इङ्गलैंड में लार्ड सभा को शासन सम्बन्धी क्या अधिकार प्राप्त हैं ?

पांचवां अध्याय

पार्लिमेंट की कार्यपद्धति

पार्लिमेंट के तीन प्रकार के कार्य हैं:—(१) जनता के हित के कानून बनाना (२) आलोचना प्रत्यालोचना और प्रश्नों द्वारा प्रबन्धकारिणी पर नियंत्रण रखना (२) सरकारी आय व्यय निश्चय करना।

पार्लिमेंट का अधिवेशन, बादशाह का भाषण—कामन्स सभा का निर्वाचन समाप्त होजाने पर सबसे पहिले अध्यक्ष या स्पीकर का निर्वाचन होता है। इसके उपरान्त प्रत्येक सदस्य राजभक्ति की शपथ लेता है। कामन्स सभा का अधिवेशन प्रति वर्ष फरवरी में आरंभ होता है। बादशाह लार्ड सभा के भवन में अपना भाषण देता है। इसे सुनने के लिए कामन्स सभा के सदस्यों को लार्ड सभा के भवन में जाना होता है। पार्लिमेंट को इस भाषण द्वारा मालूम होता है कि मंत्रिमंडल की शासन सम्बन्धी नीति क्या होगी और उसका, उस वर्ष में, क्या क्या महत्व पूर्ण कार्य करने का विचार है। इससे यह भाषण बहुत महत्व का होता है।

बाद में यही भाषण कामन्स सभा में स्पीकर द्वारा पढ़ा जाता है। कोई मन्त्री यह प्रस्ताव उपस्थित करता है कि बादशाह को उसके भाषण के लिए धन्यवाद दिया जाय। विरोधी दल के सदस्य इस प्रस्ताव पर संशोधन उपस्थित करते हैं, जिसमें वे यह बतलाते हैं कि सरकार कौन कौन सा आवश्यक कार्य करना नहीं चाहती और कौन कौन सा कार्य ऐसा कर रही है, जो अनावश्यक है। इन संशोधनों पर विचार करने में दो तीन सप्ताह लग जाते हैं। यदि विरोधी दल का कोई संशोधन बहुमत से स्वीकार हो जाय तो इसका आशय यह होता है कि कामन्स सभा मन्त्रिमन्डल की शासन नीति से सहमत नहीं है। इस दशा में मन्त्रिमन्डल को त्याग पत्र देना होता है।

सभा की बैठक—कामन्स सभा की बैठक सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, को साधारणतः पौने तीन बजे से साढ़े ग्यारह बजे रात तक होती है; यदि कोई बहुत ही आवश्यक कार्य हो तो इसके बाद भी जारी रहती है। बैठक सवा आठ बजे से साढ़े आठ बजे तक जल पान के लिये स्थगित होती है। इस प्रकार उक्त दिनों में दो दो बैठकें होती हैं। शुक्रवार के दिन बैठक केवल ५॥ बजे तक ही रहती है। शनिवार और रविवार को बैठक नहीं होती।

सभा का कार्य; प्रश्न और प्रस्ताव—कामन्स सभा में कार्य आरम्भ करने के लिए स्पीकर अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करता है, जनता की दरख्वास्तें पेश की जाती हैं। यह कार्य तीन

वजे तक समाप्त हो जाता है और तव प्रश्न पूछने का कार्य आरम्भ होता है। इस कार्य के लिए चालीस मिनट का समय निर्धारित होता है। जिन प्रश्नों का उत्तर पौने चार वजे तक नहीं दिया जा सकता, वे रिपोर्ट में अन्य कारवाई के साथ प्रकाशित किये जाते हैं। सदस्यों को प्रश्न पूछने की सूचना पहिले से देनी होता है। प्रत्येक सदस्य किसी प्रश्न के सम्बन्ध में पूरक प्रश्न पूछ सकता है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर संतोष प्रद न हो, तो कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि उस पर विचार करने के लिए सभा का कार्य स्थगित कर दिया जाय। यदि यह प्रस्ताव उस समय स्वीकार हो जाय, तो उस विषय पर उसी दिन साढ़े आठ वजे वहस शुरू हो जाती है। साधारणतया चार वजे वाद प्रस्तावों और मसविदों पर विचार होता है। साल भर में कामन्स सभा प्रायः सौ दिन काम करती है, अर्थात् उसकी लगभग दो सौ वैठकें होती हैं। इनमें से अधिकतर वैठकों में वह काम होता है, जो मन्त्रिमन्डल द्वारा उपस्थित किया जाता है। प्रायः तीस वैठकें ही ऐसी होती हैं, जिनमें गैर सरकारी सदस्य अपने प्रस्ताव या कानूनी मसविदे उपस्थित कर सकते हैं।

गैर सरकारी सदस्यों द्वारा वहुत से प्रस्तावों और कानूनी मसविदों की सूचना आती है, परन्तु समय की कमी के कारण उन सव पर विचार होना सम्भव नहीं होता। इसलिए किन प्रस्तावों या कानूनी मसविदों पर विचार होना चाहिए तथा किस क्रम से विचार होना चाहिए, इसका निश्चय चिट्ठी डालकर अर्थात् 'वेलट' द्वारा किया जाता है।

कानून बनाना—कानूनी मसविदे तीन प्रकार के होते हैं—(१) सार्वजनिक (धन सम्बन्धी छोड़कर) (२) धन सम्बन्धी और (३) स्थानीय तथा व्यक्तिगत कानूनी मसविदे।

सार्वजनिक कानूनी मसविदे—इन्हें कोई भी सदस्य उपस्थित कर सकता है। यदि कोई मन्त्री इसे उपस्थित करना चाहे तो उसके लिये दिन आसानी से निश्चित हो जाता है, अन्य सदस्य को अपना दिन बैलट द्वारा ही तय कराना होता है और इसमें काफी देर भी लग सकती है। प्रत्येक सदस्य को अपना कानूनी मसविदा, निर्दिष्ट समय पहिले, देना होता है।

नियत किये हुए दिन, सदस्य यह प्रस्ताव करता है कि उसे उसका मसविदा उपस्थित करने की अनुमति दी जाय। इस प्रस्ताव पर बहस नहीं होती ; कभी कभी तो केवल मसविदे का शीर्षक ही पढ़ दिया जाता है और अनुमति मिल जाती है। इसे मसविदे का 'प्रथम वाचन' (फर्स्ट रीडिंग) कहते हैं।

यह कार्य समाप्त होने पर उसके द्वितीय वाचन (सेकण्ड रीडिङ्ग) के लिए तारीख निश्चय कर दी जाती है। उस निश्चित दिन सदस्य यह प्रस्ताव करता है कि मसविदा दूसरी बार पढ़ा जाय। इस समय मसविदे के सिद्धान्त पर बहस होती है, परन्तु कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता। यदि स्ताव उस समय स्वीकार न हुआ तो कुछ दिन बाद फिर प्रस्ताव रखा जाता है। जो सदस्य यह चाहते हैं मसाविदे पर विचार ही न किया जाय, वह यह प्रस्ताव करते हैं कि मसविदा छः मास बाद दूसरी बार पढ़ा जाय। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार

हो जाय, तो उस समय उस मसविदे सम्बन्धी सब काम बन्द कर दिया जाता है।

द्वितीय वाचन का प्रस्ताव स्वीकार होने पर मसविदा साधारण तौर पर स्थायी कमेटी के पास विचारार्थ भेजा जाता है। कामन्स सभा यदि चाहे तो उसे 'पूरी सभा की कमेटी' के पास भी भेज सकती है। यदि मसविदा बहुत महत्वपूर्ण हो तो स्थायी कमेटी या 'पूरी सभा की कमेटी' के पास भेजे जाने से पूर्व, 'सिलेक्ट कमेटी' के पास भेजा जाता है। यह कमेटी उसकी प्रत्येक धारा पर उसके सम्बन्ध में गवाही देने वालों के वक्तव्य पर विचार करके; अपनी रिपोर्ट देती है। स्थायी कमेटी या पूरी सभा की कमेटी' में मसविदे की प्रत्येक धारा पर विचार होता है, और संशोधन उपस्थित किये जाकर स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाते हैं। मसविदे के इस कार्य को कमेटी मंजिल (कमेटी स्टेज) कहते हैं। इसके तय हो जाने पर मसविदा कामन्स सभा में फिर पेश किया जाता है, और वहाँ फिर प्रत्येक धारा तथा संशोधन पर विचार किया जाता है। इसे रिपोर्ट स्टेज कहते हैं।

सब धाराओं पर विचार हो चुकने के पश्चात् यह प्रस्ताव किया जाता है कि संशोधित मसविदा स्वीकार किया जाय। इसे मसविदे का 'तीसरा वाचन' (थर्ड रीडिंग) कहा जाता है। इस समय कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया जाता। प्रस्ताव स्वीकार होने पर 'कामन्स सभा' सम्बन्धी सब मंजिलें पूरी हो जाती हैं; और मसविदा लार्ड-सभा में भेजा जाता है।

लार्ड सभा का मसविदों पर विचार:—लार्ड सभा का कार्य ४॥ बजे आरंभ होता है, और ८ बजे तक समाप्त हो जाता है। इस सभा में काम करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या तीन रखी गई है। परन्तु किसी कानूनी मसविदे पर विचार करने के लिए तीस सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

लार्ड सभा में भी उपयुक्त प्रकार से मसविदे का प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, कमेटी मंजिल, रिपोर्ट मंजिल और तीसरा वाचन होता है। यदि मसविदा लार्ड सभा द्वारा ठीक उसी रूप में स्वीकार हो जाय जिस रूप में वह कामन्स सभा में स्वीकार हुआ है, तो वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और उसकी स्वीकृति मिलने पर वह कानून हो जाता है।

यदि लार्ड सभा ने कानून के मसविदे में कुछ संशोधन किये तो उन संशोधनों पर विचार करने के लिए वह मसविदा कामन्स सभा में लौटाया जाता है; यदि कामन्स-सभा संशोधन को स्वीकार करले तो मसविदा बादशाह के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।

यदि कामन्स सभा लार्ड सभा के संशोधन को अस्वीकार कर दे और 'लार्ड सभा उनके लिए आग्रह करे, तो उस अधिवेशन (सेशन) में उस मसविदे सम्बन्धी कार्यवाही बन्द करदी जाती है, और दूसरे अधिवेशन में वह मसविदा कामन्स सभा में उसी रूप में उपस्थित किया जाता है और वहीं उपयुक्त सब मंजिलें तय करके लार्ड सभा में पहुंचाता है। यदि लार्ड-सभा

ने फिर वैसे ही संशोधन उपस्थित किये तो उस अधिवेशन में भी उस मसविदे की आगे की कार्यवाही बन्द करदी जाती है, और तीसरे अधिवेशन में मसविदा पुनः कामन्स सभा में उपस्थित किया जाता है और वहाँ सब मंजिलें तय करके फिर लार्ड सभा में पहुँचता है। इस बार चाहे लार्ड-सभा उसमें संशोधन उपस्थित भी करे, वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए उसी रूप में भेजा जाता है जिस रूप में वह कामन्स सभा द्वारा तीसरी बार स्वीकृत हुआ था। इसमें शर्त यह है कि इस बीच में दो वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो। बादशाह द्वारा स्वीकृत हो जाने पर मसविदे को कानून का रूप मिल जाता है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि लार्ड सभा धन सम्बन्धी मसविदों को छोड़कर अन्य सार्वजनिक मसविदों को अधिक से अधिक दो वर्ष तक कानून बनने से रोक सकती है उसके पश्चात् उसके विरोध करने पर भी, कामन्स सभा द्वारा तीन बार स्वीकृत किये जाने पर मसविदा कानून बन जाता है। कामन्स-सभा को लार्ड-सभा का विरोध होते हुए भी कानून बनाने का यह अधिकार सन् १९११ ई० के कानून से मिला है।

धन सम्बन्धी कानूनी मसविदे (क) खर्च सम्बन्धी—धन सम्बन्धी कानूनी मसविदे दो प्रकार के होते हैं—(क) खर्च सम्बधी मसविदे [कन्सोलिडेटड फंड्स बिल] और (ख) कर सम्बंधी मसविदे [फाइनेन्स बिल]। पहले हम खर्च सम्बन्धी मसविदों पर विचार करते हैं।

प्रति वर्ष मार्च मास के आरम्भ में, व्यय-सम्बन्धी पूरी सभा की कमेटी में खर्च की मदों के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। ये प्रस्ताव मन्त्रियों द्वारा किये जाते हैं। कोई भी सदस्य किसी मद में से खर्च की रकम कम करने का संशोधन उपस्थित कर सकता है। परन्तु कोई सदस्य खर्च को बढ़ाने का प्रस्ताव उपस्थित नहीं कर सकता। जब खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत हो जाते हैं तो आय सम्बन्धी कमेटी में यह प्रस्ताव किया जाता है कि खर्च कमेटी ने जो खर्च मन्जूर किया है, उसकी रकम सरकारी कोष से दी जाय। इन प्रस्तावों को कानून का रूप देने के लिए कामन्स सभा में खर्च सम्बन्धी कानूनी मसविदा उपस्थित किया जाता है, और वह अन्य सार्वजनिक कानूनी मसविदों के समान, विविध मंजिलें तय करके लार्ड सभा में पहुँचता है। इस सभा में भी वह सब मंजिलें तय करता है और लार्ड सभा द्वारा संशोधित किये जाने पर भी, वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए उसी रूप में जाता है, जिसमें वह कामन्स सभा द्वारा स्वीकृत हुआ है।

कर सम्बन्धी मसविदे—अप्रेल मास के आरम्भ में आय साधन कमेटी में अर्थ मन्त्री सरकारी आय व्यय का अनुमान पत्र उपस्थित करता है और करों की दर घटाने बढ़ाने के या नये कर लगाने के प्रस्ताव उपस्थित करता है। कोई भी सदस्य कर की दर घटाने के संशोधन उपस्थित कर सकता है। परन्तु वह कर की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं कर सकता। प्रस्तावों और संशोधनों पर क्रमशः विचार होता है, और जो प्रस्ताव

स्वीकृत किये जाते हैं, उन्हें कानून का रूप देने के लिए कर सम्बन्धी कानूनी मसविदा उपस्थित किया जाता है, और वह सार्वजनिक मसविदों के समान विविध मंजिलें तय करके लार्ड-सभा में पहुँचता है और इस सभा में भी वह सब मञ्जिलें तय करता है। लार्ड-सभा द्वारा संशोधित किये जाने पर भी, वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए उसी रूप में भेजा जाता है जिसमें वह कामन्स सभा द्वारा स्वीकृत हुआ है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लार्ड सभा धन सम्बन्धी कानूनी मसविदों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, चाहे वह मसविदे खर्च सम्बन्धी हों या कर सम्बन्धी। परिवर्तन करने का अधिकार लार्ड-सभा से सन् १६११ ई० के कानून से ले लिया गया है।

स्थानीय या व्यक्तिगत कानूनी मसविदे—स्थानीय या व्यक्तिगत कानूनी मसविदे उन्हें कहते हैं जिनका सम्बन्ध सर्व-साधारण से न होकर किसी खास स्थान से हो, और जिसके द्वारा किसी कम्पनी आदि को विशेष अधिकार दिये जांय। जो सदस्य इस प्रकार का कानूनी मसविदा उपस्थित करना चाहता है, उसे निर्धारित नियमों के अनुसार एक दर्खास्त देनी होती है। उस दर्खास्त की जांच खास अफ़सरों द्वारा की जाती है। यदि वह नियमानुसार ठीक समझी जाय तो कामन्स सभा में उसका प्रथम वाचन होता है, तब मसविदे की शैली की जाँच होती है और द्वितीय वाचन किया जाता है। फिर मसविदा स्थानीय मसविदों की कमेटी के पास भेजा जाता है और

उसकी प्रत्येक धारा पर विचार होता है। यह कमेटी गवाहों के वक्तव्यों पर विचार करती हैं। इसके बाद मसविदे का तीसरा वाचन होकर वह लार्ड सभा में भेजा जाता है और वहां सब मञ्जिलें तय कर चुकने पर वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिये भेजा जाता है। परन्तु यदि लार्ड सभा ने इसमें कोई ऐसा संशोधन उपस्थित कर दिया हो जो कामन्स सभा को स्वीकार न हो, तो मसविदे पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

इस तरह के कानून बनाने में बहुत रुपया खर्च होता है। पहले तो दरखास्त के साथ ही कुछ फीस देनी होती हैं, फिर मसविदे बनाने वाले को तथा उसे कामन्स सभा में उपस्थित करने वाले को भी काफी फीस दी जाती है। कमेटी के सामने गवाही दिलाने में भी कुछ रुपया खर्च हो जाता है। इसलिए ऐसे मसविदे बहुत कम उपस्थित किये जाते हैं।

सारांश

पार्लिमेंट के तीन कार्य हैं—कानून बनाना, कार्यकारिणी पर नियन्त्रण रखना और सरकारी आय व्यय निश्चय करना। कामन्स सभा का निर्वाचन समाप्त होने पर स्पीकर का चुनाव होता है। बादशाह का भाषण लार्ड सभा में होता है। इस भाषण द्वारा मन्त्रिमण्डल की नीति मालूम हो जाती है। इसमें संशोधन उपस्थित किये जाते हैं। इस कार्य में दो तीन सप्ताह लग जाते हैं। कामन्स सभा की बैठक सप्ताह में चार रोज होती है। कामन्स सभा में स्पीकर सभापति होता है। पहले दरखास्त पेश की जाती है, फिर ४० मिनट प्रश्न पूछने के लिये हैं। तीन बजे तक यह कार्य समाप्त हो जाता है चार बजे से मसविदे पेश किये जाते हैं। साल भर में कामन्स सभा लगभग १००

दिन काम करती है। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा भी मसविदे पेश किये जाते हैं। कानूनी मसविदे तीन प्रकार के हैं (१) सार्वजनिक (२) धन सम्बन्धी (३) स्थानीय तथा व्यक्तिगत कानूनी मसविदे। सार्वजनिक मसविदा कोई भी सदस्य उपस्थिति कर सकता है। परन्तु उसे अपना दिन वैलट द्वारा तय कराना होता है। मसविदे के तीन वाचन होते हैं और दोनों सभाओं में पास होने पर बादशाह की स्वीकृति से यह कानून बन जाता है। लार्ड सभा यदि किसी मसविदे को नामन्जूर कर दे और कामन्स सभा उसे तीन बार पास करदे तो यह कानून हो जाता है। धन सम्बन्धी मसविदे दो प्रकार के होते हैं (१) खर्च सम्बन्धी (२) कर सम्बन्धी। ये कामन्स सभा में मन्त्रिमण्डल की ओर से उपस्थित किये जाते हैं। लार्ड सभा इन्हें पास होने से रोक नहीं सकती। लार्ड सभा इनमें कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकती।

स्थानीय या व्यक्तिगत मसविदे किसी एक कम्पनी या खास स्थान के सम्बन्ध में पेश किये जाते हैं। इन्हें पेश करने के पहिले दरखास्त देनी होती है। इसको भी उन्हीं तीन मन्जिलों से गुजरना होता है तब कानून बन पाता है। ऐसे मसविदे में रुपया बहुत खर्च होता है इसलिये कम उपस्थिति किये जाते हैं।

प्रश्न

१—पार्लिमेंट में प्रश्न और प्रस्ताव किस प्रकार उपस्थित किये जाते हैं ?

२—कानूनी मसविदे कितने प्रकार के होते हैं ?

३—कानून किस प्रकार बनते हैं ?

४—लाड सभा का कानून पास करने में क्या स्थान है ?

५—धन सम्बन्धी मसविदों में और अन्य मसविदों में क्या भिन्नता रहती है ?

छठा अध्याय

प्रजातन्त्र का विकास

प्रजातन्त्र का अर्थ है, देश का शासन प्रजा की इच्छानुसार और प्रजा के हित के लिए होना। हम पिछले अध्यायों में वतला चुके हैं कि ग्यारहवीं सदी में इंगलैंड का वादशाह शासन कार्य अपनी ही इच्छानुसार करता था, प्रजातन्त्र का विलकुल अभाव था। आजकल यह दशा है कि वादशाह अपनी इच्छानुसार शासन सम्वन्धी कोई कार्य नहीं करता, सव कार्य मन्त्रियों की सलाह के अनुसार किये जाते हैं और मन्त्रिमंडल उसके लिए पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पार्लिमेंट की कामन्स सभा के सदस्य इंगलैंड की जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इंगलैण्ड में प्रजातन्त्र की स्थापना हो गई हैं। इस अध्याय में हम यह वतलाते हैं कि प्रजातन्त्र का विकास किस प्रकार हुआ।

महान अधिकार पत्र (मेगनाचार्टा)—वादशाह जान सन् ११९९ में गद्दी पर वैठा। उसने पूर्ण स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता से शासन किया और अत्याचारों की पराकाष्ठा कर दी। लेंगटन तथा कुछ अन्य सरदारों ने तंग आकर इसके विरुद्ध आन्दोलन किया और इससे विवश

होकर बादशाह को सन् १२१५ में महान अधिकार पत्र या मेगनाचार्टा देना पड़ा। इसका आशय यह था :—

१—पार्लिमेंट की अनुमति बिना कोई कर नहीं लगाया जायगा।

२—अपराधी को दण्ड उसके अपराध की गुरुता के अनुसार दिया जायगा।

३—किसी भी स्वतन्त्र और निरपराध व्यक्ति को अदालत के फैसले के बिना दण्डित नहीं किया जा सकेगा।

४—न्याय कार्य न बेचा जायगा, न उसमें देर की जायगी और न उससे कोई वंचित रहेगा। प्रत्येक अपराधी का न्याय जूरी द्वारा किया जायगा।

इस अधिकार पत्र में अन्य महत्वपूर्ण बातें भी थीं। परन्तु सबका मूल यही था कि बादशाह अपने कार्यों में प्रजा की सम्मति लेने को बाध्य हो और प्रजा कानून द्वारा शासित होने लगे, बादशाह के व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार नहीं। इन दो सिद्धान्तों के आधार पर पीछे बहुत से कानून बने हैं; अतः यह अधिकार पत्र प्रजातन्त्र की आधार शिला कहा जा सकता है।

पार्लिमेंट का बादशाहों से संघर्ष—बादशाहों को कर लगाने में पार्लिमेंट की अनुमति लेनी आवश्यक हो गई थी। इसलिए स्टुअर्ट वंश के बादशाहों ने कई बार पार्लिमेंट से धन स्वीकार कराना चाहा परन्तु पार्लिमेंट ने उतना धन न दिया जितना वे चाहते थे। चार्ल्स प्रथम ने जबरदस्ती ऋण लेना

आरम्भ किया। इस पर भी धन की समस्या बनी रही। चार्ल्स प्रथम ने तीसरी बार सन् १६२७ ई० में पार्लिमेंट का अधिवेशन कराया। पार्लिमेंट ने इस बार इस शर्त पर रुपया देना मंजूर किया कि अधिकारों का आवेदन पत्र बादशाह स्वीकार कर ले। इस अधिकारों के आवेदन पत्र का मूल आशय था—'जब तक पार्लिमेंट की स्वीकृति न मिले, बादशाह किसी को कर या ऋण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।' अब यह नियम हो गया कि पार्लिमेंट ही कर लगाने और वसूल करने की एक मात्र अधिकारिणी है।

सन् १६४१ में कामन्स सभा ने महान विरोध पत्र (या ग्रांड रिमांसट्रेंस) उपस्थिति किया। इसमें एक मांग यह भी थी कि जब तक पार्लिमेंट स्वीकार न करे, मन्त्रियों की नियुक्त न की जाय। बादशाह के इस बात की अवहेलना करने पर, उसका पार्लिमेंट से युद्ध हुआ और अन्त में सन् १६४९ में उसे प्राण दण्ड दिया गया। उपर्युक्त नियम के अनुसार मन्त्री लोगों को पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी होना आवश्यक हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि कानून बनाने में ही नहीं वरना शासन कार्य भी पार्लिमेंट के अधिकार में आ गया। इस प्रकार राज्य के दो मुख्य कार्य (व्यवस्थापक मंडल सम्बन्धी और कार्य-कारिणी सम्बन्धी) जनता के हाथ में आ गये। इसके बाद ग्यारह साल (१६४९-६०) तक पार्लिमेंट ने विना बादशाह और विना लार्ड सभा के कार्य किया। परन्तु यह प्रयोग सफल न हुआ और बादशाह के पद की पुनः स्थापना

(रेस्टोरेशन) करनी पड़ी। चार्ल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय ने जनता के अधिकारों और जनमत का विचार किये बग़ैर कैथलिक धर्म वालों के प्रति पक्षपात किया, और बादशाह के 'दैवी अधिकार' के सिद्धान्त को व्यवहार में लाना चाहा तो प्रजा ने यथेष्ट विरोध किया। पार्लिमेंट ने उसके दामाद विलियम को, जो ओरेंज का ड्यूक था, बुला भेजा। उसके सेना सहित आ जाने पर सारा इङ्गलैंड उसकी ओर हो गया। इङ्गलैंड का शासन भार विलियम तृतीय और मेरी (उसकी स्त्री) को सौंप दिया गया। उसी अवसर पर १६८९ में पार्लिमेंट ने अधिकारों का मसविदा (बिल आफ राइटस) पास किया जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार थीः—

१—कोई कैथलिक मतावलम्बी व्यक्ति बादशाह न हो सकेगा।

२—बादशाह को राजनियम भंग करने का अधिकार नहीं है।

३—कामन्स सभा का निर्वाचन स्वतन्त्र हुआ करेगा।

४—पार्लिमेंट में सभासदों को भाषण करने की स्वतन्त्रता होगी, और उसकी अनुमति बिना कोई कर न लगाया जायगा।

५—बादशाह भारी सेना न रख सकेगा।

इस क्रान्ति से राजसत्ता कामन्स सभा के हाथ में आगयी, पार्लिमेंट का राजकोष पर पूरा अधिकार होगया और उसकी

शक्ति यहाँ तक बढ़ गयी है कि बादशाह को निजी खर्च (सिविल लिस्ट) उसी के द्वारा स्वीकार किया जाता है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि सोलहवीं शताब्दी तक कामन्स सभा पर बादशाह (तथा लार्ड सभा) का प्रभुत्व रहा। सतरहवी शताब्दी में उसका प्रभाव क्रमशः बढ़ने लगा। कुछ प्रयत्नों के बाद यह निश्चय होगया कि सार्वजनिक तथा धन सम्बन्धी कानूनी मसविदे पहले कामन्स सभा में उपस्थित किये जांय तत्पश्चात 'लार्ड सभा' में और अन्त में बादशाह की स्वीकृति से काम में लाये जांय। धीरे धीरे कामन्स सभा के अधिकार बढ़ते गये।

सुधार कानून; जनता का अधिकार पत्र—अठाहरवीं सदी के अन्त तक बादशाह और उसके मन्त्री होशियारी से लोगों को रिश्वत देकर तथा उजड़े हुए नगरों की ओर से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों पर अपना दबाव डालकर पार्लिमेंट में जैसे लोगों को चाहते थे, वैसों को बड़ी संख्या में भेजने में बहुत कुछ सफल होते थे। क्रमशः लोगों में राजनैतिक विषयों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप सन् १८३८ ई० में पार्लिमेंट के चुनाव का सुधार कानून (रिफार्म बिल) पास हुआ। इससे पार्लिमेंट का संगठन बहुत बदल गया। जिन उजड़े हुए नगरों की ओर से केवल उनके स्वामी अमीर लोग ही प्रतिनिधि चुन देते थे, उनके प्रतिनिधि लेना बन्द या कम कर दिया गया। जो नये नये व्यापारी नगर बस गये थे, उन्हें प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार जमींदारों की शक्ति कम

होकर व्यापारियों के अधिकार बढ़ गये। सुधार कानून पास हो जाने पर भी बहुत से आदमी असन्तुष्ट थे। व्यापारियों और दुकानदारों को मताधिकार प्राप्त हो गया था, परन्तु मजदूरों को कुछ भी नहीं मिला था। अतः लोगों में क्रमशः आन्दोलन होता रहा और अन्त में बहुत से आदमी जनता के अधिकार पत्र (पीपल्स चार्टर) का समर्थन करने वाले हो गये। इन्हें चार्टिस्ट कहा जाता है। सन् १८४८ ई० में इन्होंने निम्नलिखित मांगें उपस्थित कीः—

१—इक्कीस वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सब आदमियों को मताधिकार हो।

२—निर्वाचन के लिए राज्य को; बराबर बराबर के निर्वाचन जिलों में विभक्त कर दिया जाय।

३—मत या 'वोट' पर्चे डालकर अर्थात् 'बेलट' द्वारा लिए जाँय।

४—प्रत्येक आदमी निर्वाचित किया जा सके, चाहे उसके पास कुछ जायदाद हो या न हो।

५—पार्लिमेंट के सदस्यों को वेतन मिला करे।

सरकार ने उस समय तो इस आन्दोलन का दमन कर दिया, परन्तु सन् १८६७ में दूसरा सुधार कानून पास करके ग्रामों में भी मत देने वालों की संख्या बढ़ा दी गयी। उपर्युक्त धाराओं में से न० ३ और न० ५ कानून बन चुकी हैं।

सन् १९११ का पार्लिमेंट एक्ट—पिछले अध्याय में उदार और अनुदार दलों की बात कही गई है। लार्ड सभा के

अधिकांश सदस्य अनुदार दल के हैं और कामन्स सभा के सदस्य उदार दल के। इस लिए जब कभी कामन्स सभा में उदार दल का बहुमत हुआ और उन्होंने सार्वजनिक हित का कोई नियम प्रचलित करना चाहा तो वह प्रायः लार्ड सभा द्वारा रद्द कर दिया जाता था। इस निरन्तर की हार ने उदार दल को लार्ड सभा का विरोधी बना दिया। इस बाधा को दूर करने के हेतु सन् १९१० ई० में 'कामन्स सभा' ने इस आशय का कानूनी मसविदा उपस्थित किया। लार्ड सभा इसे पास नहीं करना चाहती थी। परन्तु जब उसे यह ज्ञात हुआ कि बादशाह ऐसे आदमियों को काफ़ी संख्या में 'लार्ड' बना कर लार्ड सभा में प्रविष्ट करा देगा, जो उस कानून का समर्थन करें; तो लार्ड सभा ने अपना विरोध हटा लिया और यह कानून 'पार्लिमेंट एक्ट १९११" के नाम से पास हो गया। इसकी मुख्य मुख्य धाराओं का आशय इस प्रकार है।

१—किसी धन सम्बन्धी मसविदे को यदि कामन्स सभा स्वीकार करले, तो चाहे लार्ड सभा उसे स्वीकार करे या न करे, बादशाह की सम्मति से वह अमल में आ जायगा।

२—यदि किसी सार्वजनिक कानूनी मसविदे पर लार्ड सभा और कामन्स सभा में मतभेद हो तो वह मसविदा ज्यों का त्यों कामन्स सभा के अगले अधिवेशन में पेश होगा। कामन्स सभा के तीसरी बार उसे पास कर देने पर तथा दो वर्ष का समय व्यतीत हो जाने पर फिर लार्ड सभा से पूछने की आवश्यकता न रहेगी, बादशाह की स्वीकृति से वह कानून बन जायगा। इस

प्रकार लार्ड सभा के निषेध (विटो) अधिकार का अंत होकर, उस सभा को दो वर्ष तक कार्यवाही स्थगित करने का अधिकार रह गया।

३—कामन्स सभा का निर्वाचन हर पांचवे वर्ष होगा।

इस कानून से सरकारी कोष तथा धन सम्बन्धी कानूनी मसविदों पर कामन्स सभा का पूर्ण अधिकार होगया। इंगलैंड की शासननीति के सम्बन्ध में भी कामन्स सभा का लार्ड सभा पर प्रभुत्व होगया। बादशाह की स्वीकृति प्रत्येक विषय में अवश्य ली जाती है, परन्तु वह एक रिवाज ही है। इस प्रकार इंगलैंड का शासन कामन्स सभा के हाथ में आ गया।

स्त्रियों का मताधिकार—यद्यपि जनता में जाग्रति और प्रजातंत्र की ओर बढ़ने की प्रवृति काफी समय से रही, परन्तु जनता का एक भाग इन अधिकारों से सर्वथा वंचित था। स्त्रियों को मताधिकार देने का प्रश्न उन्नीसवीं सदी में आरंभ हुआ परन्तु अनुदार दल तथा विरोधियों का बहुमत रहने से सफलता नहीं मिली। परन्तु आन्दोलन और उद्योग से लोगों के विचार बदलने लगे और कुछ प्रभावशाली राजनीतिज्ञ इस पक्ष में हो गए कि स्त्रियों को मताधिकार मिलना चाहिये। सन् १९१८ में ३० वर्ष की उम्र या इससे अधिक उम्र की स्त्रियों को मताधिकार मिल गया। सन् १९२८ से स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति अर्थात् २१ वर्ष या इससे अधिक उम्र की स्त्रियां को मताधिकार मिल गया है।

मताधिकार की वृद्धि—पिछले सौ वर्षों में इंगलैंड में मताधिकार की आश्चर्य जनक वृद्धि हुई है। सन् १८३१ में जनसंख्या के चौबीसवें भाग को मताधिकार था। सन् १८६७ में यह बढ़कर आबादी का सोलहवाँ हिस्सा हो गया और सन् १८८५ में जन संख्या का बारहवां हिस्सा मत दे सकता था। सन् १९१८ तक स्त्रियों को मताधिकार मिलने से पूर्व जनसंख्या का सातवें भाग को मताधिकार था। सन् १९१८ में जब स्त्रियों के मत देने का अधिकार होगया तो जनसंख्या का एक तिहाई भाग वोट देने का अधिकारी हो गया और १९२८ के बाद से तो पचपन फी सदी व्यक्ति वोट दे सकते हैं। इस तरह जहां सन् १८३१ में पांच फी सदी से भी कम लोग मत दे सकते थे अब पचपन फी सदी व्यक्ति वोट देने के अधिकारी हैं।

प्रजातंत्र के युग का आरंभ—अंगरेज जाति ने आन्दोलन और उद्योग करके अवैध राजतंत्र को वैध राजतंत्र में परिणित कर दिया। अब बादशाह शक्तिहीन है और शासन अधिकार तो मंत्रिमंडल के हाथ में है जो जनता द्वारा निर्वाचित कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि शासन के सब कार्य अब प्रजा की इच्छानुसार ही होते हैं, फिर भी इङ्गलैंड ने प्रजातन्त्र की ओर कदम बढ़ाया है। इस युग का आरम्भ सन् १८२८ से कहा जा सकता है। इससे पहिले भी जनता ने बहुत से स्वत्व प्राप्त किये थे। पर उनसे अधिकतर धनवानों और सरदारों आदि की शक्ति बढ़ी थी।

क्या इंगलैंड में पूर्ण रूप से प्रजातंत्र है ?—इङ्गलैंड ने प्रजातन्त्र या लोकतंत्र की ओर कदम जरूर उठाया है, परन्तु वास्तव में अभी वहाँ के शासन सम्बन्धी सब कार्य जनता की इच्छानुसार नहीं हो रहे हैं। सारे इतिहास पर दृष्टि डालने से एक बात स्पष्ट है कि स्वभाव और अपने कार्यों से अंगरेज जाति प्रजातंत्र की कायल नहीं है। अधिकांश अंगरेज संकुचित विचार के हैं, अमीराना ठाट बाट पसन्द करते हैं और समाज व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए हिचकते हैं। समय समय पर जो थोड़े बहुत परिवर्तन किये गए हैं वे केवल इसलिए कि असन्तोष और विद्रोह की आग एकदम न भड़क जाय। इन सुधारों को ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने प्रजातंत्र का नाम दिया है। किन्तु इन वैधानिक सुधारों और पार्लिमेंटरी प्रथा को विकसित रखने में सदा इस बात का ध्यान रखा गया है कि कम से कम परिवर्तन किये जांय और पुरानी परिपाटी को बनाये रखा जाय।

यदि सच पूछा जाय तो इङ्गलैंड में इतनी ही प्रगति हुई है कि वहाँ राजतंत्र के स्थान पर धनतंत्र की स्थापना हो गई है। पहले जब बादशाह शक्तिशाली था तब बादशाह और उसके परिवार के सदस्य अपने को जनता का हितेच्छु कह कर शासन करते थे। बन्धन न होने के कारण कभी कभी बादशाह की निरंकुशता इतनी अधिक बढ़ जाती थी कि वह उच्च वर्ग पर भी आघात करने लगती थी। ऐसे समय में परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होती थी और धनिक वर्ग जनता को भी साथ लेकर बादशाह का मुकाबला करने लगता था। इस प्रकार धीरे धीरे

राजतंत्र का स्थान पार्लिमेंटरी शासन पद्धति ने ले लिया। परन्तु शक्ति जनता के हाथ में न आकर धनिकों के हाथ में चली गई। पहिले राजसत्ता बादशाह के ही परिवार तक सीमित थी, अब वह कई परिवारों का उत्तराधिकार बन गई है। तब बादशाह के मुँह से निकली बात जनता और देश की बात समझी जाती थी अब चन्द परिवारों के प्रतिनिधियों की बात, जो एक ही स्वर में निकलती है, उसे देश की बात कहने का यत्न किया जाता है। उस समय देश के तमाम साधनों और सम्पत्ति पर राजा का एकाधिकार होता था, इस समय चन्द परिवारों का स्वत्वाधिकार है। राष्ट्र की संपत्ति का अस्सी फी सदी भाग लगभग ५०० परिवारों में बटा हुआ है। शेष जनता को देश की केवल २० प्रतिशत आमदनी से ही सन्तोष कर लेना पड़ता है। धन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कितना प्रभावशाली है यह सर्वसाधारण से अविदित नहीं।

यह कहा जाता है कि निर्वाचन द्वारा जनता के प्रतिनिधि देश पर शासन करते हैं, परन्तु निर्वाचन पद्धति ऐसी है कि निर्वाचन में वे ही व्यक्ति सफल हो सकते हैं जो अधिक से अधिक खर्च कर सकते हैं। देश के उत्पादन और वितरण पर एक खास वर्ग का अधिकार होने के कारण धनी लोग ही पार्लिमेंट में पहुँच पाते हैं। साधारण व्यक्ति कठिनाई से ही सदस्य हो पाते हैं। यदि किसी प्रकार सदस्य हो भी जांय तो मंत्रिमंडल तक पहुँचना और भी कठिन है। मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य बड़े-बड़े व्यापारिक, औद्योगिक या बीमा कम्पनियों से

संबधित रहते हैं। बहुत से सदस्य मन्त्रिमंडल में आने के पूर्व स्वयं किसी कम्पनी या कारखाने आदि कि डायरेक्टर रह चुकते हैं। ये लोग मन्त्रिमंडल में शामिल होते समय डायरेक्टरी से त्याग पत्र दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति जनता से अधिक अपने स्वार्थों का ध्यान रखते हैं। ये लोग जनमत की उपेक्षा करके बहुत से कार्य कर बैठते हैं। पिछले महायुद्ध और इस महायुद्ध को बिना जनता की सम्मति लिए ही छेड़ दिया गया था।

इधर सन् १९४५ के पार्लिमेंट के निर्वाचन में मजदूर दल का पहली बार स्पष्ट बहुमत हुआ है। यह दल अधिक प्रगतिशील विचारों का है और जनता के निम्नवर्ग के स्वार्थों का अधिक ध्यान रखता है। इस प्रकार यह दल अनुदार दल से ज्यादा अच्छा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इससे स्पष्ट है कि इंगलैंड में जनता प्रजातन्त्र की ओर बढ़ रही है, परन्तु पूर्ण रूप से प्रजातन्त्र की स्थापना अभी नहीं हुई है।

सारांश

पहिले बादशाह के अधिकार असीमित थे परन्तु अब धीरे धीरे सब अधिकार कामन्स सभा के हाथ में आ गये हैं। बादशाह जान के समय में सन् १२१५ ई० में मेगनाचार्टा नाम का अधिकार पत्र दिया गया। इसके अनुसार बादशाह कानून बनाने में पार्लिमेंट की सम्मति लेने लगा। सन् १६२७ में पिटशन आफ राइटस पास किया गया। इससे बादशाह के अधिकारों में और कमी हुई। सन् १६४१ में 'ग्रांड रिमांसट्रेंस' बादशाह के सम्मुख पेश किया गया। इससे मन्त्रियों को पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी होना आवश्यक हो गया और बादशाह

का नियम भंग करना अनियमित ठहराया गया। कामन्स सभा के सदस्यों को भाषण स्वातन्त्र्य प्राप्त हो गया। सन् १८६७ में सुधार कानून पेश किया गया इससे मतदाताओं की संख्या बढ़ा दी गई। सन् १९११ में पार्लिमेंट एक्ट पास किया गया। इससे कामन्स सभा का लार्ड सभा पर प्रभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। धन सम्बन्धी मामलों में भी इसकी प्रधानता हो गई। सन् १९१८ में ३० वर्ष से ऊपर की स्त्रियों को मताधिकार मिला और सन् १९२८ में २१ वर्ष की स्त्रियाँ भी मत देने की अधिकारिणी हो गई।

इङ्गलैण्ड ने राजतन्त्र से प्रजातन्त्र की ओर कदम ज़रूर बढ़ाया है पर अभी तक वहाँ प्रजातन्त्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाया है। पार्लिमेंट की चुनाव पद्धति ऐसी है कि उसमें अमीरों का ही प्रभुत्व रहता है। अधिकांश जनता गरीब है। उसका प्रभाव शासन सम्बन्धी कार्यों में कम पड़ता है।

प्रश्न

१—मेगनाचार्टा को इङ्गलैंड की शासन पद्धति में प्रजा के अधिकारों की आधार शिला क्यों कहा जाता है?

२—इंगलैण्ड के बादशाह के अधिकार किस प्रकार कम हो गए?

३—पार्लिमेंट के अधिकारों की वृद्धि किस प्रकार हुई?

४—क्या इंगलैन्ड की सरकार पूर्ण रूप से प्रजातन्त्रात्मक कही जा सकती है?

५—कामन्स सभा और लार्ड सभा के पारस्परिक सम्बन्ध का वर्णन कीजिये।

६—इगलैन्ड की निर्वाचन पद्धति की आलोचना कीजिये।

७—इगलैन्ड की सरकार को पूर्ण रूप से प्रजातन्त्रात्मक बनाने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है?

सातवां अध्याय

नागरिक स्वाधीनता

प्रत्येक देश के निवासियों को देश के कानून के अनुसार उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सम्बन्ध में कुछ अधिकार प्राप्त रहते हैं जिनको नागरिक अधिकार कहते हैं। नागरिक अधिकारों का होना और उनको विना वाधा के उपभोग करना ही नागरिक स्वाधीनता का सच्चा स्वरूप है। राज्य में नागरिक अधिकारों के वगैर स्वतंत्र राष्ट्रों के नागरिक भी पराधीन देश के नागरिकों के समान हैं। इस अध्याय में हम इंगलैंड निवासियों के नागरिक अधिकारों की चर्चा करते हैं।

कानून के शासन की प्रधानता—अंगरेज़ी कानून का मुख्य सूत्र है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक कैद या जुरमाना आदि का दंड नहीं दिया जा सकता, जब तक कोई अदालत उसे किसी कानून तोड़ने का अपराधी करार न दे दे। इंगलैंड में पूर्णतया कानून का शासन है। कानून के शासन होने के लिये तीन बातें मुख्य हैं:—

१—सरकार स्वेच्छाचारिता से कोई भी कार्य नहीं कर सकती, प्रत्येक कार्य नियमानुसार होना आवश्यक है।

२—कानून का पालन करने में और अपराध करने पर न्याय पाने में, अमीर गरीब, शक्तिशाली और सिविल पदाधिकारी और साधारण नागरिक सब बराबर हैं।

३—बादशाह की कोई ऐसी आज्ञा नहीं मानी जा सकती जो राज्य के नियमों के विरुद्ध पड़ती हो।

नागरिक अधिकार—प्रत्येक नागरिक को पूर्ण नागरिक अधिकार हैं। नागरिक अधिकारों के अंतर्गत शारीरिक स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, सभा करने, बोलने, लिखने और विचार प्रगट करने आदि की स्वतंत्रता है।

इंगलैंड में प्रत्येक नागरिक को अपनी जानमाल की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है; राज्य भी इस कार्य के लिए गारंटी करता है। आवश्यकता पड़ने पर कोई भी नागरिक अपनी इस स्वतन्त्रता में बाधा डालने वाले पर शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। बादशाह भी इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं कर सकता, इस आशय की धारायें पिटीशन-आफ-राइटस और मैगनाचार्टा में हैं। नागरिक अपने घर में स्वतन्त्रता पूर्वक रह सकते हैं। किसी के घर में गैर आदमी, चाहे वह सरकारी कर्मचारी ही हो, विना आज्ञा के नहीं घुस सकता। तलाशी लेने के लिए मजिस्ट्रेट की आज्ञा लेना आवश्यक है। सन्देह के आधार पर किसी को क़ैद नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति सभा करने और भाषण देने का अधिकारी है। कोई भी सभा जब तक हिंसात्मक कार्य न करे, भङ्ग नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति पत्रों में लेख भेज सकता है और अपना पत्र निकाल सकता है। ऐसे कार्य के लिए लाइसेन्स या इजाजत की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक आदमी को शिक्षा पाने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। किसी भी पेशे को प्रत्येक व्यक्ति

अपनी इच्छानुसार अपना सकता है। सामाजिक कार्यों में पूर्ण स्वतन्त्रता है। शासन कार्य में भाग लेना भी नागरिक अधिकारों के अन्तर्गत है। यह कार्य लगभग सब बालिग पुरुष और स्त्रियां चुनाव के समय में अपना मत देकर करती हैं।

नागरिक अधिकारों के आधार—इंगलैन्ड में नागरिक स्वाधीनता का विकास भी प्रजातन्त्र के विकास के साथ ही साथ हुआ है। जैसे जैसे कानून बनाने के अधिकार जनता के हाथ में आते गये हैं, उसी के साथ नागरिक अधिकारों की वृद्धि हुई है। समय समय पर आवश्यकतानुसार शासन सुधार सम्बन्धी विविध कानूनों में कुछ धारायें ऐसी भी रखी गई जो नागरिक अधिकारों को बढ़ायें। वैसे किसी एक स्थान पर शासन विधान में इनका जिक्र नहीं है। कारण स्पष्ट है; शासन विधान किसी एक समय नहीं बनाया गया था। इन अधिकारों का मूल मेगनाचार्टा (१२१५), पिटीशन-आफ-राइटस (१६२७), बिल-आफ राइटस (१६८९) और हैबियस-कारपास-एक्ट (१६७९) में है। हम प्रथम तीन एक्टों का जिक्र पिछले अध्याय में कर चुके हैं। अब हैबियस-कारपास-एक्ट के विषय में कुछ जानना आवश्यक है।

सन् १६७९ ई० में नागरिक रक्षा के हेतू हैबियस-कारपस-एक्ट पास किया गया। इस एक्ट से उन लोगों की रक्षा की गयी जो गैर कानूनी तरीके से कैद या नजरबन्द कर लिए जाते थे। जो व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कैद या नजरबन्द किया

जाय उसे या उसकी तरफ से अन्य किसी व्यक्ति के इस कानून द्वारा यह अधिकार मिल गया है कि वह ऐसे व्यक्ति को हाईकोर्ट में उपस्थित करने के लिए दरखास्त दे। दरखास्त मिलने पर हाईकोर्ट उसे अपने सामने उपस्थित किये जाने की आज्ञा देता है और यदि हाईकोर्ट को यह विश्वास हो जाय कि उस आदमी का कैद या नजरबन्द किया जाना कानून के अनुसार नहीं हुआ है तो वह उसे स्वतन्त्र किये जाने की आज्ञा दे देता है। इस प्रकार गैर कानूनी तरीके से कैद या नजरबन्द किये हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में न्यायालय में विचार किये जाने की व्यवस्था हो गयी।

युद्ध तथा अन्य कठिन परिस्थितियों में हेबियस कारपस एक्ट अस्थायी रूप से हटाया भी जा सकता है। ऐसा करने के लिए पार्लिमेंट को इस आशय का प्रस्ताव पास करना होता है। इन सब कानूनों के अलावा समय समय पर न्यायालयों के फैसलों ने भी नागरिक अधिकारों में काफी वृद्धि की है।

नागरिक अधिकारों में बाधा और उसका निवारण— इंगलैंड के नागरिक अपने अधिकारों का उपभोग पूर्ण रूप से करते हैं। सरकारी कर्मचारी कानून का पूरा ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ व्यवस्थापक सभा भी कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण रखती है। इससे सरकारी कर्मचारी अपनी मनमानी नहीं कर पाते। न्यायालय भी नागरिक अधिकारों पर आघात होते देख भारतवर्ष की भांति चुपचाप नहीं रह जाते वरन् सरकार के कार्य की कटु आलोचना करते हैं और नागरिकों के

अधिकारों की रक्षा करते हैं। नागरिक स्वतंत्रता में वाधा पड़ने पर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के हेतु दो उपाय काम में ला सकता है :—

१—वह दीवानी अदालत में झूठा अपराध लगाने का, व्यर्थ में कैद रखने का, आक्रमण करने के कारण हुये नुकसान के हर्जाने का दावा दायर कर सकता है।

२—हैवियस-कारपस-एक्ट के अनुसार अपने छूटने की मांग कर सकता है।

नागरिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध—यद्यपि नागरिक अधिकारों में वाधा पड़ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वाधा पड़ना है परन्तु फिर भी विशेष परिस्थितियों में साधारण नागरिक अधिकारों पर प्रतिवन्ध लगा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जब राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से युद्ध में लगा होता है, तब भाषण, लेखन और पत्र संचालन कार्य पर प्रतिबन्ध रखना आवश्यक हो जाता है; यदि ऐसा न किया जाय तो इस वात की आशंका रहती है कि कहीं राष्ट्र पराजित न हो जाय और नागरिक स्वाधीनता सदैव के लिए विलीन हो जाय। युद्धकाल में अन्य अधिकारों पर भी प्रतिवन्ध रखा जाता है। इसके अलावा गृह-युद्ध आदि की आशंका होने पर भी ऐसे प्रतिवन्ध लगाये जा सकते है। परन्तु ऐसा करने के पूर्व जनता को इसकी आवश्यकता का विश्वास दिलाना और पार्लिमेंट में इस आशय का प्रस्ताव पास करना होता है। भारत की भांति मनमानी नहीं की जाती। ऐसे प्रतिवन्ध विपम परिस्थितियों के हट जाने पर

फौरन हटा लिये जाते हैं। इस विषय में कुछ विद्वानों का मत है कि विषम परिस्थितियों में भी विचार स्वातंत्र्य रहना आवश्यक है, कार्य स्वातंत्र्य पर रोक लगायी जा सकती है।

नागरिक अधिकारों की पूर्णता—इंगलैंड की शासन पद्धति, वहाँ के प्रजातंत्र के विकास और नागरिक स्वाधीनता के विषय में पढ़ चुकने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि इंगलैंड में प्रजातंत्र के नाम पर धनतंत्र की तूती बोल रही है। राज्य की शासन सत्ता चन्द इने गिने लोगों के हाथ में है। इस विषय में यद्यपि काफी आन्दोलन हुआ है परन्तु अपनी रूढ़िवादिता के कारण इङ्गलैण्ड-निवासी राजतन्त्र से धनतन्त्र तक ही पहुंच पाये हैं। परन्तु नागरिक स्वाधीनता के विषय में उन्होंने आशातीत उन्नति की है। राज्य या कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के अधिकारों का अपहरण आसानी से नहीं कर सकता, किसी भी ऐसे कार्य को जिससे व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तियों की उन्नति हो राज्य द्वारा नहीं रोका जा सकता। इङ्गलैंड के निवासियों में व्यक्ति स्वातन्त्र्य और अपने अधिकारों की रक्षा की भावना इतनी जाग्रत है कि अधिकारों पर जरा सा आघात पहुँचने पर न्यायालय से अधिकारों की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। पार्लिमेंट में प्रश्न पूछे जाते हैं और सारी सरकार की मशीन हिला दी जाती है। अपने अधिकारों को वे हर तरह लेकर ही छोड़ते हैं। यही कारण है कि इङ्गलैन्ड में पूर्ण रूप से नागरिक स्वाधीनता है।

सारांश

नागरिक अधिकारों का उपयोग करना ही नागरिक स्वाधीनता है। इङ्गलैंड में इसके सम्बन्ध में मैगनाचार्टा, पिटीशन-आफ-राइटस, बिल-आफ-राइटस नाम के अधिकार पत्र और हैवियस-कारपस-एक्ट नामक क़ानून हैं। प्रत्येक से किसी न किसी नागरिक अधिकार की वृद्धि हुई है। हैवियस कारपस एक्ट सन् १६७९ में पास किया गया। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो गैर कानूनी तरीके से कैद या नजर-बन्द किया गया हो, हाईकोर्ट में पेश किया जाता है। यदि हाईकोर्ट को उसके अपराधी न होने का विश्वास हो जाता है तो वह छोड़ दिया जाता है अन्यथा उस पर मुकदमा चलाया जाता है। इङ्गलैंड में पूर्णतया कानून का शासन है। नागरिकों को अपने जान माल की रक्षा, शारीरिक स्वाधीनता, विचार स्वातंत्र्य, सभा करने, पत्र निकालने, प्रेस खोलने आदि का अधिकार है। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए पार्लिमेंट सदैव कार्यकारिणी पर नियंत्रण रखती है। न्यायालय भी निष्पक्ष भाव से कार्य करते हैं। विशेष दशाओं में नागरिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध भी लगाया जाता है। नागरिक अधिकारों पर आघात पहुंचने पर इङ्गलैंड निवासी सरकार की सारी मशीन हिला डालते हैं। इसी लिए वहाँ पूर्ण नागरिक स्वाधीनता है।

प्रश्न

१—नागरिक स्वाधीनता का क्या अर्थ है और इङ्गलैंड में नागरिक अधिकारों का आधार क्या है?

२—इङ्गलैंड में नागरिकों के अधिकारों का वर्णन कीजिये।

३—हैवियस-कारपस-एक्ट से आप क्या समझते हैं? किन दशाओं में यह लागू नहीं होता।

४—इङ्गलैंड के नागरिकों के वर्तमान अधिकारों की भारतीय नागरिकों के अधिकारों से तुलना कीजिये।

दूसरा भाग
इंगलैंड की औद्योगिक क्रान्ति

आठवां अध्याय
औद्योगिक क्रान्ति का रूप

पहिले भाग में हम यह बतला चुके हैं कि किस प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से इङ्गलैंड के बादशाह के अधिकार कम होते गए और पार्लिमेंट के अधिकार बढ़ते गए, किस प्रकार इस देश में प्रजातन्त्र का विकास हुआ और किस प्रकार के नागरिक अधिकार वहां के निवासियों को प्राप्त हैं और वे उनका उपयोग किस प्रकार करते हैं। इस भाग में अब हम यह बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि उन्नीसवीं सदी में इङ्गलैंड के निवासियों की आर्थिक दशा में क्या परिवर्तन हुए, उनके प्रधान कारण क्या थे और उनका परिणाम क्या हुआ। इङ्गलैंड वासियों की आर्थिक दशा में उन्नीसवीं सदी में जो परिवर्तन हुए वे औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारे जाते हैं। इसलिए इस अध्याय में हम औद्योगिक क्रांति का स्वरूप बतलाते हैं।

अठारहवी सदी के अंत में इंगलैंड की आर्थिक दशा—अठारहवीं सदी के अन्त में इङ्गलैंड में वड़े वड़े कारखानों का अभाव था, अधिकांश जनता ग्रामों में निवास करती थी और प्रधान रूप से खेती और पशुपालन द्वारा अपना जीवन निर्वाह करती थी। ऊन का व्यवसाय भी उन्नत दशा में था, परन्तु ऊनी कपड़े वड़े वड़े कारखानों में तैयार नहीं किये जाते थे। कोयला और लोहे का अधिक उपयोग नहीं होता था और वड़े वड़े जहाजों में लकड़ी का ही अधिक उपयोग होता था। इङ्गलैंड-वासियों में साहस की कमी नही थी। कंपनियाँ स्थापित कर वे सुदूर अमरीका और भारत तक वे अपना व्यापार करते थे और इस व्यापार से इङ्गलैंड के कई परिवार वहुत धनवान भी होगये थे। देश में पूँजी की कमी नहीं थी परन्तु वस्तुओं के उत्पादन के तरीके सैकड़ों वर्ष पुराने थे। कारीगर साधारणतः अपने मकान में ही अपना काम करते थे और वे पूँजीपतियों के आश्रित नहीं थे। पनचक्कियों द्वारा कुछ काम इधर उधर होता था और चरखा तथा कर्घों का भी उपयोग होता था परन्तु मशीनों का उपयोग वहुत कम होता था। यद्यपि सन् १७०४ में न्यूकोमन ने एक ऐसा इञ्जन तैयार किया था जो भाप द्वारा चलता था, उसका उपयोग कोयले की खदान से पानी निकालने में ही किया जाता था और उसमें खर्च भी अधिक पड़ता था। रेल का आविष्कार नहीं हुआ था।

औद्योगिक क्रांति का आरंभ—अठारहवीं सदी के अन्त में जेम्सवाट ने भाप के एंजिन के सम्बन्ध में ऐसे आविष्कार

किये जिससे उनके चलाने का खर्च कम हो गया और उनका उपयोग केवल पानी उठाने में ही नहीं परन्तु मशीने चलाने में भी होने लगा। उधर अठारहवीं सदी के अन्त में ऐसी मशीनों के आविष्कार हुए जिनके द्वारा एक मनुष्य एक ही समय में सैकड़ों तकुओं की देख रेख कर सकता था और भाप के प्रयोग से चलाए जाने वाले कई करघों पर एक ही मनुष्य एक साथ कपड़ा तैयार कर सकता था। इन आविष्कारों से कपड़े का उत्पादन खर्च बहुत कम हो गया और लंकाशायर के आस पास ऐसे कारखाने खुले जिनमें भाप के उपयोग द्वारा करघे और तकुए चलने लगे।

इन कारखानों के खुलने से मशीनों और एञ्जिनों की मांग बहुत बढ़ी, जिससे लोहे के उद्योग की खूब उन्नति हुई। लोहे के उद्योग को बढ़ाने के लिए और कारखानों में एंजिन चलाने के लिए कोयले की भी माँग बहुत बढ़ी और इसका परिणाम यह हुआ कि कोयले के उद्योग की भी बहुत उन्नति हुई। इङ्गलैन्ड में कोयले और लोहे की खानों की कमी नहीं थी इसलिए उसे इनको बाहर से नहीं मंगाना पड़ा।

कपास के लिए तो उसे अन्य देशों पर ही निर्भर रहना पड़ा और इसका आयात जैसे जैसे कपड़े के कारखानों की बढ़ती हुई वैसे वैसे बढ़ता गया। जब मशीनों और भाप की सहायता से वस्तुएँ अधिक मात्रा में कम कीमत पर बनाई जाने लगी तब इनको बेचने में साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों से बड़ी सहायता मिली। भाप का उपयोग जहाजों के चलाने

में भी होने लगा। वे पहिले से बहुत बड़े बनने लगे, फौलाद का उपयोग उनमें होने लगा और उनकी रफ़ार भी पहिले से बहुत बढ़ गई। इससे इंगलैन्ड का अपना तैयार माल कम खर्चे से अन्य देशों में भेजने में बड़ी सहायता मिली। स्वेज नहर के खुल जाने से माल भेजने में खर्चे की बहुत कमी हो गई और समय भी कम लगने लगा। उधर इंगलैन्ड में रेल के एंजिन का आविष्कार हुआ और कुछ वर्षों बाद रेल द्वारा माल एक स्थान से दूसरे स्थान को कम खर्चे से जाने लगा। दूसरे देशों में भी रेल खुली जिससे माल भेजने में अधिक सहूलियत हुई और इङ्गलैन्ड के व्यापार की वृद्धि हुई। भारत में सरकार ने इङ्गलैण्ड के सस्ते माल को स्वतन्त्र रूप से आने में सब प्रकार की सहूलियतें दी जिससे इंगलैन्ड का विदेशी व्यापार खूब बढ़ा, उसकी वस्तुओं की माँग भी खूब बढ़ी। इससे इंगलैन्ड में कारखानों की खूब वृद्धि हुई और देश में अधिकांश वस्तुओं की उत्पत्ति बड़े पैमाने पर होने लगी, छोटे छोटे उद्योग धंधों का नाश हुआ, गांव छोड़ लोगों के नगरों में आने से, कई नए नगरों का निर्माण हुआ, पुराने नगरों की उन्नति हुई और इङ्गलैण्ड एक सदी के अन्दर बहुत समृद्धि-शाली देश हो गया।

इस सदी में इङ्गलैण्ड की आर्थिक दशा में इतने परिवर्तन हुए जितने कि हजारों वर्षों में नहीं हुए थे इसलिए इन परिवर्तनों को क्रांति का नाम दिया गया और ये परिवर्तन उद्योगधंधों में ही अधिक हुए इसलिए इसे औद्योगिक क्रांति कहने लगे।

यहां इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि क्रांति बहुत धीरे धीरे हुई। साधारणतः क्रांतियां दो चार वर्षों के अन्दर ही हो जाया करती है, परन्तु इङ्गलैण्ड में इस क्रांति को करीब एक सौ वर्ष लगे और उसने इङ्गलैण्ड-वासियों का काया पलट ही कर दिया।

यह क्रांति इंगलैण्ड में ही पहिले क्यों आरम्भ हुई? —जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, इङ्गलैन्ड-वासियों में पूँजी और साहस की कमी नही थी। उन्होंने अपना व्यापार संसार के भिन्न भिन्न भागों में खूब बढ़ा लिया था और उनकी वस्तुओं की मांग भी अधिक थी। इधर भारत के सूती कपड़े का आयात भी इङ्गलैण्ड की सरकार ने बन्द कर दिया और इस कारण इङ्गलैण्ड को उत्पादन बढ़ाने की बहुत आवश्यकता हुई। उसके लिए मजदूरों की कमी थी और ऐसी मशीनों का उपयोग करना आवश्यक समझा गया जिनकी सहायता से थोड़े मजदूर अधिक काम कर सकें। इसी समय ऐसी मशीनों का आविष्कार भी हो गया और क्रमशः उनका उपयोग होने लगा। मशीनों के बनाने के लिए लोहे की खानें भी इङ्गलैंड में काफी थी और कोयले की भी कमी नहीं थी। जो वस्तुएँ भाप के उपयोग से मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में बनायी गई उनकी खपत भी ब्रिटिश साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में आसानी से हो गई और इससे नये नये कारखाने खोलने में बड़ा प्रोत्साहन मिला। इङ्गलैण्ड के पास जहाजों की भी कमी नहीं थी। उनमें भाप का उपयोग होने से उनकी रफ्तार बढ़ गई और माल लाने

का खर्चा कम होगया। इससे विदेशी व्यापार में और भी वृद्धि हुई। उपर्युक्त सब सुविधाएँ एक साथ ही अन्य किसी देश को इस प्रकार से प्राप्त नहीं थी जिस प्रकार इङ्गलैण्ड को प्राप्त थी। इसलिए औद्योगिक क्रांति का आरम्भ सब से प्रथम इङ्गलैण्ड में ही हुआ और फिर वह धीरे धीरे योरप के अन्य देशों में भी फैल गई।

सारांश

उन्नीसवीं सदी में इङ्गलैण्ड-वासियों की आर्थिक दशा में जो परिवर्तन हुए, उनको औद्योगिक क्रान्ति कहते हैं। यद्यपि ये परिवर्तन धीरे धीरे करीब एक सौ वर्ष के अन्दर हुए, उनसे देश की काया पलट ही हो गयी, इसलिए वे क्रांति के नाम से पुकारे जाते हैं। अधिकांश परिवर्तन उद्योगधन्धों में ही हुए इस कारण इस क्रांति को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अठारहवीं सदी के अन्त में इङ्गलैण्ड की अधिकांश जनता ग्रामों में ही निवास करती थी और खेती के साथ घरेलू उद्योग-धन्धे भी उन्नत दशा में थे। इङ्गलैण्ड वासियों ने संसार में भिन्न भिन्न भागों में उपनिवेश बसा कर या राज्य स्थापित कर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर ली और इन देशों से अपना व्यापार भी खूब बढ़ाया था। देश में साहसी पुरुषों और पूँजी की कमी नहीं थी। इसी समय में कुछ ऐसी मशीनों का आविष्कार किया गया जो भाप की सहायता से चलायी जाती थी और जिनके द्वारा कपड़े तैयार करने का खर्च बहुत कम होता था। बड़े बड़े कारखाने खुले और नए नगरों का निर्माण हुआ, और पुराने नगरों की बढ़ती हुई। लोहा और कोयले के उद्योग को भी बहुत प्रोत्साहन मिला और इङ्गलैण्ड के विदेशी व्यापार में भी बहुत वृद्धि हुई। बड़े बड़े जहाजों का निर्माण होने लगा। उनके चलाने में भापका उपयोग होने से उनकी रफ़्तार भी बढ़ गई और सामान ले जाने का खर्च कम होगया। इङ्गलैण्ड वासियों को इन

सब बातों से आर्थिक लाभ हुआ और देश समृद्धिशाली हो गया औद्योगिक क्रांति की निम्नलिखित विशेषताएँ थी—

(१) वस्तुओं की बड़ी मात्रा में उत्पत्ति (२) एंजिन और मशीनें चलाने के लिए भाप का उपयोग (३) नई मशीनों का उपयोग (४) बड़े बड़े कारखानों की स्थापना (५) विदेशी व्यापार की अत्यधिक वृद्धि (६) देश का अत्यधिक समृद्धिशाली होना।

इस औद्योगिक क्रांति के लिए पूँजी, साहसी व्यक्ति, व्यापार बढ़ाने की सुविधाएँ, एंजिन और मशीनों को तैयार करने के लिए लोहा और कोयला का काफी मात्रा में प्राप्त होना इत्यादि आवश्यक थे। ये सब बातें एक साथ अन्य किसी देश को प्राप्त नहीं थी। इसलिए औद्योगिक क्रांति का आरम्भ सर्वप्रथम इङ्गलैण्ड में ही हुआ और वहाँ से फिर वह योरप के अन्य देशों में फैली।

प्रश्न

१—औद्योगिक क्रांति की परिभाषा लिखिये। वह इङ्गलैण्ड में ही सर्व प्रथम क्यों आरम्भ हुई?

२—औद्योगिक क्रांति का रूप समझाइये।

२—औद्योगिक क्रांति के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।

४—ब्रिटिश साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों से औद्योगिक क्रांति में क्या सहायता मिली?

५—औद्योगिक क्रांति के पहिले इंगलैंड-वासियों की आर्थिक दशा का संक्षेप में दिग्दर्शन कीजिये।

६—इङ्गलैण्ड की औद्योगिक क्रांति की विशेषताओं को समझाइये।

३—औद्योगिक क्रांति का लोहे और कोयले के उपयोग पर क्या प्रभाव पड़ा?

नवां अध्याय

मशीनों का आविष्कार

हम पिछले अध्याय में बतला चुके हैं कि अठारहवीं सदी के अन्त में इङ्गलैण्ड में जो आविष्कार हुए वे औद्योगिक क्रांति के प्रधान कारण थे। इस अध्याय में हम उन आविष्कारों का संक्षेप में वर्णन करते हैं।

सूत कातने और कपड़े बुनने की मशीनें—सन् १७६७ में हारग्रीव नामक व्यक्ति ने स्पिनिंग जेनी नाम की ऐसी कातने की मशीन का आविष्कार किया जिसके द्वारा एक मनुष्य आठ दस तकुए एक साथ सम्हाल सकता था। बाद में इस मशीन में ऐसा सुधार हुआ कि एक मनुष्य के लिए एक सौ तकुए एक साथ सम्हालना आसान हो गया। सन् १७७१ ई० में आर्कराइट ने सूत कातने की ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो जल की शक्ति की सहायता से चलती थी। बाद में वह भाप की सहायता से भी चलायी जाने लगी। सन् १७७५ में क्रामटन ने ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो भाप की सहायता से चलती थी और जिसके द्वारा महीन धागा तैयार होता था। इस मशीन को 'म्यूल' कहते थे और इसका उपयोग बड़े बड़े कारखानों में होने लगा और महीन कपड़े बड़ी मात्रा में इङ्गलैण्ड में तैयार होने लगे। सन् १८१२ तक क्रामटन के म्यूल का उपयोग प्रायः सब कारखानों में होने लगा था। सन् १७८५ में कार्टराइट ने

ऐसा करघा तैयार किया जो पानी या भाप की शक्ति द्वारा चलाया जा सकता था। धीरे धीरे इसमें सुधार भी हुए और सन् १८३५ तक सुधरे हुए करघों का उपयोग सब बड़े बड़े कारखानों में होने लगा था। इन नए मशीनों के उपयोग से सूती कपड़े के उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिला, जब सन् १७८४ में केवल ४० लाख पौंड कपास का कपड़ा तैयार हुआ था सन् १८४१ में ५०० लाख पौंड कपास का कपड़ा तैयार हुआ। धीरे धीरे उपर्युक्त मशीनों का उपयोग ऊन के उद्योग में भी होने लगा। ऊन के बड़े बड़े कारखाने भी खुले और ऊनी कपड़ों की उत्पत्ति भी खूब बढ़ी।

भाप द्वारा चलने वाले एंजिनों का आविष्कार—जैसा कि पहिले कहा जा चुका है सन् १७०४ में न्यूकोमेन ने भाप द्वारा चलने वाला एंजिन तैयार किया था, परन्तु उसमें खर्च अधिक पड़ता था और उसका उपयोग कोयले की खान से पानी बाहर निकालने में ही किया जाता था। सन् १७६९ में जेम्सवाट ने एक ऐसे एंजिन का आविष्कार किया जिसके चलाने का खर्च कम था और जिसका उपयोग कारखाने में मशीनों के चलाने में भी किया जा सकता था। पार्लिमेंट द्वारा उसे इन एंजिनों को बनाने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। जेम्सवाट बहुत गरीब था उसको बरमिंघम के बोल्टन नामक व्यक्ति ने आर्थिक सहायता की और दोनों की साझेदारी में नए प्रकार के एंजिन बनाये जाने लगे। धीरे धीरे इन एंजिनों में सुधार भी किए गए और इनके द्वारा दोनों साझीदारों ने बहुत धन कमाया।

सन् १८१६ में अपनी मृत्यु के समय तक जेम्सवाट बहुत धनवान हो चुका था।

रेल के एंजिन का आविष्कार—अठारहवीं सदी के अन्त में लोहे की लाइनों पर कोयला या सामान ढोने के लिए घोड़ा गाड़ियाँ चलती थीं। उन्नीसवीं सदी के आरंभ में जार्ज स्टीफनसन ने लोहे की लाइनों पर भाप के एंजिन द्वारा चलाये जाने वाली गाड़ी का अनुमान किया और ऐसा एंजिन भी वनाया गया। सन् १८२५ ई० में एंजिन द्वारा लोहे की लाइनों पर चलाये जाने वाली सर्व प्रथम गाड़ी रवाना हुई। उसे देख-कर लोगों को वहुत आश्चर्य हुआ। उस समय गाड़ी की रफ़ार आठ मील प्रति घंटा से अधिक न थी। सन् १८२६ में लिवर-पूल मैंचेस्टर रेलवे कम्पनी ने पार्लिमेंट में रेलगाड़ियाँ चलाने का विशेष अधिकार प्राप्त किया और सन् १८३० से स्टीफनसन की राकेट नाम की रेलगाड़ी का चलना आरम्भ हुआ। इसकी रफ़ार अधिक से अधिक तीस मील प्रतिघंटा की थी। आरम्भ में इङ्गलैंड में रेलों के प्रचार का विरोध हुआ, परन्तु उनकी वृद्धि धीरे धीरे होती गई और सन् १८५० तक करीव ६ हजार मील की रेलवे लाइनें इंग्लैंड में विछ चुकी थीं। भारत में रेलों का आरम्भ १८४५ के वाद हुआ और सन् १८५२ में वम्बई से थाना तक २१ मील की रेल की सर्व प्रथम लाइन खुली। एंजिनों में सुधार भी क्रमशः होते गए जिसका परिणाम यह हुआ कि रेलगाड़ी की रफ़ार वढ़ती गई और माल ढोने और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के खर्च में कमी होती गई।

इससे देशी और विदेशी व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला और उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई।

अन्य आविष्कार—सन् १८२० से १८४० तक कुछ ऐसी मशीनों का आविष्कार किया गया जिनका उपयोग कारखानों के लिए एक ही तरह की अधिक संख्या में मशीनें तैयार करने में होता था। इन आविष्कारों से लोहे और फौलाद के उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिला और कारखानों को मशीनें प्राप्त करना आसान हो गया, जिससे उनकी भी खूब वृद्धि हुई। अठारहवीं सदी के अंत में ऐसी भट्टियों का आविष्कार हुआ जिसमें कोयले के उपयोग से लोहा पिघलाया जाता था। कोयले की खदानों के पास लोहे के कारखाने खुलने लगे। सन् १८८० के लगभग फौलाद बनाने के नये तरीके का आविष्कार हुआ। इसे बेसमर तरीका कहते हैं। इसके कारण फौलाद बनाना बहुत सरल हो गया और बहुत सस्ता बिकने लगा। जहाजों के एंजिनों में भी ऐसा परिवर्तन किया गया जिससे भाप का उपयोग किया जा सके। इससे जहाजों की रफ़्तार बढ़ गई और खर्च कम हो गया।

उपर्युक्त आविष्कारों का परिणाम यह हुआ कि इंगलैंड से वस्तुओं की बड़ी मात्रा में कम कीमत पर उत्पत्ति बड़े कारखानों में होने लगी, उसके व्यापार में खूब वृद्धि हुई और वह संसार में सब से अधिक समृद्धिशाली देश हो गया।

सारांश

सन् १७६७ में हारग्रीव ने स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार

किया जिसके द्वारा एक मनुष्य एक साथ कई तकुओं को आसानी से सम्हाल सकता था। सन् १७७१ में आर्कराइट ने सूत कातने की मशीन का आविष्कार किया। यह जल की शक्ति या भाप के द्वारा चलाई जाती थी। सन् १७७५ में क्रामटन ने महीन धागा तैयार करने की मशीन तैयार की। सन् १७८३ में कार्टराइट ने भाप से चलने वाला करघा तैयार किया। सन् १७६९ में जेम्सवाट ने भाप के एंजिन का आविष्कार किया जिससे कारखानों में मशीनें चलाना आसान हो गया। सन् १८२५ में स्टीफनसन ने रेल का एञ्जिन तैयार किया। फिर ऐसी मशीनों का भी आविष्कार हुआ जो कारखानों में उपयोग होने वाली मशीनों को अधिक संख्या में तैयार करती थी। सन् १८८० में फौलाद बनाने के नये तरीके का आविष्कार हुआ जिससे फौलाद बहुत सस्ता बिकने लगा। जहाजों के एञ्जिनों में भी ऐसा परिवर्तन हुआ कि जिसमें जहाज भाप की सहायता से चलने लगे। इन सब आविष्कारों से इंगलैंड में वस्तुओं की उत्पत्ति बड़े बड़े कारखानों में कम कीमत पर होने लगी, उसके व्यापार में खूब वृद्धि हुई और संसार में सब से अधिक धनवान देश हो गया।

प्रश्न

१—इङ्गलैंड में अठारहवीं सदी के अन्त में ऐसे कौन कौन से मशीनों के आविष्कार हुए जिससे बड़े बड़े कारखानों में सूती कपड़ा कम कीमत पर तैयार होने लगा!

२—हारग्रीव, आर्कराइट, क्राम्टन, और जेम्सवाट के आविष्कारों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।

३—इंगलैंड में रेलगाड़ी का आरम्भ किस प्रकार हुआ?

४—भाप के द्वारा चलने वाले एञ्जिन के आविष्कार से क्या लाभ हुए!

५—फौलाद तैयार करने के आविष्कार से लोहा और कोयले के उद्योग को किस प्रकार लाभ हुआ?

दसवां अध्याय

औद्योगिक क्रान्ति का परिणाम

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति—अठारहवीं सदी के अंत में जो मशीनों के आविष्कार हुए वे ऐसे थे कि उनका उपयोग तब ही आसानी से हो सकता था जब वस्तुओं की उत्पत्ति बड़ी मात्रा में की जाय। भाप के एञ्जिन से चलने वाली मशीनें तब ही सफलता पूर्वक चलाई जा सकती थी जब किसी स्थान में सैकड़ों मशीनें इकट्ठी की जाय, भाप के एंजिन से उनको चलाने की व्यवस्था की जाय और मजदूर वहां आकर उनका उपयोग करें। मजदूरों को अपनी योग्यता के अनुसार काम मिलने की सुविधा हुई। अर्थात् जो आदमी जिस काम के लिए सब से अधिक योग्य समझा जाता था उसको वही काम दिया जाने लगा। अब योग्य आदमियों से साधारण काम लेने की आवश्यकता न रही। इससे लागत खर्च कम हो गया और वस्तुओं का मूल्य भी कम हो गया। इससे बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। बड़ी मात्रा की उत्पत्ति करने से प्रति वस्तु लागत खर्च कम हो गया। कीमत के कम होने से वस्तुओं की मांग भी बढ़ी। देश का आंतरिक और विदेशी व्यापार बढ़ा और वस्तुओं के उपयोग करने वालों को सस्ती वस्तुओं के कारण लाभ हुआ। बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हुई और पूंजीपतियों को अपनी पूंजी

से अधिक से अधिक लाभ उठाने का सुअवसर मिला। परन्तु इससे एक बड़ी हानि यह हुई कि घरेलू उद्योग धन्धों का नाश हो गया। बहुत से ऐसे उद्योग जो कारीगर अपने घरों में ही थोड़ी पूंजी लगाकर करते थे बड़ी मात्रा की उत्पत्ति का सामना न कर सके। वे अपना माल इतना सस्ता न तैयार कर सके जितना कि बड़े बड़े कारखानों में नई मशीनों के उपयोग से होता था और उनको अपना काम बन्द करके कारखानों में आकर मजदूरी करनी पड़ी। बड़े बड़े कारखाने शहरों में ही स्थापित हुए इसलिए नए नगरों का निर्माण हुआ और पुराने नगरों की खूब वृद्धि हुई और सर्वत्र आर्थिक उन्नति के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे। बड़ी मात्रा की उत्पत्ति विशेष करके सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, लोहा और फौलाद तथा कोयले के व्यवसाय में बहुत अधिक हुई और इन उद्योग धन्धों की उन्नीसवीं सदी में सब से अधिक उन्नति हुई। इन उद्योग धंधों की उन्नति से देश में धन की उत्पत्ति बढ़ गई। सन १८८० में इङ्गलैन्ड वासियों की प्रति मनुष्य वार्षिक आय ३३ पौंड अर्थात ४९५ रुपये थी। जब कि उस समय भारतवासियों की प्रति मनुष्य वार्षिक आय ३० रुपये से भी कम थी।

विदेशी व्यापार की वृद्धि—रेल की लाइनों के खुलने से और जहाजों में भाप का उपयोग किये जाने से, स्वेज नहर के बन जाने से यातायात के साधनों में बहुत सुविधा हुई, इससे इङ्गलैन्ड के विदेशी व्यापार में खूब वृद्धि हुई। १७८० में इंगलैन्ड का आयात और निर्यात करीब एक एक करोड़ पौंड का था।

सन् १८८० में आयात बढ़कर करीब चालीस करोड़ पौंड का और निर्यात २३ करोड़ पौंड का हो गया। इस विदेशी व्यापार की वृद्धि से इंगलैन्ड के व्यापारी बहुत मालामाल हुए और ब्रिटिश जहाजों के मालिकों को भी खूब लाभ हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य की वृद्धि ने भी इस विदेशी व्यापार की वृद्धि में बहुत सहायता पहुंचाई। भारत में भी सस्ती ब्रिटिश वस्तुओं का प्रचार हुआ। भारत के बाजार इंगलैंड के बड़े बड़े कारखानों में बने हुए सस्ते माल से भर गए। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के घरेलू उद्योगधन्धे चौपट हो गये। भारत के कारीगर अपने घरों में थोड़ी पूंजी लगाकर पुरानी मशीनों की सहायता से इतना सस्ता माल तैयार न कर सके जितना सस्ता इंगलैंड के बड़े बड़े कारखानों में होता था। भारत सरकार ने उनकी रक्षा का कोई प्रयत्न नहीं किया और इंगलैंड के माल को बिना किसी रोक टोक के भारत में आने दिया। भारत के करोड़ों कारीगरों की रोजी छिन गई, उनको अपने छोटे छोटे उद्योग बन्द कर देने पड़े, उनमें से अधिकांश भूखों मरने लगे और कुछ ने खेती की शरण ली। जहाँ औद्योगिक क्रांति से विदेशी व्यापार की वृद्धि द्वारा इंगलैंड के कुछ लाख व्यक्ति मालामाल हुए, वहाँ भारत के करोड़ों व्यक्तियों को भूख और बेकारी का शिकार होना पड़ा।

पूंजीपतियों को लाभ—इंगलैंड में साहसी पुरुषों की कमी नहीं थी। सतरहवीं और अठारहवीं सदी में संसार के भिन्न भिन्न भागों में अपना व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से कई

उत्साही व्यापारी पहुँचे और कहीं उपनिवेश बसाए तो कहीं अपने राज्य की स्थापना की। इससे उनको बहुत लाभ हुआ और उनके पास पूंजी इकट्ठी हो गई।

इस प्रकार भारत से भी हजारों इंगलैंडवासियों ने लाभ उठाया। अठारहवीं सदी के अन्त में जो आविष्कार हुए उनसे इन पूंजीपतियों को अपनी पूंजी का और भी अच्छा उपयोग करने का सुअवसर मिला और उससे उन्होंने पूरा लाभ उठाया। बड़े बड़े कारखानों की स्थापना की गई और वस्तुएं बड़ी मात्रा में कम लागात खर्च पर बनने लगी। विदेशी व्यापार को बढ़ाने का भी इन पूंजीपतियों ने पूरा प्रयत्न किया। इन सब प्रयत्नों से इंगलैंड संसार में सब से अधिक धनवान देश हो गया और लखपतियों तथा करोड़पतियों की संख्या में खूब वृद्धि हुई। आर्थिक उन्नति का लाभ मध्यम श्रेणी और गरीबों को भी मिला और उनकी दशा भी पहिले से अच्छी हो गई, परन्तु सबसे अधिक लाभ पूंजीपतियों को ही हुआ और इससे देश में धन की असमानता बढ़ गई। इंगलैण्ड के अंकशास्त्र विशेषज्ञ डाक्टर बाउले ने जाँच करके यह बतलाया है कि सन् १८८० में इंगलैंड की ४७ प्रतिशत आमदनी ४ प्रतिशत व्यक्तियों के हाथ में थी। मोटे हिसाब से देश वासियों की संख्या का बीसवां हिस्सा देश की आधी आमदनी हड़प कर लेता था। शेष ९५ प्रतिशत जनता को देश की आधी आमदनी से ही संतोष कर लेना पड़ता था। पूंजीपतियों के दल का प्रभाव आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के साथ ही साथ राजनैतिक क्षेत्र-में भी बहुत अधिक

बढ़ गया और इससे सच्चे प्रजातन्त्र के स्थापित होने में बाधा पड़ी।

सारांश

औद्योगिक क्रान्ति का सब से महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इङ्गलैण्ड में बड़े बड़े कारखाने खुल गए, वस्तुओं की उत्पत्ति बड़ी मात्रा में होने लगी, उनका लागत खर्च कम हो गया और वे कम दामों में बिकने लगी, वस्तुओं के उपयोग करने वालों को लाभ हुआ और पूंजीपतियों को अपनी पूंजी का अच्छा उपयोग करने का अवसर मिला। परन्तु साथ ही साथ घरेलू उद्योग धन्धों का नाश हो गया। नए नगरों का निर्माण हुआ और पुराने शहरों की भी खूब वृद्धि हुई। बड़ी मात्रा की उत्पत्ति की वृद्धि इङ्गलैन्ड में सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, लोहा और फौलाद तथा कोयले के उद्योग में सब से अधिक हुई। सन् १८८० में इङ्गलैन्डवासियों की प्रति मनुष्य वार्षिक आय ५०० रुपये तक बढ़ गई।

वस्तुओं के लागत खर्च कम होने पर उनकी कीमत कम हुई और इसलिए मांग पहिले से अधिक हो गयी। इससे देशी और विदेशी व्यापार बहुत बढ़ा। नई रेल की लाइनों के खुलने से और जहाजों में भाप का उपयोग किये जाने से उनकी रफ़्तार बढ़ने के कारण विदेशी व्यापार में और भी अधिक वृद्धि हुई। एक सदी के अन्दर इङ्गलैन्ड का विदेशी व्यापार करीब करीब तीस गुना अधिक हो गया। परन्तु इस विदेशी व्यापार की वृद्धि का प्रभाव भारतवासियों पर अच्छा नहीं पड़ा। भारत के घरेलू उद्योग धन्धे चौपट हो गए और करोड़ों भारतवासियों को भूख और बेकारी का शिकार होना पड़ा।

औद्योगिक क्रान्ति से पूंजीपतियों को विशेष रूप से लाभ हुआ। मध्यम श्रेणी और गरीबों को भी आर्थिक उन्नति से लाभ हुआ परन्तु सबसे अधिक लाभ पूंजीपतियों को हुआ और इससे देश में

धन की असमानता बढ़ गई। सन् १८८० में इंगलैन्ड की ४७ प्रतिशत आमदनी केवल ४ प्रतिशत व्यक्तियों के हाथ में थी।

प्रश्न

१—मशीनों का आविष्कार और बड़ी मात्रा की उत्पत्ति का सम्बन्ध समझाइये।

२—बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के गुण दोष समझाइये।

३—बड़े बड़े कारखाने खुलने से घरेलू उद्योगधन्धों का नाश हो गया। क्या घरेलू उद्योगधन्धे किसी भी दशा में बचाए नहीं जा सकते थे? उनके नष्ट होने से देश को क्या हानि हुई?

४—इङ्गलैन्ड के विदेशी व्यापार की वृद्धि का इंगलैन्डवासियों और भारतवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा?

५—इंगलैन्ड की आमदनी का आधे से अधिक भाग देश के केवल ५ प्रतिशत व्यक्तियों के हाथ में चला गया। इससे देश को क्या हानि लाभ हुए?

६—जैसी औद्योगिक क्रान्ति इंगलैन्ड में १९ सदी में हुई यदि वैसी औद्योगिक क्रान्ति भारत में इस समय हो जावे तो भारतवासियों को क्या हानि लाभ होंगे?

ग्यारहवां अध्याय

औद्योगिक क्रान्ति का मज़दूरों पर प्रभाव

मशीनों का आविष्कार और मजदूरों की बेकारी—१८ वीं सदी के अन्त में कुछ यान्त्रिक आविष्कार ऐसे हुए जिनके कारण एक मजदूर नयी मशीन के उपयोग से उतना

काम करता था जिसे पहिले करने में पांच दस मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी। जब १७६७ में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ तो उसकी सहायता से एक मजदूर आठ दस तकुए का सूत आसानी से सम्हाल सकता था। फिर तो उसमें इतना सुधार हो गया कि एक मजदूर को किसी भी कारखाने में एक सौ तकुओं को भी सम्हालना आसान हो गया। इस प्रकार इस मशीन की सहायता से एक आदमी एक दिन में उतना सूत कात सकता था जितने के लिए पहिले कम से कम दस आदमियों की आवश्यकता पड़ती थी। जब इङ्गलैन्ड में सर्व प्रथम बड़े बड़े कारखाने खुले और उनमें स्पिनिंग जेनी का उपयोग होने लगा तो उस समय थोड़े मजदूरों द्वारा ही उतना सूत आसानी से कात लिया गया जितने की उस समय आवश्यकता थी और ग्रामों में असंख्य सूत कातने वाले बेकार हो गए। मजदूरों ने इस बात का अनुभव किया कि नई मशीनों के उपयोग से उनकी बेकारी बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने नई मशीनों के उपयोग का आरम्भ में जोरों से विरोध किया और कई मजदूरों ने जान बूझकर कारखानों में मशीनों को तोड़ भी डाला इसके लिए उनको जेलयात्रा भी करनी पड़ी। कहीं कहीं तो लड़ाई झगड़े भी हुए और कुछ लोगों को अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़ा।

मजदूरों की यह बेकारी अस्थायी थी। जब कारखानों में नई मशीनों के उपयोग से सूत अधिक मात्रा में बनने लगा तो ऐसे बड़े कारखाने भी खोले गए जिनमें भाप द्वारा चलने वाली

नई मशीनों की सहायता से कपड़ा बड़ी मात्रा में तैयार होने लगा। इससे सस्ते कपड़े की उत्पत्ति में बहुत वृद्धि हुई जिससे सूत की मांग में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई और जो सूत कातने वाले व्यक्ति ग्रामों में बेकार हो गए थे उनको नए बड़े बड़े कारखानों में काम मिल गया। यदि इंगलैंड के पास अपने बड़ी मात्रा में कम लागत पर तैयार किये हुए कपड़े को संसार के भिन्न भिन्न भागों में बेचने का साधन न होता तो कपड़े के कारखानों की अधिक उन्नति न होती और सब बेकार मजदूरों को काम भी न मिल पाता। परन्तु इङ्गलैन्ड के आधीन तो भारत सरीखा देश था जिसकी आबादी उस समय बीस करोड़ से अधिक थी और जहाँ पर अंग्रेजों को अपने कपड़े का व्यापार बढ़ाने की बहुत अधिक गुञ्जाइश थी। इङ्गलैन्डवासियों ने इस सुविधा से पूरा लाभ उठाया, भारत सरकार ने भी इङ्गलैन्डवासियों की इस व्यापार के बढ़ाने में पूरी सहायता दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत के बाजार सस्ते इङ्गलैन्ड में तैयार किये कपड़ों से भर गए, इङ्गलैन्ड के कपड़ों की मांग बहुत अधिक बढ़ गई, जिसके कारण इंगलैन्ड में कपड़े के कारखानों की वृद्धि हुई और नई मशीनों के उपयोग के कारण जो व्यक्ति बेकार हो गए थे उन सब को काम मिल गया। मजदूरों की मांग बढ़ती ही गई। मशीनों के बनाने वाले कारखानों की खूब वृद्धि हुई, लोहे फौलाद और कोयले के उद्योगों को भी खूब प्रोत्साहन मिला। इन सब उद्योगों में भी मजदूरों की मांग खूब बढ़ी और जन संख्या की वृद्धि होने पर

भी इंगलैन्ड में सब मजदूरों को काफी काम मिल गया और बेकारी बिलकुल दूर हो गई।

इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के घरेलू उद्योग धन्धे चौपट होगए और करोड़ों कारीगर बेकार हो गए। भारत में बड़े बड़े कारखानों की इतनी वृद्धि नहीं हुई कि जिससे सब बेकार कारीगरों को काम मिल सके और करोड़ों व्यक्तियों को आधे पेट भोजन पाकर और बेकार रहकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा।

इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि श्रम बचाने वाली मशीनों के अत्यधिक उपयोग से मजदूरों की बेकारी स्थायी रूप से अवश्य बढ़ जाती है, ऐसा प्रभाव उसी देश में हो सकता है या किसी अन्य सम्बन्धित देश में। यह सत्य है कि इंगलैन्ड में मशीनों के अत्यधिक उपयोग से बेकारी नहीं बढ़ी। उससे तो मजदूरों की मांग अधिक बढ़ गई और इससे उनकी मजदूरी में भी वृद्धि हुई।

मशीनों के आविष्कार का मज़दूरी पर प्रभाव—जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, मशीनों के आविष्कार से मजदूरों की मांग कम नहीं होने पाई, वह बढ़ती गई। इसलिए पूँजीपतियों को लाचार होकर अपने कारखानों में मजदूरों को आकर्षित करने के लिए मजदूरी बढ़ानी पड़ी। इस प्रकार मजदूरों की मजदूरी बराबर बढ़ती ही गई। परन्तु पूँजीपति हमेशा यह चाहते हैं कि जितनी कम मजदूरी से उनका

काम चल जाय, उससे अधिक न दी जाय। कारखानों के मुनाफे से पूँजीपति मालोमाल होगए, उनकी आमदनी बहुत बढ़ गई, परन्तु मजदूरों की मजूदूरी उस अनुपात में नहीं बढ़ी। जब मजदूरों ने भी अपना संगठन करना शुरू किया तो वे मज-दूरी को और भी अधिक बढ़वाने में सफल हुए। तिस पर भी मजदूरों की दशा उतनी नहीं सुधरी जितनी आशा कारखानों की वृद्धि से की जा सकती थी।

औद्योगिक क्रान्ति से मजदूरों को हानियां—मशीनों के आविष्कार और बड़े बड़े कारखानों के खुलने से मजदूरों को हानियाँ भी उठानी पड़ी। सब से बड़ी हानि तो यह हुई कि उनकी स्वतन्त्रता छिन गई और वे पूंजीपतियों के आश्रित हो गये। बड़े बड़े कारखानों के खुलने के पहिले कारीगर अपने घरों में स्वतन्त्र रूप से अपना काम करते थे। बड़े कारखानों के खुलने से उन्हें अपना काम बन्द कर देना पड़ा और कार-खानों में जाकर नौकरी करनी पड़ी। ग्रामों में जब चाहे तब अपनी इच्छानुसार खुली हवा में उनको काम करना पड़ता था। कारखानों में कमरे के अन्दर एक तरह का काम निर्दिष्ट घन्टों के अन्दर अपने मालिक के आज्ञानुसार ही करना पड़ता था। कुछ कारखानों में रोशनी और स्वच्छ वायु का भी उचित प्रबन्ध नहीं होता था। इसका असर मजदूरों के स्वास्थ्य पर पड़ता था। मजदूरों को अपने गाँव छोड़कर कारखानों में काम करने के लिए नगरों में आकर रहना पड़ता था। नगरों में मकान की कमी के कारण कई मजदूरों को छोटे

गन्दे और अस्वास्थ्यकर मकानों में रहना पड़ता था। कई मजदूरों को एक साथ छोटे मकानों में रहने के कारण उनका स्वास्थ्य भी खराव होने लगता था और बीमारी के कारण वर्ष में कई दिनों तक कारखाने से छुट्टी भी लेनी पड़ती थी। कारखानों में बालकों को भी काम मिल जाता था जिससे उनकी पढ़ाई में असुविधा होती थी और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता था। कारखानों और खानों में स्त्रियों के लगातार कई घन्टे प्रतिदिन काम करते रहने के कारण उनका स्वास्थ्य भी खराव हो जाता था। अगले अध्याय में हम यह वतलाने का प्रयत्न करेंगे कि इंगलैंड की सरकार ने कानून द्वारा तथा मजदूरों ने स्वयं अपने संगठन द्वारा उपर्युक्त हानियों से वचने के क्या क्या प्रयत्न किये।

सारांश

अठारहवीं सदी के अंत में ऐसी मशीनों का आविष्कार हुआ जिनके द्वारा श्रम की बचत होकर लागत खर्च में कमी होती थी। नई मशीन की सहायता से एक मजदूर उतना काम कर सकता था जितने पहिले दस मजदूर करते थे। जब इन मशीनों का उपयोग बड़े बड़े कारखानों में होने लगा तो ग्रामीण उद्योग चौपट हो गए और कुछ कारीगर आरम्भ में वेकार हो गए। मजदूरों ने इन मशीनों के उपयोग का विरोध किया। परन्तु कारखानों की संख्या तीव्र गति से बढ़ती गई, बड़ी मात्रा में वस्तुओं की उत्पत्ति की जाने से वे कम मूल्य पर बिकने लगी। उनके लिए विदेश में खास कर भारत में विस्तृत बाजार मिल गया। इससे उन वस्तुओं की मांग और भी वढ़ी और सब वेकार व्यक्तियों को बड़े बड़े कारखानों में ही काम मिल गया। जन-संख्या की वृद्धि से मजदूर वढ़े। उनको भी काम की कमी नहीं रही।

लोहा, इस्पात, कोयला के उद्योगों की भी खूब वृद्धि हुई और इनमें मजदूरों की मांग बढ़ गई। परन्तु भारत में करोड़ों कारीगर घरेलू उद्योग धन्धों के चौपट हो जाने के कारण वेकार हो गए और वे भूखों मरने लगे।

मज़दूरों की मांग बढ़ जाने के कारण उनकी मजदूरी में भी वृद्धि हुई। परन्तु पूंजीपतियों ने हमेशा यह प्रयत्न किया कि उनको जितनी कम मजदूरी दी जा सके उतनी कम दी जाय। पूंजीपतियों की आमदनी जिस अनुपात में बढ़ी उस अनुपात में मजदूरों की मजदूरी कभी नहीं बढ़ी। जब मजदूरों ने अपना संगठन आरम्भ किया उनकी मजदूरी और भी अधिक बढ़ी।

औद्योगिक क्रांति से मजदूरों को हानियां भी हुई। घरेलू उद्योग-धन्धे चौपट हो जाने पर उनको नगरों में आकर कारखानों में काम करना पड़ा। इससे उनकी स्वतन्त्रता छिन गई और वे पूंजीपतियों के आश्रित हो गए। कई कारखानों में रोशनी और स्वच्छ वायु का सर्वथा अभाव रहता था। इससे उनके स्वास्थ्य को गहरा धक्का लगता था। स्त्रियों और बच्चों को भी कारखानों में काम मिल जाता था इससे बच्चों की शिक्षा में बाधा पड़ती थी और उनका स्वास्थ्य खराब होता था।

प्रश्न

१—श्रम को बचत करनेवाली मशीनों के उदाहरण दीजिये।

२—यदि भारत में श्रम की बचत करने वाली मशीनों का उपयोग जोरों से किया जाय तो कारीगरों और मजदूरों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

३—बड़े बड़े कारखाने खुलने पर इंगलैण्ड में कारीगरों की वेकारी बढ़ने के प्रधान कारण क्या थे?

४—इङ्गलैंड की औद्योगिक क्रांति का भारतीय कारीगरों और मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा?

५—औद्योगिक क्रांति का इङ्गलैंड के मजदूरों की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ा ?

६—औद्योगिक क्रांति से इङ्गलैंड के मजदूरों को जो हानि हुई उसका वर्णन कीजिये।

७—आर्थिक दृष्टि से औद्योगिक क्रांति इङ्गलैंडवासियों के लिए कहां तक लाभदायक हुई ?

बारहवां अध्याय

कारखाना सम्बन्धी कानून और मज़दूर सङ्गठन

कारखाना नियन्त्रण सम्बन्धी कानून—हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं कि औद्योगिक क्रान्ति के कारण इंगलैंड के मजदूरों को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ा और हानियाँ उठानी पड़ी। बड़े बड़े कारखानों में बच्चों से काम लिया जाने लगा। इससे उनकी पढ़ाई में असुविधा हुई और उनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। इंगलैंड की जनता और पार्लिमेंट के सदस्यों का ध्यान सब से पहिले इस हानि की तरफ आकर्षित हुआ और सन् १८०२ में सर राबर्ट पील के विशेष प्रयत्नों से पार्लिमेंट में एक कानून पास किया, जिसके अनुसार बच्चों से कारखानों में रात्रि को काम लिये जाने की मनाही कर दी गई, उनसे किसी भी तरह १२ घन्टे से अधिक काम न लेने का और कारखानों को हवादार बनाए जाने का आदेश किया गया। इस कानून को पालन कराने की

उचित व्यवस्था न होने के कारण इससे कोई लाभ न हुआ और मजदूरों की तकलीफ वढ़ती ही गई। सन् १८३३ में कारखाना सम्वन्धी दूसरा कानून पास हुआ जिनके अनुसार १३ वर्ष से कम उम्र के किसी वच्चे से सप्ताह में ४८ घन्टे से अधिक या किसी दिन ९ घन्टे से अधिक काम लेने की मनाही कर दी, भोजन के लिए प्रतिदिन कम से कम १½ घन्टा समय दिये जाने का आदेश दिया क्या और चार सरकारी इन्सपेक्टरों के नियुक्त किये जाने की व्यवस्था की गई। इन्सपेक्टरों का कार्य यह था कि वे समय समय पर कारखानों की जांच किया करें और जो कानून का पालन न करे उनको दण्ड देवें या अदालतों द्वारा दिलावें। इनका यह भी कार्य था कि अपने जिले के व्यक्तियों की दशा के सम्वन्ध में सरकार को वरावर रिपोर्ट देते रहें। इन इन्स्पेक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर कारखाने सम्वन्धी कानूनों में कई सुधार हुए। सन् १८४२ में स्त्रियों और वच्चों से खानों में काम लिये जाने की मनाही करदी गई और सन् १८४४ में जो नया कानून वना उसके अनुसार आठ वर्ष से कम उम्र के वच्चों को कारखाने में काम करने की मनाही कर दी गई। बच्चों और स्त्रियों से कारखानों में रात्रि के समय काम लेने की मनाही हो गई, कारखानों में मशीनों को इस प्रकार रखने की व्यवस्था की गई जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाय और कानून न मानने वालों पर जुर्माना किये जाने की मात्रा वढ़ा दी गई। सन् १८५० में जो कानून स्वीकृत हुआ उसके अनुसार स्त्रियों और वच्चों से कारखाने में काम लिये

जाने का समय सुबह छः या सात बजे से सायंकाल छः या सात बजे तक निश्चित किया गया। बीच में प्रति दिन १॥ घंटा कारखाना बन्द करने और शनिवार को दो बजे बन्द करने की व्यवस्था हो गई। इस प्रकार स्त्रियों और बच्चों से कारखानों में काम लेने के प्रति सप्ताह ६० घण्टे निश्चित कर दिये गए और इसका लाभ कारखाने में काम करने वाले मर्दों को भी मिल गया। सन् १८६७ के कानून द्वारा छोटे छोटे कारखाने भी नियंत्रण में आ गए। सन् १८७४ के कानून के अनुसार स्त्रियों और बच्चों को प्रति दिन कारखाने के काम करने के घण्टे १०॥ घण्टे से कम करके १० घण्टे कर दिये गए। १० वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेने की मनाही कर दी गई। बीसवीं सदी में कारखानों के कानून में कई सुधार हुए हैं जिससे मजदूरों की दशा सुधारने में बहुत सहायता मिली है।

मज़दूरों का संगठन—कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने अपना संगठन करके अपनी दशा सुधारने का भी अच्छा प्रयत्न किया। इंगलैंड में मजदूरों की ऐसी सभा को जिसका उद्देश्य संगठन द्वारा अपनी दशा सुधारने का हो, ट्रेड युनियन कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के पहिले भी इस प्रकार के कुछ ट्रेड युनियन थे परन्तु उस समय मजदूरों की दशा खराब नहीं थी। छोटे छोटे उद्योग धन्धों में कारीगर अपनी पूंजी लगा कर स्वतन्त्र रूप से अपना कार्य करते थे। इसलिए इनकी विशेष आवश्यकता भी नहीं थी। बड़े बड़े कारखानों के स्थापित होने पर कारीगरों की स्वतन्त्रता नष्ट हो गई, उनको पूंजिपतियों के

आदेशानुसार कारखानों में आकर काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा और उनकी दशा भी खराब होने लगी। मजदूरों ने अपना संगठन करना आरम्भ किया परन्तु उसमें एक बड़ी बाधा यह थी कि कोई भी ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य मजदूरी बढ़ाना हो, देश के प्रचलित कानून के विरुद्ध समझा जाता था और इसलिए सब से पहिले मजदूरों को इस कानून के बदलने के लिए ही आंदोलन करना पड़ा। दस वर्ष के आंदोलन के बाद सन् १८२५ में पार्लिमेंट ने कानून में आवश्यक सुधार करके अपनी मजदूरी बढ़ाने और काम के घंटे निश्चित या कम कराने के उद्देश्यों वाली सभाओं को स्थापित किये जाने की आज्ञा दे दी। तब से ट्रेड युनियनों की संख्या बढ़ने लगी और उन्होंने आंदोलन करके और विशेष रूप से हड़तालों द्वारा अपनी मजदूरी बढ़वाने का प्रयत्न किया। पार्लिमेंट द्वारा प्रति दिन काम करने का समय ८ घंटे तक कम किये जाने की भी उन्होंने कोशिश की। पूंजीपतियों ने अपना संगठन किया और उनका प्रभाव पार्लिमेंट में अधिक होने के कारण मजदूरों को आरंभ में सफलता न मिली। परंतु ट्रेड युनियन ने अपना प्रयत्न जारी रखा और भिन्न भिन्न उद्योगों के ट्रेड युनियनों को मिलाकर एक संयुक्त प्रभावशाली ट्रेड युनियन भी स्थापित किया गया। इस प्रकार इंगलैंड में मजदूर दल का जन्म हुआ और इस दल ने पार्लिमेंट के सदस्य होने के लिये अपने दल से उम्मीदवार खड़े किये। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उनको सफलता भी मिली। परन्तु मजदूर दल के सदस्यों की संख्या सन् १६४५ के पहिले इतनी

न हो पाई कि वे स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार स्थापित कर सकें। मजदूरों ने नए कानूनों द्वारा अपनी दशा सुधारने का प्रयत्न किया। सन् १९०९ में ट्रेड यूनियन बोर्ड एक्ट पास हुआ जिसके अनुसार चुने हुए उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित किये जाने की व्यवस्था की गई। न्यूनतम वेतन निश्चित किये जाने का परिणाम यह हुआ कि कारखानों में किसी भी मजदूर को निश्चित मजदूरी से कम मजदूरी न मिलने लगी। यह निश्चित मजदूरी इतनी अवश्य रखी जाती थी जिससे कि मजदूरों की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। खान में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए काम करने का समय आठ घंटा प्रति दिन निश्चत किया गया। इस प्रकार मजदूरों ने अपने संगठन द्वारा काफी सुविधाएँ प्राप्त करली हैं। अब भी अपनी दशा सुधारने का प्रयत्न जारी है।

सारांश

बड़े बड़े कारखानों के स्थापित होने पर उनमें बच्चों से काम लिया जाने लगा जिसके कारण उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। सन् १८०२ में पार्लिमेंट में कानून बना जिसके अनुसार बच्चों को किसी भी कारखाने में रात के समय काम करने की मनाही कर दी गई। उनसे किसी भी दिन १२ घण्टे से अधिक काम न लेने का आदेश दिया गया। परन्तु इस कानून के पालन कराने की उचित व्यवस्था न होने के कारण इससे विशेष लाभ न हुआ। सन् १८३३ में चार सरकारी इन्सपेक्टर नियुक्त किये गये। १३ वर्ष से कम उम्र के बच्चे से सप्ताह में ४८ घण्टे से अधिक या किसी भी दिन ९ घण्टे से अधिक काम न लिए जाने का आदेश दिया गय। सन् १८४२ में

स्त्रियों और बच्चों से खानों में काम लिये जाने की मनाही कर दी गई और सन् १८४४ में जो नया कारखानों सम्बन्धी कानून बना उसके अनुसार आठ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने की मनाही कर दी गई। सन् १८५० में स्त्रियों और बच्चों को अधिक से अधिक १०½ घण्टे काम करने का कानून बना दिया। सन् १८७४ में १० वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम लेने की मनाही कर दी गई।

मजदूरों ने अपना सङ्गठन करके अपनी दशा सुधारने का भी प्रयत्न किया। ट्रेड यूनियनों की स्थापना की गई। सन् १८२५ में पार्लिमेंट ने ट्रेड युनियन बनाने का कानून पास कर दिया। मजदूरों ने विशेष रूप से हड़तालें करके अपनी मजदूरी बढ़वाने का प्रयत्न किया। पूंजीपतियों ने भी अपना सङ्गठन करना आरम्भ किया और उनका प्रभाव पार्लिमेंट में अधिक होने के कारण मजदूरों को आरम्भ में पार्लिमेंट द्वारा आवश्यक कानून पास कराने में असफलता मिली। परन्तु उनका प्रयत्न जारी रहा। मजदूर दल का जन्म हुआ और उसके सदस्य भी पार्लिमेंट के सदस्य होने लगे। विशेष प्रयत्नों के बाद सन् १९०८ में ट्रेड यूनियन बोर्ड एक्ट पास हुआ जिसके अनुसार चुने हुए उद्योगों में न्यूनतम वेतन निश्चित किये जाने की व्यवस्था की गई। खान में काम करनेवाले मज़दूरों के लिए काम करने का समय ८ घण्टा प्रतिदिन निश्चित किया गया। इस प्रकार मजदूरों ने अपने सङ्गठन द्वारा सुविधाएँ प्राप्त कर लीं। उनका अपनी दशा सुधारने का प्रयत्न अब भी जारी है।

प्रश्न

१—कारखानों में बच्चों से काम लिए जाने से क्या हानि होती है? कारखानों सम्बन्धी कानून द्वारा उनकी दशा सुधारने का जो प्रयत्न इङ्गलैण्ड में १९वीं सदी में किया गया उसका वर्णन कीजिये।

२—खानों में और कारखानों में स्त्रियों के काम करने से क्या हानियाँ होती हैं ? उनकी दशा सुधारने का कारखाना कानून द्वारा जो प्रयत्न १९वीं सदी में किया गया उसका वर्णन कीजिये।

३—सन् १८०२ के कारखानों सम्बन्धी कानून से कुछ लाभ न हुआ। इस असफलता का प्रधान कारण क्या था ? बाद में इस कानून को सफल बनाने के क्या प्रयत्न किये गए ?

४—ट्रेड यूनियन की परिभाषा लिखिये। यूनियनों ने मज़दूरों की दशा सुधारने के क्या प्रयत्न किये ?

५—सन् १९०९ से ट्रेड बोर्ड एक्ट से मज़दूरों को क्या लाभ हुआ ?

६—मजदूर दल के सङ्गठन से इङ्गलैंड की राजनीति और आर्थिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ?

परिशिष्ट १

औद्योगिक क्रान्ति और भारत

भारत में औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता—हम पिछले अध्यायों में वतला चुके हैं कि इंगलैन्ड की औद्योगिक क्रांति से भारतवासियों को वहुत हानि हुई। इंगलैन्ड में वड़े वड़े कारखाने खुलने से और वहां का सस्ता माल भारत में बे रोक टोक आने के कारण, भारत के घरेलू उद्योग धन्धे चौपट हो गये और करोड़ों कारीगरों को भूख और बेकारी का शिकार होना पड़ा। हमारा देश वहुत गरीव है। भारतवासियों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ६० रुपये से अधिक नहीं है। करोड़ों भारतवासियों को आधा पेट भोजन पाकर ही अपना जीवन विताना पड़ रहा है। देश में वस्तुओं की उत्पत्ति बहुत कम है। हमारी गरीबी दूर करने के लिए देश में धन की उत्पत्ति वढ़ाना वहुत आवश्यक है। थोड़े ही समय में धन की उत्पत्ति शीघ्रता से वढ़ाने का तरीका उद्योग धन्धों को, वड़े वड़े कारखानों को स्थापित करना है। इंगलैन्ड उन्नीसवीं सदी में इस औद्योगिक क्रांति द्वारा समृद्धिशाली हुआ। भारतवासी भी इसी औद्योगीकरण या औद्योगिक क्रांति द्वारा धनवान हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक भारतवासी का यह कर्तव्य है कि वह अपनी शक्ति भर

इस औद्योगिक क्रांति को भारत में लाने का प्रयत्न करें। वर्तमान महायुद्ध के समय में कुछ उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन मिला है। बम्बई के उद्योगपतियों ने महायुद्ध के बाद औद्योगीकरण की एक योजना तैयार की है और भारतसरकार और प्रांतीय सरकार भी इस नीति के पक्ष में है। इसलिए भारत का भविष्य उज्वल है यदि हम इंगलैन्ड की औद्योगिक क्रांति के अनुभवों से लाभ उठावें और उन हानियों से बचने का प्रयत्न करें जो इंगलैन्ड निवासियों को उठानी पड़ी थी।

उद्योगधन्धों के नियन्त्रण की आवश्यकता—बड़े बड़े कारखानों के स्थापित होने से इंगलैन्ड में घरेलू उद्योगधन्धे चौपट हो गए। जो लोग घरेलू उद्योग-धन्धों में काम करते थे उन सब को बड़े बड़े कारखानों में काम मिल गया। यह इसलिए संभव हुआ कि इङ्गलैन्ड, ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों में विशेष कर भारत में, अपना सस्ता माल बे रोक टोक भेज सका। भारत में नए बड़े बड़े कारखानों के स्थापित होने से देश में जो कुछ घरेलू उद्योगधंधे बचे हैं वे भी चौपट हो जावेंगे और भारत के पास कोई उपनिवेश या ऐसा आश्रित देश नहीं जहाँ वह अपना माल आसानी से भेज सके। इसका परिणाम यह होगा कि कारीगरों को अपने घरेलू उद्योग धन्धे बन्द कर देने पड़ेंगे। उन सब को बड़े बड़े कारखानों में काम न मिल सकेगा और देश में बेकारी बढ़ जायगी। इसलिए भारत में उद्योग धन्धों की वृद्धि इस तरह से की जानी चाहिये कि घरेलू उद्योग धन्धे भी चौपट न होने पावें और बड़े बड़े कारखाने भी

हानी जायें। इसलिए शीघ्र ही एक जांच कमीशन की नियुक्ति की जानी चाहिए जो यह निश्चित करे कि भारत में कौन कौन से घरेलू उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बड़े बड़े कारखानों की प्रतिद्वान्द्वता से इन घरेलू उद्योग धन्धों को बचाने के लिए यह आवश्यक होगा कि सरकार उन कारखानों का नियन्त्रण करे जो इन उद्योग धन्धों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। शेष सब उद्योग धन्धों में बड़े बड़े कारखाने खोलने की पूर्ण सुविधा दी जानी चाहिए। परन्तु इनके सम्बन्ध में भी इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि इस कारखानों का सब लाभ इने गिने पूँजीपति ही हड़प न कर जावें। उनके अधिक से अधिक मुनाफे की दर कानून द्वारा निश्चित हो जाना चाहिए, शेष मुनाफे को मजदूरों में बाँट दिये जाने की व्यवस्था होना चाहिए और मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित होनी चाहिये। ये सब तब ही हो सकते है जब भारत सरकार और प्रांतीय सरकारें बड़े बड़े कारखानों का उचित रूप से नियंत्रण करें। बिना नियंत्रण के तो देश में धन की असमानता और भी बढ़ जायगी, कुछ पूँजीपति मालामाल हो जावेंगे, परन्तु मजदूरों को वे ही हानियां उठानी पड़ेगी जो इंगलैन्ड के मजदूरों को औद्योक्रांति के समय उठानी पड़ी थी।

राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता—बड़े बड़े कारखानों को उचित रूप से नियन्त्रण के लिए और घरेलू उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए देश में राष्ट्रीय सरकार का होना

आवश्यक है। इस पुस्तक के पहिले खंड में हम बतला चुके हैं कि इंगलैन्ड में प्रजातन्त्र का क्रमशः किस प्रकार विकास हुआ और जनता को किस प्रकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। भारत को इस दशा तक पहुँचने में कई मँजिल तय करनी है। भारत में इस समय के प्रान्तीय सरकार व्ययस्थापक सभाओं के प्रति उत्तरदायी नहीं है। देश की ठीक ढंग से औद्योगिक उन्नति के लिए राष्ट्रीय सरकार का होना अत्यन्त आवश्यक हैं। आशा है, वह दिन शीघ्र आवेगा जब भारत में पूर्ण स्वराज्य स्थापित हो जावेगा और भारतवासी भी उसी प्रकार उन्नति के शिखर पर पहुँच जावेंगे, जिस प्रकार कि इंगलैंडवासी आज कल पहुंच गए हैं।

परिशिष्ट २

महत्वपूर्ण घटनाएँ

घटना		सन्
एग्बर्ट का बादशाह होना	...	८०२
सेलनिक की लड़ाई	...	१०६६
मेग्नाचार्टा	...	१२१५
पिटीशन आफ राइटस	...	१६२८
ग्रांड रिमांसट्रेंस (महान विरोध पत्र)	...	१६४१
चार्ल्स द्वितीय को मृत्यु दण्ड	...	१६४९
हैबियस कारपस एक्ट	...	१६७९

परिशिष्ठ

परिशिष्ट ३

इंगलैंड के बादशाहों की सूची

(१६०३ से अब तक)

जेम्स प्रथम ...	१६०३-१६२५
चार्ल्स प्रथम ...	१६२५-१६४०
कामन वेल्थ (क्रामवेल की अध्यक्षता में)	१६४०-१६६०
चार्ल्स द्वितीय ...	१६६०-१६८५
जेम्स द्वितीय ...	१६८५-१६८९
विलियम तृतीय ...	१६८९-१६९४
मेरी द्वितीय ...	१६८९-१६९४
एन ...	१७०२-१७१४
जार्ज प्रथम ...	१७१४-१७२०
जार्ज द्वितीय ...	१७२७-१७६०
जार्ज तृतीय ...	१७६०-१८२०
जार्ज चतुर्थ ...	१८२०-१८३०
विलियम चतुर्थ ...	१८३०-१८३७
विक्टोरिया ...	१८३७-१९०१
एडवर्ड सप्तम ...	१९०१-१९१०
जार्ज पंचम ...	१९१०-१९३६
एडवर्ड अष्टम ...	१९३६-१९३७
जार्ज षष्टम ...	१९३७-

परिशिष्ट ४

वर्तमान मंत्रिमंडल के खास-खास मन्त्री

(जुलाई सन् १९४५)

प्रधान मंत्री	...	... क्लेमेंट एटली
वैदेशिक मंत्री	...	... अर्नेस्ट वेविन
अर्थ मंत्री	...	... डा० डाल्टन
वाणिज्य मंत्री	...	... सर स्टाफर्ड क्रिप्स
लार्ड प्रेसीडेंट	...	... हरवर्ट मौरिसन
लार्ड चांसलर	...	... सर विलियम जौकिट
लार्ड प्रिवीसील	...	... आर्थर ग्रीनवुड
गृह मंत्री	...	... चिटूर एडे
स्वाधीन उपनिवेश मंत्री		... लार्ड एडीसन
भारत मंत्री	...	... लार्ड पैथिक लारेन्स
उपनिवेश मंत्री	...	... जी० एच० हाल
फर्स्ट लार्ड आफ एड मिरलटी		... ए० वी० एलकजेन्डर
युद्ध मंत्री	...	... जे० जे० लाडसन सन
वायुयान मंत्री	...	... विसकाउन्ट स्टेन्सगेट
श्रम मंत्री	...	... जी० ए० इजाक
शिक्षा मंत्री	...	... मिस एलेन विलकन्स
स्वास्थ्य मंत्री	...	... एन्डरिन वेवन
वायुयान उत्पादन मंत्री		... जास विलमोर
युद्ध यातायात मंत्री		... एलफर्ड वारनेस।